एकादश माला, खंड 14, अंक 1

बुधवार, 30 अप्रैल, 1997
10 वैशाख, 1919 (शक)

F. C

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-चार)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 14 में अंक 1 से 12 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 30 अप्रैल, 1997/10 वैशाख, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

......

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (1)	नीचे से 2	[illegible]योग	उद्योग
1	12	श्री लालमुनी छीये	श्री लालमुनी चौबे

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र, (भाग—चार), 1997/1919 (शक)]

अंक 1, बुधवार, 30 अप्रैल, 1997/10 वैशाख, 1919 (शक)

विषय

प्राक्कलन समिति — **कॉलम**

बीसवें, उनतालीसवें, बयालीसवें, पचासवें और छप्पनवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी विवरण — *सभा पटल पर रखे गए.* 1-2

लोक लेखा समिति

तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — *प्रस्तुत.* 2

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सरांश — *प्रस्तुत.* 3

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन, अध्ययन दल के दौरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — *प्रस्तुत.* 3-4

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन — *प्रस्तुत.* 4

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां, पंद्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन — *प्रस्तुत.* 4-5

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां, छठा और सातदां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — *प्रस्तुत.* 5

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन — *प्रस्तुत.* 5-6

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवां, उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन — *सभा पटल पर रखे गए.* 6

अद्योग संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन — *सभा पटल पर रखा गया.* 6

विषय **कॉलम**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

छियालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत* 7

बिहार के चारा घोटाला मामले में एक संघीय मंत्री और अन्य के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में 7-52

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में अजमेर के तारागढ़ हिल में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को स्थापित करने के कार्य को गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत 53

(दो) मुम्बई और मंगलौर के बीच बरास्ता पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल 54

(तीन) महाराष्ट्र की सकरी तहसील में पिम्पलनेर में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

डा० साहेबराव सुकराम बागूल 54

(चार) राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा 54-55

(पांच) गया-डिहरी पैसेंजर रेलगाड़ी को बिहार में गरवा रोड़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह 55

(छः) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और अन्य निकटवर्ती जिलों में रसोई गैस की आपूर्ति में सुधार किए जाने की आवश्यकता

प्रो० जितेन्द्र नाथ दास 55

(सात) औषधीय जड़ी-बूटियों का लाभ उठाने हेतु तमिलनाडु के राजाजी जिले के कोली हिल्स में सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री के० कंडासामी 56

विषय **कॉलम**

अनुदानों की मांगें (रेल) 1997-98 56-124

श्री राम नाईक 57-66

कटौती प्रस्ताव 67-78

श्री रमेश चेन्नित्तला 78-84

श्री गिरधारी यादव 84-87

श्री राजीव प्रताप रूडी 87-95

श्री मंगत राम शर्मा 95-98

श्रीमती भगवती देवी 99-101

श्रीमती गीता मुखर्जी 101-108

श्री थावरचन्द गेहलोत 108-112

श्री ए०सी० जोस 113-119

श्री सुधीर गिरि 119-121

लोक सभा

बुधवार, 30 अप्रैल, 1997/10 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पुश-पालन का मामला है.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ देर बार बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के चारा घोटाला में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम आया है......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में लाठी चल रही है......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल जी , सभा पटल पर पत्र रखे जाने हैं।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद, अर्थात सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद।

.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले सभा पटल पर पत्र रखने दीजिए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्राक्कलन समिति

बीसवें, उनतालीसवें, बयालीसवें, पचासवें और छप्पनवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय–पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)–भारी इंजीनियरी उद्योग में रुग्णता के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का बीसवां प्रतिवेदन।

(2) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)–रेलवे भूमि और भूमि उपयोग नीति के संबंध में प्राक्कलन समिमि (दसवीं लोक सभा) का उनतालीसवां प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय–अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) नीति के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का बयालीसवां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)–राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी पर रोक के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का पचासवां प्रतिवेदन।

(5) नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय–दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन तथा नागर विमानन के विकास के संबंध में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का छप्पनवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.03¼ बजे

लोक लेखा समिति

तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) संघ सरकार विनियोग लेखे (1994-95)- रक्षा सेवायें संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–अनन्तिम निर्धारण संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ :

(1) समिति के भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड–भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में तिरपनवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(2) समिति के राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में इक्कावनवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतिर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) समिति के राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के बारे में उनचासवें प्रतिवेदन (दसवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(4) समिति के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में उनतालीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(5) समिति के बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के बारे में सैंतालीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौंवां प्रतिवेदन।

(6) आई.टी.आई. लिमिटेड संबंधी दसवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन, अध्ययन दल के दौरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश सहित, प्रस्तुत करता हूँ:–

(1) कल्याण मंत्रालय (जनजातीय विकास प्रभाग) संबंधी छठा प्रतिवेदन–अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही–मध्य प्रदेश में प्रमुख परियोजनों द्वारा विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (ग्यारहवीं लोक सभा) संबंधी सातवां प्रतिवेदन–माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(3) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) (ग्यारहवीं लोक सभा) संबंधी आठवां प्रतिवेदन–दक्षिण मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल एक और दो के चार दौरा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04¼ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी.के. गढ़वी (बनसकांठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति का रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 1997-98 से संबंधित पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां, पंद्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :–

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(3) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04¾ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति की अनुदानों की मांगें श्रम मंत्रालय 1996-97 के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) श्रम मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की मांगों संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(3) श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति की अनुदानों की मांगें-कल्याण मंत्रालय 1996-97 के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(4) कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान अंतुले (कुलाबा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05¼ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

अट्ठाईसवां, उनतीसवां और तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नुरूल इस्लाम (धूबरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य मंत्रालय (आपूर्ति विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन।

(3) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) संबंधी तीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति की खान, इस्पात और अद्योग मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में बाईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

छियालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति की विज्ञान और प्रौद्योगिकी और महासागर विकास विभागों की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में क्रमशः छियालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

बिहार के चारा घोटाला मामले में एक संघीय मंत्री और अन्य के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगाए गए अरोपों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे एक केन्द्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप पत्र दायर करने और आपराधिक कार्यवाही आरम्भ करने के केन्द्रीय जाँच ब्यूरों के निर्णय से पैदा स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों तथा विपक्ष के नेता से कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा। परन्तु मैं सभा को सभा के कार्य और प्रक्रिया की पुस्तिका के नियम 31 का स्मरण कराना चाहता हूँ। मैं उसे यहां उद्‌धृत करना चाहता हूँ:

> "सदस्यों द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का उल्लेख करना उचित नही है क्योंकि मुख्यमंत्री सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं"

विभिन्न लोक सभा अध्यक्षों ने कई व्यवस्थाएं दी हैं। कृपया उसे ध्यान में रखें। चूंकि हमारे समक्ष यहां एक केन्द्रीय मंत्री का भी मामला है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से बहुत सावधान रहने का अनुरोध करूँगा। संयम बरतें और केवल मुद्दों की ही बात करें तथा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों, विशेषकर राज्य के शासनाध्यक्षों का उल्लेख न करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सार्वजनिक महत्व के एक गंभीर प्रश्न को उठाने का अवसर दिया है।

मामला सार्वजनिक महत्व का है, इसमें दो राय नही हो सकती। लेकिन हमारे लिए वह और भी गंभीर बन जाता है क्योंकि उसमें इस सम्मानित सदन के एक आदरणीय सदस्य का नाम आया है। वे इस समय मंत्री हैं, राज्य मंत्री के पद पर बैंठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों के अनुसार सी.बी.आई. ने बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला कांड में लिप्त होने के कारण उन पर मुकदमा करने का फैसला किया है। लेकिन वे मंत्री हैं इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले सी.बी.आई. को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की आवश्यकता होगी। उनके साथ कुछ अफसर भी हैं जो केन्द्र के अफसर हैं। भले ही वे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन पर मुकदमा चलाने के लिए भी केन्द्रीय सरकार की इजाजत की जरूरत होगी।

अध्यक्ष महोदय, मै इस संबंध में सरकार से जानना चाहता हूँ कि उसका क्या इरादा है। प्रधान मंत्री ने अभी-अभी पद संभाला है। उस दिन उन्होंने सदन में जो कुछ कहा, और बाहर जो कुछ वे कहते रहे हैं, उससे यह आशा बंधती है कि किसी भी घोटाले पर परदा नहीं डाला जाएगा। कानून अपना काम करेगा और किसी को राजनीतिक संबंधों के कारण या अन्य किसी वजह से कानून की सीमा के बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।

इस संबंध में संयुक्त मोर्चे का जो घोषणापत्र है उसे में अद्धृत नहीं करना चाहता। यह कसौटी है, ऐसी घटना है जिस पर सारे देश की आँखें लगी हुई हैं। एक हजार करोड़ रुपए का चारा घोटाला कांड हैं, यह कहा जाता है। 46 लोगों के विरुद्ध सी.बी.आई. चार्जशीट देना चाहती है। और करीब इतने ही लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है।

मैं किसी मुख्य मंत्री को इसमें लाना नहीं चाहता। यद्यपि उस दिन जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, इस कांड में कौन से मुख्य मंत्री लिप्त हैं, इसका उल्लेख स्वयं हमारे मित्र शरद यादव जी ने किया था। ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में जब सी.बी. आई. मुकदमा चलाने की अनुमति मांगे, तो सरकार का कर्तव्य स्पष्ट होना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार की दुविधा नही होनी चाहिए कि सरकार इजाजत दे या नहीं। मैं तो एक कदम आगे जाकर यह कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह से आरोप लगते हैं, तो सी.बी.आई. मुकदमा चलाने की इजाजत ले, और फिर मुकदमा चलाए और सम्मानित सदस्य को अदालत में घसीटा जाए, उस पर मुकदमा चले लेकिन उससे पहले वह सम्मानित व्यक्ति त्यागपत्र दे सकता है। वह कह सकता है कि जब तक मैं निर्दोष प्रामाणित नहीं होऊंगा, जब तक मैं बेदाग साबित नहीं होऊंगा, मैं किसी पद पर नही रहूंगा, मैं किसी दायित्व को नहीं संभालूंगा। यह एक आदर्श आचरण हो सकता है। यह मूल्यों पर आधारित राजनीति को दिशा देने की दृष्टि से एक कदम हो सकता हैं। लेकिन इस संबंध में जो आवाजें आ रही हैं दिल्ली में भी और पटना में भी, उनसे तो लगता है कि बात सड़कों पर ले जाने की हो रही है।

जो मामले अदालत में तय होने हैं, वे सड़क पर तय नही हो सकते हैं। जो हमारी पार्टी के भीतर तय होने हैं, उन्हें पार्टी अपने भीतर तय करे। मैं किसी पार्टी के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना चाहता। जहां तक मेरी पार्टी का संबंध हैं, हमने एक आदर्श उपस्थित कर के दिखाया है। बिहार में हमारे विरोधी दल के नेता को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं थी। वह अपने सदन में जा सकते थे। हमने कहा कि नही, जब तक आप आरोप से मुक्त नहीं होते, आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आडवाणी जी ने जिस तरह का आचरण किया, उस दिन मैं उसका उल्लेख कर चुका हूं।

हम सबकी एक परीक्षा हो रही है। राजनीतिक दल और राजनेता कसौटी पर कसे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के निर्मूलन से हम सब बंधे हुए हैं। भ्रष्टाचार से अगर इस देश को मुक्ति नहीं मिली तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। विकास पर तो उससे आंच आ ही रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे राज्य मंत्री वर्मा जी के मामले में, अफसरों के मामले में सी.बी.आई. ने अगर जांच के बाद मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है तो केन्द्र सरकार का रवैया क्या है?

दूसरा, मैं राजनीतिक धरातल पर जो बात कह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि उसको भी ध्यान से सुना जाये कि यह केवल कानूनी दांवपेंच का मामला नहीं है। लोकतंत्र का तकाजा क्या है? राजनीति का औचित्य क्या है? यह ठीक है कि जब तक व्यक्ति दोषी प्रमाणित नहीं होता, सजा नही होती तब तक वह अपराधी नहीं है। यह कानूनी दृष्टिकोण है, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण है। सवाल है कि राजनीति में लोग किस तरह का व्यवहार करें। पहले भी चार्जशीटें लगी हैं। यह कोई नयी बात नही है। यहां अंतुले जी बैठे हैं। वे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया आडवाणी जी तो किसी पद पर नही थे। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया और कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मैं दोषमुक्त नहीं हो जाता।

पिछली लोक सभा में इस सदन के सदस्यों ने जो अलग-अलग मंत्री पद पर विराजमान थे, हवाला कांड में जिनका नाम आ गया तो उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने धमकी नही दी। उन्होंने मामले सड़कों पर ले जाने के लिए हाय तौबा नहीं मचाई। लेकिन इस तरह की हाय तौबा मचाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह बताए कि सी.बी.आई. जिस तरह की जानकारी चाहती है और अगर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति महोदय से अनुमति मांग रही है तो सरकार कितनी जल्दी अनुमति प्राप्त करके सी.बी.आई. को इसके बारे में सूचित करेगी। यह मामला जैसे मैंन कहा कि एक परीक्षा की घड़ी के रूप में हमारे सामने आया है और यह सदन इस परीक्षा की घड़ी में उत्तीर्ण होगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अपना पद छोड़ने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इस सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने उस समय कहा था कि उन्हें इस बात का गर्व है कि दस महीने के उनके प्रधानमंत्री काल में एक भी मामला नही था और उनकी सरकार पारदर्शी थी। हममें से कुछ ने इस बात के समर्थन में तालियां बजाई थी। आज किसी बात का पर्दाफाश हुआ है और यह किसी दल विशेष का मामला नहीं है। दल अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। यह पूरी राजसत्ता का मामला है और यदि हम इस समस्या की गहनता को देखें तो हम समझते हैं कि इसकी जिम्मेवारी हम पर ही है। इसमें लगभग 950 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। जिन लोगों के विरुद्ध अरोप पत्र दायर किए जाने का प्रस्ताव है उनमें राज्य में तैनात अच्चाधिकारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी सम्मिलित हैं। वे अखिल भारतीय सेवा से संबद्ध हैं जो केन्द्र सरकार के अंतर्गत आती है तथा इसमें केन्द्र और राज्य के राजनेता भी सम्मिलित हैं।

महोदय, मुझे मेरे विचार से संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप यह अति आवश्यक है कि प्रधानमंत्री यहां आएं और देश की नैतिकता के हित में यह बताएं कि सरकार और केन्द्रीय जांच ब्यूरो आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है।

यह किसी दल विशेष का प्रश्न बिलकुल नहीं है। दलों को अपने बारे में स्वयं विचार करना है। भाजपा की ओर से उन्होंने यह दावा किया है कि उनका अध्यक्ष बना रहेगा क्योंकि उसे उच्च न्यायालय ने निर्दोष करार दिया है। वास्तव में दल की कुछ राज्य इकाइयां ऐसी हैं जो इस बारे में अधिक नहीं कहती यद्यपि उच्चतम न्यायालय में जाने की मन्शा होती है फिर भी कुछ उस अपील को रोकने की कोशिश कर रही है। दल को इस संबंध में विचार करना पड़ेगा। इस मामले में दल को नैतिकता का वह उदाहरण पेश करना होगा जो यह सम्पूर्ण देश के समक्ष दिखाना चाहता है। परन्तु सम्पूर्ण देश और पूरी राजनीति तथा देश का शासन चलाने के लिए यह अति आवश्यक है कि सरकार उन ठोस कदमों के बारे में अपना वक्तव्य दे जो सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा स्वयं सरकार द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उठाने जा रही है।

प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। सदन के नेता उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस सदन के समक्ष एक वक्तव्य दें। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन और पूरी जनता इस मामले के बारे में जानना चाहती है। पहली बार समाचार पत्रों में अधिकारी वर्ग की इतनी बड़ी सूची छपी है। अधिकारी वर्ग को चेतावनी भी दी जानी चाहिए, जिससे कि वे भविष्य मैं पूरी तरह सावधान रहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चलूंगा। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने पहले सूचना दी है। परन्तु बाद में मैं अन्य लोगों को भी बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, चारा घोटाले के सिलसिले में सी.बी.आई. ने केन्द्र के एक मंत्री, केन्द्र सरकार के कुछ पदाधिकारियों, एक राज्य के मुख्यमंत्री, अनेक पदाधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का अपना निर्णय सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है और सी.बी.आई. के डायरेक्टर द्वारा यह भी कहा गया कि वे सक्षम पदाधिकारियों से चार्जशीट फाइल करने के लिए और फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए पहल करेंगे। हमको नहीं मामूल है कि अनुमति प्राप्त करने का कागज, उसका पत्र या आवेदन पत्र सक्षम पदाधिकारियों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। सरकार को इस बात की जानकारी होगी। हम इस बात को जानना चाहते हैं, सदन इस बात को जानना चाहेगा और पूरा देश भी इस बात को जानना चाहेगा। सवाल कुछेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नहीं है। जिनका नाम इस घोटाले में आया है और जिनके खिलाफ चार्चशीट होने जा रही है। सवाल यह कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा। एक मापदंड का उल्लेख विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री निर्मल चटर्जी ने रखा है। एक मापदंड था, हमने पिछली लोक सभा में देखा है कि एक के बाद दूसरे मंत्री के सिर यहां लुढ़कते चले गए और एक नहीं कई पार्टी के सम्मानित नेताओं ने अपने ओहदों से या संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। आडवाणी जी के अलावा श्री शरद यादव ने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और कई मंत्रियों ने भी पद छोड़ा था।

लोकतंत्र लोक-लाज से चलता है। अगर लोक-लाज नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता और लोकतंत्र में जो भी संविधान या कानून है, उसकी रक्षा होनी चाहिए नहीं तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। कहा जा रहा है कि कानून या संविधान में कहां लिखा है कि चार्जशीट होगी तो किसी व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। यह कहां लिखा हुआ है। हमारे देश के जो पुरखे रहे हैं, जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केन्द्र में मंत्री बनेगा और इस प्रकार के घोटाले या किसी और मामले में उस पर चार्जशीट दायर करने की नौबत आएगी। आज आजादी के पचास साल के बाद यह नौबत आ गई है। हम अपनी आजादी की पचासवीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं......*(व्यवधान)* आप अपनी बात कह लें हमको कोई ऐतराज नहीं है। अगर यहां पर गले का संघर्ष होना है तो बात दूसरी है।

अगर गले का संघर्ष होना है तो......*(व्यवधान)* आपको वक्त मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों के लिए बैठने वाला नहीं हूं और ये संख्या देख लीजिए, ये पूरे देश में इतने ही लोग सांसद बैठे हैं.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी बैठिये।

श्री नीतीश कुमार : ये भी मुख्य मंत्री बनने के कम्पीटीशन में हैं.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

............*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को बोलने का मौका दूँगा आप अपना उत्तर दे सकते हैं।

.........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में जवाब दें सकते हैं। आप सुन लीजिए। आपको मौका दिया जायेगा।

श्री नीतीश कुमार : सब को अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है। यहां पर सदन में यह चर्चा हो रही है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर किसी के ऊपर आक्षेप लगता है और कोई जांच एजेंसी यह पाती है कि इनके खिलाफ आरोप–पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हं तो मैं नहीं समझता हूं कि अदालत में जाने के सिवा उनके पास कोई चारा है। उनको अदालत में जाकर अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है। वे पद पर नहीं बने रह सकते हैं, कोई लाख कहे कि हम सड़कों पर निबटेंगे तो सड़कों पर कोई एक व्यक्ति उतरने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर सड़कों पर दूसरे लोग भी उतरेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहेंगे। वे भी सड़कों पर आयेंगे, इसलिए इस धमकी से देश में कोई संदेश नही जाने वाला है, बल्कि इस प्रकार की जिस हठधर्मिता का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे सार्वजनिक जीवन धूमिल हो रहा है, उस पर आक्षेप आ रहा है।

इसलिए हम आपके माध्यम से यह जानना चाहेंगे, दो सवाल हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं के लिए कोई एक मापदण्ड होगा या दूसरा मापदण्ड होगा? शरदपवार के लिए एक मापदण्ड, माधवराव सिंधिया के लिए एक मापदण्ड, वी.सी. शुक्ला के लिए एक मापदण्ड, लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए एक मापदण्ड और दूसरे लोग अगर कोई वहां आयेंगे तो

दूसरा मापदण्ड अख्तियार किया जायेगा। मैं एक मशहूर वाक्य इस सदन में रखना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा, जब बोम्मई साहब का नाम आया था, उन पर चार्जशीट दायर नहीं हुई थी, लेकिन उनके नाम का सिर्फ डायरी में जिक्र हुआ था और अखबारों में चर्चा छपी थी तो कहा गया, जब जनता दल के अध्यक्ष पद से उनको हटाकर जो व्यक्ति आसीन हुए तो उन्होंने कहा कि हवाला ने जनता दल का अध्यक्ष पद मेरे हवाले कर दिया। हम उसी बयान को याद कराकर कहना चाहते हैं कि क्या होगा, सार्वजनिक जीवन में और जब अपने ऊपर बात आयेगी, तो कहा जायेगा कि हम सड़क पर निबटेंगे। कहा जायेगा कि हम देख लेंगे, किसको देख लेंगे? सड़कों पर देखा जा रहा है। हम भी थे और समता पार्टी के सैंकड़ों लोग थे, हम लोगों पर पटना की सड़कों पर बुरी तरह लाठी प्रहार हुआ है। लाठी खाने के लिए लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष होगा, उसमें इस देश की जनता पीछे नहीं रहेगी।

इस देश में एक बार नहीं, अनेक बार ये अवसर आये हैं, कोई भी व्यक्ति, जो सत्ता में बैंठा हुआ है, उसने यह सोचने की कोशिश की और यह जतलाने की कोशिश की कि हम संविधान, कानून और लोकतंत्र सब के ऊपर हैं, मेरे बिना यह देश नही चल सकता हैं, प्रदेश नहीं चल सकता है तो जनता ने उनको धूल चटाई है। इसलिए हम उस बात में नहीं जाना चाहते हैं, जनता अपना फैसला देगी, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शुद्धता के लिए क्या एक मापदण्ड अख्तियार किया जायेगा या दोहरा मापदण्ड अख्तियार किया जायेगा और अगर कोई व्यक्ति अनुमति के बाद भी चार्जशीट दायर किये जाने के बाद भी क्या इस्तीफा करने से इंकार करेगा और कहेगा कि हम जेल से फाइल करेंगे और सरकार चलाएंगे तो क्या केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं बनेगा। उस स्थिति में केन्द्र सरकार की क्या कार्रवाई होगी और आज केन्द्र सरकार मूकदर्शक नहीं बने रह सकती हैं, क्योंकि जिस पार्टी के इस सरकार के मुखिया हैं, उसी पार्टी से सम्बन्धित ये सारे मामले हैं। उनकी पार्टी के ज्यादातर लोग उसमें फंसे हुए हैं। वैसी स्थिति में सरकार को चुप बैठ करके नहीं, सदन के नेता रामविलास पासवान जी हैं, इन्होंने पटना में जाकर के कहा है कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल हुई है।

हम लोगों का सौभाग्य है कि अब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी चीज का और इस तरह की घटनाओं का संरक्षण नहीं करेंगे। अब उनके मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य पर मामला है। कितने दिन में औपचारिकता पूरी होगी, कागज राष्ट्रपति जी के यहां पहुंचे या नहीं पहुंचे? इसके बारे में क्या हो रहा है, ये जवाब देंगे, लेकिन अपना रुख यहां पर साफ स्पष्ट करें कि ऐसे मामलों में उनका क्या रुख होगा? क्योंकि एक प्रधानमंत्री के नाते भी इनका दायित्व है और दूसरी बात है कि आपका दोहरा दायित्व हैं, क्योंकि मसला जिससे सम्बन्धित है, वे आपकी पार्टी से ही सम्बन्ध रखते हैं और आज देश भर में लोगों का, वाम मोर्चा का बयान आ चुका है, हम किसी पर कोई आक्षेप चाहते, लेकिन जितनी पार्टियां संयुक्त मोर्चा में हैं, उनके भी कई नेताओं के बयान आ चुके हैं। हम लोग तो विपक्ष में बैंठे हुए हैं। हम लोग तो बयान दे ही रहे हैं और यह मांग भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या एक व्यक्ति की रक्षा के लिए सब कुछ ताक पर रखा जाएगा, जबकि इस वर्ष हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला दिन होगा। इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे कोई आज अपने को जितना भी ताकतवर समझे। अगर इन लोगों में बहुत हिम्मत है और जनता के बीच जाकर फैसला करना चाहते हैं तो जनता के बीच चला जाए और इस बात का फैसला हो जाए ...... *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हो जाए फैसला, हम तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप धैर्य रखें।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन आपने सदन में इस बात को उठाने की इजाजत दी है तो यहां पर भी इस बात का फैसला होना चाहिए........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें।

श्री नीतीश कुमार : मैं आखिरी जुमला कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां बार-बार कहा जा रहा है कि चार्जशीट दायर होने पर और मुकदमा चलाने पर ही कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता। कानूनी दृष्टिकोण से यह ठीक है, लेकिन क्या एक राज्य का मुखिया यह बात कहेगा कि चार्जशीट दायर होने के बाद हम दोषी नहीं हैं और राज चलाएंगे, तो फिर जितने भी अंडरट्रायल प्रिजनर इस देश की सारी जेलों में बंद हैं, क्या उनको यह समझकर छोड़ दिया जाएगा कि जब तक किसी पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता, या उनका क्राइम करने के बाद थाने से जमानत मिल जाएगी? चूंकि संविधान एक बात की गांरटी देता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो इसलिए कानून का तकाजा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का तकाजा है। आप संविधान के रखवाले भी हैं और इस सदन के संरक्षक भी हैं इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस असामान्य परिस्थिति में आपने इस बात की चर्चा की इजाजत दी है, मैं आपको जहां धन्यवाद देता हूं वहां आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि इस सवाल पर कानून से ऊपर उठकर, कानून की स्प्रिट में जाकर संविधान की मूल भावना में जाकर आप जरूर कुछ निर्णय लेंगे। जो आगे आने वाले दिनों में सार्वजनिक जीवन के लिए मापदंड प्रमाणित होगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, अटल जी ने, नीतीश जी ने और कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात को यहां रखा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जनता दल के नाम जरूर बदल गए, लेकिन हम लोग वही पुराने हैं। 1942 के अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन में जो संग्रामी थे, वे हमारे पुरखे थे। अटल जी ने अपनी पार्टी के आदर्शों की बात कही। हमारी पार्टी के आदर्शों को अगर मैं गिनाने लगूं तो बहुत वक्त लग जाएगा।

अध्यक्ष जी, जब इस देश में आपातकाल लगा था तो हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की हत्या करके इस सदन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। स्वर्गीय मधु लिमये और मेरे जैसा अदना आदमी जो उस वक्त भी यहां था, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा था कि आपको यह हक हासिल नहीं कि पांच साल का कार्यकाल जो लोक सभा का बना है उसको छः साल कर दें। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हवाला प्रकरण में जब हमारी पार्टी का नाम आया तो अटल जी मुझे माफ करना, सबके नाम आपने लिए, लेकिन मैं ही एक ऐसा बदकिस्मत हूं कि हर बार छूट जाता हूं। मुझे चार्जशीट भी नहीं मिली थी, लेकिन आपकी अदालत में इस मामले में मैं सबसे पहला आदमी था जिसने यह कहा था, जिस डायरी में मेरे नाम के आगे पांच लाख रुपये लिखे थे, पांच लाख रुपये नहीं लेकिन तीन लाख रुपये लेकर कोई जैन चिमन भाई के साथ मेरे पास आया था। मैं नहीं जानता कि यह वही जैन है या नहीं। आपकी अदालत तो कागज की है, पत्थर की अदालत में भी शरद यादव इस बात को कहेगा। जनता दल का मैं पहला आदमी था, आडवाणी जी ने नहीं माना था, किसी और ने भी नहीं माना था। ......*(व्यवधान)* राजेश पायलट ने माना था और राजेश पायलट और हम एक ही तकलीफ और दर्द के गुजरे हुए लोग हैं तथा एक आदिवासी नेता हैं जिन्होंने पचास हजार माना था ....*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : क्योंकि उन्होंने लिया था ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

............*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : यह जो आज भ्रष्टाचार की बहस है...... *(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : आप क्या बात करते हैं?..........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां लड़ाई नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए।

..........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको आपस में बात करना है तो बाहर जाकर करिए।

............*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

................*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि आडवाणी जी सबसे पहले व्यक्ति थे कि जब चार्जशीट उनको लगी तो उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने विचारों के प्रति उनकी जो आस्था और निष्ठा है, मैं उसके प्रति आदर रखता हूं। उस विचारधारा के प्रति मेरा मत-भेद भी है लेकिन मत-भेद नहीं है। हवाला प्रकरण के चलते पूरे देश में उस पर बहस बढ़ी है और यह बात ठीक है। देश में यह बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज होना चाहिए। इस पर पूरी बहस होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि खण्ड-खण्ड में बहस होती है। लक्ष्य बना-बनाकर एक-एक आदमी के बारे में बहस होती है। वह भी होनी चाहिए। लेकिन सम्पूर्ण बहस होनी चाहिए। सम्पूर्ण बहस नहीं होगी तो यह बीमारी के लक्षण ऐसे हैं कि हम लोग नाली को साफ नहीं करते हैं लेकिन मच्छरों के ऊपर फिलट करने का काम करते हैं। हम करें, यह भी जरूरी है। तात्कालिक तौर पर यह भी जरूरी है। लेकिन जड़ में जाकर हमको इस बात की भी तहकीकात और बहस करनी चाहिए। सदन में चार-पांच दिन का सत्र लगाना चाहिए और इस पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिए कि हमको इससे निजात कैसे मिलें? इसकी भी बहुत जरूरत है। हवाला वाले मामले में आडवाणी जी ने और फिर उनके तत्काल बाद हमने यह भी बात कही कि मैं सदन का नेता नहीं होता तो एम.पी. से कभी इस्तीफा नहीं देता। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं। लेकिन देश मुझको नहीं जानता। नीतीश जी जो कह रहे थे कि मैंने सब बातें कहीं। मैं कहूंगा कि लोक राज लोक लाज से चलता है। इसके बाद पार्टी के भीतर जब यह मामला आया तो किसी ने यह मामला नहीं उठाया। हमारे अध्यक्ष आदरणीय एस.आर. बोम्मई जी ने अकेले यह बात नहीं कही। उन्होंने यह कहा कि मैं उस मीटिंग में भी नहीं बैठूंगा। इस पर विचार करो और मेरे इस्तीफे पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने पहले इस्तीफा देकर ठीक नहीं किया। लेकिन जब तुमने दिया है तो मेरी मोरल रैस्पांसिबिलिटी है कि अब पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। यह मीटिंग राष्ट्रीय समिति की थी और हमारी जो पी.एस.पी. की सर्वोच्च समिति है, अध्यक्ष के रहते हुए कोई अध्यक्ष नहीं था। सारे लोगों को छोड़ दिया और फिर सारे लोगों से कहा कि मैं इस पर नहीं रहना चाहता। किसी ने फोर्स नहीं

किया था। आदर्श के लिए इस्तीफा दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर भी पूरी बहस करो। लेकिन भ्रष्टाचार पर सम्पूर्ण बहस होनी चाहिए। तीन क्षेत्र हैं, जो इस देश की व्यवस्था को चला रहे हैं– विधायिका, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी...... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, ये तीनों ही 50 साल से इस देश को चला रहे हैं। मैं इनकी दूसरी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनसे मिले बगैर हिन्दुस्तान की सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं लूटी जा सकती। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि एक कमीशन बन जाए। ये जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई तो उनको जलाने के लिए साधन नहीं थे। आप अपने पूर्व अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि मृतक को उसके परिवार के पास पहुंचाने के लिए पैसा नहीं था। भ्रष्टाचार की बहस करते-करते ऐसा न करें कि जो सच्चे लोग हैं उनको हम पर्दे में डाल दें और जो सब गन्दगी है उसका हम हमेशा जिक्र करते रहें। सच्चाई और भ्रष्टाचार का भी जिक्र होना चाहिए, दोनों पहलुओं का जिक्र होना चाहिए।

अध्यक्ष जी, इस सदन में मैं आपसे करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। एक जांच कमीशन नहीं बल्कि एक सर्वे कमीशन बिठाया जाए। 50 साल से तीन बार इन तीनों अंगों के जो लोग हैं उनकी अचल सम्पत्ति नहीं, चल सम्पत्ति की जांच करके एक्सरा हो और उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाए। फिर जांच हो जाए कि कौन लोग हैं। मैं नहीं कहता कि उनका दबा हुआ माल नहीं पकड़ सकते, कोई इंक्वायरी मत करिए, सिर्फ जांच करिए कि मकान कितने हैं, फार्म हाउस कितने हैं? उनके नाम पर करिए, उनकी पत्नी के नाम पर मत लगाइए। आफिसर, जज और विधायक, मतलब एम.पी. और एम.एल.ए. की जांच हो जाए और एक्सरे रिपोर्ट यहां रख दी जाए। सात दिन का सत्र बुलाया जाए। इसके लिए मैंने बहुत से सांसदों के दस्तखत कराए हैं उसे मैं आपके पास पहुंचाने वाला हूं। इस खंड–खंड बहस से हिन्दुस्तान के भ्रष्टाचार के पाखंड का कोई इलाज नहीं निकलेगा। हम लोग तो एक-दूसरे के बारे में पर्दा उठा देते हैं, हमारा एक्सरे हो जाता है लेकिन बहुत से लोग हैं जो छिपे हुए हैं, जिनका एक्सरे नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष जी, यदि भ्रष्टाचार को ठीक करना है तो सब को समान तौर पर रख कर बहस हो और सात दिन का सत्र बुलाएं। इससे बड़ी बीमारी इस देश में कोई नहीं है। मैं इसको भारी बीमारी मानता हूं, यह कैंसर की तरह है। यह इस देश को नीचे ले जा रही है, रसातल पर ले जा रही है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय राजीव जी ने जो कहा था उनसे सहमत हूं। मैं जानता हूं कि 15 फीसदी में से पांच फीसदी पैसा आदिवासी इलाकों में गरीबों के पास पहुंच रहा है। ये लोग कौन हैं? इसकी बहस होनी चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए। हम सब लोग एक-दूसरे के बारे में बोलते हैं। अटल जी के बारे में मैं कह दूंगा और हम लोगों के बारे में वह कह देंगे। हम सब लोग तो एकाउंटेबल हैं। हमको हर पांच वर्ष के बाद जनता के पास जाना पड़ता है, इससे बडी सजा हमको और कोई नही मिल सकती। लेकिन हिन्दुस्तान के राजनैतिक जीवन की जो विश्वसनीयता है वह यदि खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा और वह विश्वसनीयता इतनी कमजोर नहीं हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अंतुले साहब 14 साल तक बैठे, उस आदमी की जिन्दगी को ब्लाक करने का काम किया गया। अध्यक्ष जी, यह सार्वजनिक जीवन बड़ी मुश्किल से बनता है, एक दरख्त बड़ी कठिनाई से खड़ा होता है। वह पांच मिनट में काट कर गिराया जा सकता है। इसलिए सावधानी से बहस हो। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टचार पर बहस न हो। अटल जी ने जो सवाल उठाए, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी तो सी.बी.आई ने इतवार को खबर दी है, हम इन लोगों के ऊपर चार्जशीट देंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि अनुमति मांग ली, यह सरकार बताएगी। लेकिन इसमें कहा जाता है इनकी ही सी.बी.आई., सी.बी.आई. हिन्दुस्तान के चांद से नहीं आई, अमेरिका से नहीं आई, यहीं से आई है।

इस सदन में सब लोग बैठे हैं और इस सदन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी लड़ाई लड़ी है देश में और किन्ही लोगों ने नहीं लड़ी है। यहां चन्द्रशेखर जी बैंठे हैं इनका नाम और यश भ्रष्टचार के मामले उठाने में ही आया है। दादा जब से यहां हैं तब से मैं भी यहां हूं। इस सदन ने जितने मामले उठाए उनका हम कोई इलाज नही कर पाए हैं, इनका इलाज होना चाहिए। सी.बी.आई. 24 तारीख को कहती है कि इसमें पक्के साक्ष्य नहीं हैं। योगिन्द्र सिंह जो इसके हैड हैं वे 15 तारीख को कलकत्ता में प्रैस-कांफ्रेंस में कहते हैं कि इसमें समय लगेगा। यह उनका अधिकार है। मैं इस पर एतराज नहीं करता हूं। मैं वही कहता हूं जो आप कहते हैं।

अध्यक्ष जी, इस कांड की सच्चाई और अच्छाई के बीच में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में वर्ण-व्यवस्था है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : शरद जी, आप वर्ण-व्यवस्था को इस मामले में धार क्यों बनाना चाहते है...... *(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : चाहे इसे हिन्दुस्तान की अच्छाई कहिये या बुराई कहिये लेकिन कास्ट-सिस्टम ही यहां का असली सिस्टम है बाकी सब नकली सिस्टम हैं। लेकिन उसकी पीड़ा और तकलीफ से जो लोग गुजरे हैं वे जब बोलते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि तुम जात-पांत वाले हो। हजारों साल से ये लोग मिट्टी तोड़ते रहे, सब्जी उगाते रहे, खेत में जुटे रहे। लेकिन यह किसको पसंद है? हम भी चाहते हैं सितार, गिटार, सरोद, गाना-बजाना, लिखना-पढ़ना, इज्जत-हैसियत आदि-आदि। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी इतिहास बने। हम भी इंसान की संतान हैं लेकिन हमारा क्या कहीं इतिहास में जिक्र है? मैं कहना चाहता हूं कि यह हकीकत है लेकिन इस देश में हर आदमी कहता है कि

जात-पांत की बात मत करो लेकिन उसे जात-पांत करने दो। अगर जात-पांत बुरी है तो इसको तोड़ने का काम क्यों नहीं करते हो? क्या हम जिंदगी भर गाय ही चराते रहेंगे। हम खुद कहना चाहते हैं कि हम इससे अपनी मुक्ति चाहते हैं। जात टूटती है तो इससे हमको लाभ है। हमारे और अटल जी के बीच में रिश्तेदारी हो जाए तो हमारा हित होगा, इनका हित नहीं होगा. .....*(व्यवधान)* लेकिन इनमें और हममें क्या अतंर है। सदन इस पर विचार क्यों नहीं करती है कि इस जात-पांत की व्यवस्था को टूटना चाहिए। हम सभी इससे सहमत हैं कि यह एक रोग है।. .....*(व्यवधान)* सब लोग इससे पीड़ित हैं ....*(व्यवधान)*

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं शरद जी से कहना चाहता हूं कि वे हमसे हाथ मिलाएं, अटल जी से बाद में कहिये, पहले हमसे कहिये। मैं अुनसूचित जाति का हूं, आप हमसे रिश्तेदारी करिये, इसके लिए मैं तैयार हूं......*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : इनकी बात मैं मानता हूं कि पिछड़ी जाति में शुद्र का अति-शुद्र के साथ व्यवहार समान नहीं है। यह आपकी ठीक बात है। हम भी आपसे रिश्तेदारी करने में हिचकेंगे। यह आप सही कह रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : आप भी मनुवादी हो गये ना।

श्री शरद यादव : जो भी मनुवादी है वह कास्ट–सिस्टम का शिकार है..........*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपने इतिहास का सवाल उठाया, आपका नाम कहां है? श्री कृष्ण चन्द्र यादव थे, यदुवंशी थे। वे इतिहास और भारत की परम्परा तथा संस्कृति में महान् थे। इस देश की संस्कृति और परम्परा में उन्हीं लोगों के नाम हैं। *रामायण के रचयिता महर्षि बाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेद व्यास कौन थे? ये दोनों ब्राह्मण नहीं थे।* उपनिषदों और वेदों के रचयिता अनेक ऋषि गैर–ब्राह्मण थे। यदि आप इस देश की शिक्षा और एडम की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस देश में किसने क्या किया है। इतिहास में आपका नाम उज्ज्वल अक्षरों में लिखा हुआ है। आपको इससे सीखना चाहिये और आपको इतिहास मालूम होना चाहिये।

श्री शरद यादव : मैंने आपकी बात सीखनी है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : तो सीखिये।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने जोशी जी की बात सुन ली........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विषय क्षेत्र से बाहर है।

..................*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शरद जी कृपया विषय पर ही बोलिए।

..................*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी बहस नहीं है।

................*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मैं सभा अध्यक्षता कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जोशी जी ने ठीक कहा जिससे मैं सहमत हूं। लेकिन आज हकीकत यह है कि इस देश की एक्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी में 52 प्रतिशत लोगों में से केवल 2 प्रतिशत ही पिछड़े हैं। आप यह हकीकत मत भूलिये। इस देश की ज्युडिशियरी में 70 फीसदी लोग ऊंचे तबके के हैं जो कभी हाथ से काम करने को गुनाह मानते हैं। इस हिस्सेदारी के लिये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम रुकेंगे नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

.............*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मुझे देखने दीजिए। आप बार बार खड़े हो रहे हैं। यह क्या है?

............*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या भ्रष्टाचार में इनकी जिम्मेवारी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : *मंडल जी, आज आप दस बार खड़े हो चुके हैं।*

.................*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, मेरी बात सुनिए। आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते । आप आज दस बार उठ चुके हैं। सदन में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कृपया अनुशासन में रहिए। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, लगता है मेरी बात से इन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुये अंत में यही कहूंगा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। हमारे हलक में जब तक सांस है, तब तक इस बात को छोड़ेंगे नहीं। हमारा बस चला तो इस जाति-व्यवस्था का सर्वनाश करके मरेंगे। अध्यक्ष जी, अटल जी और श्री नीतीश जी

ने सरकार से पूछा है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का सीधा वास्ता इस बात से है, इसलिये हम लोग ज्यादा चिन्तित हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। यह सदन इस बात का गवाह है कि इस घोषणा के पहले कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब बिहार के इस चारा घोटाले के बारे में जिक्र न किया गया हो। इस सदन में हम लोगों ने 55 हजार करोड़ रुपये के घोटालों को उठाया है और वे चले गये लेकिन आजकल इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। न इधर के लोग और न उधर के लोग ही करते हैं। हमने तो सिक्यूरिटी स्कैम, टेलीफोन स्कैम, गोल्ड स्टार स्कैम और यूरिया स्कैम तथा ऐसे बहुत से मामलों को उठाया लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार इस पर अपनी व्यवस्था दे।

अध्यक्ष महोदय, सरकार व्यवस्था दे........*(व्यवधान)* आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। इन्साफ और न्याय की दृष्टि खत्म नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास जानकारी है। वह ऑलमाइटी है। अभी तो सिर्फ इतवार को घोषणा हुई है। इसमें अदालत का सीधा आदेश यह था कि इसे प्रेस में सीधे नहीं लाया जाएगा। अदालत का आदेश था कि कोई डाकुमैंट कहीं नहीं जाएगा। अटल जी के पास बकायदा वह डाकुमैंट पहुंच गया। श्री लालू यादव को एक्यूज्ड किया गया। उन्होंने उसको 24 नवम्बर को प्रधानमंत्री के पास पत्र द्वारा पहुंचा दिया। जो जांच एजेंसी की सिकरेसी हैं, जो उसकी निष्पक्षता है, वह अटल जी के हाथ में कैसे पहुंच गई? यदि वह पहुंच गई है तो एक काम और करना चाहिए कि जो उनके पास डाकुमैंट पहुंचा है, उसकी जांच करायी जाए। अदालत का यह कहना था कि यह पैरा सार्वजनिक नही होना चाहिए और पब्लिक के बीच पहले नहीं जाना चाहिए। आप तरीके से इसकी इनक्वायरी कराएं। ये सब कैसे खुलता रहा और ओपन होता रहा? अभी तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है लेकिन आपने पहले ही इस तरफ इंगित कर दिया और उन्हें पहले ही सजा दे दी। असली सजा तो जनता देती है लेकिन आपने उसे पहले ही घोषित कर दिया। वहां कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। आज बिहार में हमारा राज है लेकिन वहां कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। मेरी सरकार से अपील और निवेदन है कि वह स्थिति को स्पष्ट करे। आज हम सब भी अंधेरे में हैं। जिस बात को आप खुद कह रहे हैं, मैं खुद ही उसकी सरकार से मांग करता हूं कि वह इन सब चीजों को बताने का कष्ट करे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आज भ्रष्टाचार पर जो बहस खंड-खंड में हो रही है.........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूँगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अगर आपकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार का पाखंड खत्म करने का काम हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। मैं इस पर विचार करूँगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष जी, सच्चाई यह है कि अब बोलने में शर्म लगने लगी है। इस सदन में कई बार ये चर्चाएं उठती हैं और हम सब बहुत हल्के ढ़ंग से इन बातों को खत्म कर देते हैं। मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि हमें ऐसी बातें कहते हुए शर्म लगने लगी है। हम इस सदन में देश की समस्याएं जैसे –गरीबी, बेरोजगारी दूर करने के बारे में बात करने के लिए चुनकर आते हैं लेकिन ज्यादातर समय हम सब यहां बैठकर यह जिक्र करते रहते हैं कि इसने यह कर दिया, भ्रष्टाचार यूं बढ़ गया, भ्रष्टाचार उसने कर दिया। आज इसका जिक्र संसद में होना भी हमारा दुर्भाग्य है, कम से कम नौजवान पीढ़ियों के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सदन में वे हस्तियां रही हैं जिन्होंने इस बात का मौका नहीं आने दिया कि सदन में ऐसी बातें की जाएं। मेरे से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश जी और शरद यादव जी बोले। मैं इन सब की भावना देख रहा था। इनकी भावना एक थी – चाहे वह जिस रूप में कही गई लेकिन अटल जी ने दिल की जो भावना कही है, उसे अपने आप को जोड़ते हुए यही सही रूप में कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों की इज्जत इस देश में इतनी गिर गई है कि इस ड्रैस को पहनकर बाहर जाते हैं तो लोग अपने मन में दुबक-दुबक कर गालियां देते हैं। इस सदन् में एक दिन वह आ जाएगा जब लोग खुलकर सड़क पर गालियां देने लगेंगे। आज इस बात पर सोचने का वक्त है और पार्टियों से ऊपर बैंठकर सोचने का है। आज देश की मर्यादाओं, परम्पराओं का सवाल है। इस देश की कुछ पराम्पराएं और मर्यादाएं रही हैं। हम विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में ऐसा होता है। जब फिलिपाइन्स में करोड़ों के घोटाले होते थे तो हिन्दुस्तान का नाम लिया जाता था और कहा जाता था कि वहां एक डैमोक्रेसी है जहां ऐसा नहीं होता है। इस देश की कुछ मर्यादाओं को हमने दुनिया में स्थापित किया था। आज हम उन मर्यादाओं को छोड़ कर चल रहे हैं। हम अगली पीढ़ी के लिए यही सबक छोड़ कर जा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से यह कहता रहा हूं कि आज देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसे हम दूर करें। खास तौर पर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को देश की जनता के सामने उदाहरण देकर इस साबित करना चाहिए। हम इसे बढ़ने न दें। अगर हम ही आर्गूमैंट करने लगेंगे तो कैसे इसे दूर कर पाएंगे?

आज नीतिश जी ठीक कह रहे थे कि एक आम आदमी और लीडर में क्या फर्क है? अगर वे कोर्ट में इन्साफ की बात करेंगे और आम आदमी भी कोर्ट पर डिपैंड करेंगे तो हम नेता किस बात के हैं। हमारा कोर्ट पब्लिक परसैप्शन है। हमारी कोर्ट जनता है। जनता का क्या हाल है और उसकी क्या आवाज है, जनता क्या समझती है, यही पॉलिटिकल आदमी की जिन्दगी होती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

कोर्ट की क्लियरेन्स नहीं हुआ करती। कोर्ट किसी को ईमानदार साबित कर सकती है मगर जनता अगर किसी को बेईमान समझती है तो वह कभी ईमानदार नहीं बना करता है। यह देश की परंपराएं रही हैं।

मैं आज आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं। आज मैं उपवास पर हूं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। किसान लोग राजघाट पर बैठे हैं। पता नही कितने लोग आए हैं, सौ आए हैं या दो सौ आए हैं। गांवों में चर्चा चल रही है कि देश कहां जा रहा है। जब किसान मजदूर महापंचायत परसों हुई तो हमारे सामने यही चारा था कि महात्मा गांधी की समाधि पर उपवास करेंगे, मौन व्रत करेंगे, बैठे रहेंगे और इस देश के लिए चिन्ता जाहिर करेंगे। ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग अगर सही फैसला नहीं करेंगे तो जनता इस वक्त चिन्ताएं ही जाहिर कर सकती है लेकिन याद रखना, अगर हम भूल गए तो जनता नहीं भूलेगी, जनता सड़कों पर आकर इंसाफ करेगी पर इस देश को नीचा नहीं देखने देगी। यह मेरी भावना लोगों के बारे में है। इस मौके पर सबने अपनी अपनी बात कही है। मैं चाहता हूं कि पार्टियों से ऊपर उठकर देश में एक संदेश जाए। या तो इस बात की चर्चा सदन में नहीं होती, लेकिन आज सदन में चर्चा हुई है तो एक संदेश देश को जाना चाहिए कि सदन इस बात से बहुत चिन्तित है। वेल्यू बेस्ड पोलिटिक्स के नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है और हमारे इंस्टीट्यूशन्स का स्तर गिर रहा है। शरद जी ने ठीक कहा कि इस देश के इंस्टीट्यूशन्स ही थे जिन पर हमें गर्व है और जिन इंस्टीट्यूशन्स ने इस देश की मर्यादाएं रखी हैं। आज उनमें कमजोरी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। इन्होंने पहले दिन बयान में कहा था और यहां भी बोले, तब भी कहा था कि अगर इस देश के इंस्टीट्यूशन्स कमजोर हो जाएंगे तो इस देश की डेमोक्रेसी को कोई मजबूत नहीं कर पाएगा। इंस्टीट्यूशन्स हमारी फाउंडेशन रहे हैं। आज उन इंस्टीट्यूशन्स में गिरावट आ रही है। सरकार को उस ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन्स को कैसे मजबूत किया जाए, खासकर वह इंस्टीट्यूशन्स जो सरकार के कंट्रोल में हैं। ये इंस्टीट्यूशन्स कहां होंगे? शरद जी की भावना सही थी और अटल जी ने बीच में कहा कि आज सी.बी.आई. इनवेस्टिगेशन करती है तो उस दिन से अखबार भरने शुरू हो जाते हैं। पहले भी सी.बी.आई. इनवेस्टिगेशन होती थी, हम लोग भी मंत्री रहे हैं। अगर शरद जी के मन में है कि सी.बी.आई. ने गलत फैसला किया है तो आप चुनी हुई ऐक्जीक्यूटिव हैं। आप फैसला कीजिए कि सी.बी.आई. का काम ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत तो करिये। आप हिम्मत भी नहीं करोगे, ऐक्जीक्यूटिव के रोल को भी अदा नहीं करोगे और फिर इंस्टीट्यूशन्स को कमजोर करते रहेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहां इनवेस्टिगेशन हुई है, लेकिन सरकार ने एक रुख अपनाया है। मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं 1952 और 1957 में ऐसे केस हुए हैं जहां सरकार ने फैसला लिया। इनवेस्टिगेशन हुई हैं और उसके बाद देश के हित में फैसले हुए हैं। लेकिन आप फैसला नहीं करेंगे, ऐक्जीक्यूटिव को भी बदनाम करेंगे, देश के इंस्टीट्यूशन्स को बदनाम करेंगे और अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस देश में गड़बड़ी तब हुई जब इंस्टीट्यूशन्स फैसले लेने क्योंकि ऐक्जीक्यूटिव फैसले नहीं ले रही थी। जब ऐक्जीक्यूटिव ने फैसला नही लिया तो अपनी-अपनी मर्जी चलने लगी। आज ज्यूडीशियल ऐक्टिविज्म की बात होती है। ज्यूडीशियरी ऐक्टिव हुई जब ऐक्जीक्यूटिव फेल हो गई, जब उसके नेतृत्व ने देश को कोई दिशा नहीं दी, तब दूसरे इंस्टीट्यूशन्स आगे बढ़े। आज मेरी सारे सदन से अपील है कि पार्टी से ऊपर उठकर सदन में एक बात जानी चाहिए, देश और विदेश में बात जानी चाहिए कि इस देश की पोलिटिकल पार्टीज कुछ मर्यादाओं को निभाती हैं। यहां सब अपनी अपनी पार्टियों से एफिलियेटेड हैं, लेकिन देश के लिए सब एक हैं। मैं कांग्रेस का हो सकता हूं, अटल जी बीजेपी के हो सकते हैं, शरद जी जनता दल से हो सकते हैं। हमारी विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन देश के हित में हमारी विचारधाराएं एक होनी चाहिए। इसके लिए मैंने बैठे बैठे दो लफ्ज का एक रेसोल्यूशन बनाया है। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर सदन में सदस्य मानें तो इसे पास कर दें। नहीं करें तो आपकी मर्जी है। मैं अपनी जुबान से कह ही सकता हूं–

[अनुवाद]

> इस सदन के हम सभी सदस्य, चाहे किसी भी राजनैतिक पार्टी से संबद्ध हों, इस देश में मूल्य आधारित राजनीति के अवमूल्यन तथा सरकार में, संस्थाओं में प्रत्यक्ष गिरावट से चिंतित हैं। हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे विगत में स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिज्ञों द्वारा स्थापित परम्परा को बनाए रखें। यदि प्रत्येक व्यक्ति इसे अनुमोदित कर देता है। तो यह संदेश पूरे राष्ट्र में प्रसारित कर दिया गया................*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस बारे में कहिए............*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष जी ने शुरू में एक बात कही कि आज की बहस का स्तर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि देश की चिन्ता प्रकट हो।.......*(व्यवधान)* मैंने खुद कहा है और कल भी बयान में कहा था जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं जेल में भी चला जाऊंगा तो इस्तीफा नहीं दूंगा, तब मैंने नौएडा में ही रिऐक्ट किया था कि यह हमारे प्रजातंत्र पर एक बहुत बड़ी चोट है। ऐसी चोट प्रजातंत्र पर नहीं होनी चाहिए।

यह मैंने कहा है। लेकिन आज वैल्यू बेस्ड पालिटिक्स को ऊपर उठाना है। इसलिए जो मैने सुझाव दिया है, उसे माना जाए। मैं नेता, विरोधी दल श्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधान मंत्री जी से सहमत हूं। यह चिन्ता देश के सामने जानी चाहिए तभी देश में एक संदेश जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, आज सदन जिस बात से चिन्तित है, देश भी उसी बात से चिन्तित है। पूरा देश आज इस सदन को देख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता, हमारे मोर्चे में शामिल सी.पी.आई. के नेताओं ने जिन सवालों को उठाया है, वह सबसे बड़ा और गंभीरता का मामला है। यहां हमारे देश के प्रधानमंत्री बैंठे हैं। बोलने की परंपरा तो सब की है और जो लोग इस सदन में आते हैं वे सब बोलते हैं, लेकिन यह बोलना कि हम केन्द्र को मटियामेट कर देंगे, ठीक नहीं है। ऐसे सवाल जब देश में कोई व्यक्ति उठाए और जब हमारे बीच में यहां देश के प्रधान मंत्री बैठे हैं और विरोधी दल के नेता से लेकर सारे देश के सर्वोच्च नेता बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस सवाल पर भी इस देश के प्रधान मंत्री जरूर चिन्तित होंगे........*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन में गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए........*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है.........*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, ये शासन और प्रशासन को मटियामेट करने की बात कर रहे हैं.......*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने सिर्फ चिन्ता जाहिर की है देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैंने चिन्ता जाहिर की है देश के विरोधी पक्ष के नेता के लिए और मैंने चिन्ता जाहिर की है इस सदन में बैठे हुए सभी नेताओं के लिए कि केन्द्र को अगर इतनी बड़ी चोट पहुंचेगी, तो हिन्दुस्तान नहीं बचेगा। आज जिस तरह से बात कही गई कि केन्द्र को मटियामेट कर दिया जाएगा और यदि हमारे जैसे लोग बोलकर सदन से बाहर जाएंगे, तो बिहार राज्य में तो मटियामेट होना ही है, इस बात को जान लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो सवाल रखना चाहता हूं। इस समय जो इस मोर्चे के मंत्री श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा जी हैं, सवाल उनका नहीं है, जिस वक्त का यह मामला है, ये उस वक्त प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। यदि उस वक्त ये राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तो यह सवाल राज्य से जुड़ता है और आज हमारे मंत्रिमंडल के साथ ये हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है। उन मंत्री के साथ हमारा मौर्चा क्या करेगा, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य के हालात हैं, पिछले तीन दिन से हम बराबर देख रहे हैं, वे ठीक नहीं है। कही वायलेंस नहीं हो रही थी लेकिन सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले किसी व्यक्ति द्वारा यह कहना और टी.वी. पर और सारे देश में यह बयान देना कि हमने अपने लोगों को कह दिया है कि कोई वायलेंस नहीं करना है, इसका क्या मतलब है? क्या वायलेंस करना है। यह वायलैंस कहीं नहीं हो रही थी। सदन में भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, तो फिर सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा यह कहना कि वायलेंस नहीं करना है......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य का सवाल है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यहां आप देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ हुए हैं, सारे देश की आशाएं आपसे जुडी हुई हैं और सारे देश की निगाहें आपके ऊपर केन्द्रित हैं और आपके जरिये हमारे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। हम जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा दायित्व है कि हम उस राज्य के सवाल को आप तक पहुंचाएं........*(व्यवधान)*

हम किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें राज्य की चिन्ता है और जिस मोर्चे में हम शामिल हैं, उस मोर्चे के सदस्य होने के नाते, मुझे भी चिन्ता है। इसीलिए मैं, चाहता हूं कि सी.बी.आई. के बारे में जो कह रहे हैं......*(व्यवधान)*

उन्होंने कहा कि......*(व्यवधान)* श्री जोगिन्दर सिंह ने एक बयान और दिया.........*(व्यवधान)* जोगिन्दर सिंह ने एक बयान और दिया कि मैंने इसलिए समय मांगा था या मैंने इसलिए कहा था ताकि यह मामला तुरंत न चला जाये। किसी की नजर हमारी ओर न हो और हम चुपचाप इस काम को कर पायें......*(व्यवधान)* यह जोगिन्दर सिंह ने कहा था। लेकिन सवाल सी.बी.आई. की बात पर हो या भ्रष्टाचार की बात पर हो। अभी जैसा शरद भाई ने कहा कि एक सप्ताह भ्रष्टाचार पर रख दीजिए और एक सप्ताह बोफोर्स पर रख दीजिये, उसका कही सवाल नहीं है। अलग-अलग बहस पर एक-एक सप्ताह रख दीजिए लेकिन आज पशुपालन के सवाल पर सबकी निगाह है। इस मोर्चे पर जिस मोर्चे के हम सदस्य हैं, उस मोर्चे पर यदि कोई प्रश्नचिह्न या उंगली उठायेगा तो हम चुप नही बैंठेंगे.........*(व्यवधान)* वह इसलिए क्योंकि हम इस सदन के सदस्य हैं और हमको भी बोलने का अधिकार है.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, पूरे राज्य में लाठियां चल रही हैं। पूरे राज्य में पुतले जलाना विपक्ष की मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी है। .....*(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह नैतिक जिम्मेदारी है.....*(व्यवधान)* पुतले किसी के भी जल सकते हैं। कोई भी धरने पर बैठ सकता है और कोई कहीं भी जा सकता है लेकिन राज सत्ता में रहने वाले लोग वहां के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मुखिया चुपचाप बैंठे हैं, मटियामेट कर रहे हैं और प्रशासन के पदाधिकारी वहां हम लोगों का घटियाघट कर रहे है। यह नार्म्स है। यदि केन्द्र को धमकी दी जाती तो राज्य की क्या हालत होगी? इस पर आपको चिन्ता करने की जरूरत है।

मैं अपने प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं कि वे सदन को विश्वास में लेते हुए देश को निश्चित रूप से, यहां सारे नेता बैठे हुए हैं। संयुक्त मोर्चा में सी.पी.आई. और सी.पी.एम. भी सम्मिलित है, सारे दल के लोग इसमें हैं तो सयुक्त मोर्चे की तरफ से देश को यह मैसेज जाना चाहिए कि हम किसी कीमत पर चाहे कितने

भी भ्रष्टाचार के मामले हों, उनको सहायता देने के लिए तैयार नहीं हैं.........*(व्यवधान)* लेकिन जांच की बात करते हैं। सन् 1974 में लालू यादव जी नेता, विरोधी दल के उस समय एक सिपाही के बराबर थे।........*(व्यवधान)* हमारे साथ की आप चिन्ता मत कीजिये.......*(व्यवधान)* जांच की बात करते हैं........*(व्यवधान)* मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं........*(व्यवधान)* हम कुछ नही कहना चाहते..........*(व्यवधान)* मैं सिर्फ मोर्चे के सवाल पर खड़ा हुआ हूं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं......... *(व्यवधान)* मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं.........*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मैं राष्ट्रपति जी और राज्यपाल से कल मिला था कि क्या निर्देश हैं.......*(व्यवधान)* इस सवाल पर मोर्चे ने कितनी कठोरता से निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री इस देश के प्रति कितने चिन्तित हैं और जिस राज्य में कोई नार्म्स नहीं बचा, वहां की जनता समाप्त हो रही हैं, भूखी मर रही है, उसकें लिए प्रधानमंत्री जी चिन्तित हैं या नही? यह इस देश को जानना चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस सदन में उठाए गए प्रश्न पने के संबंध में अपने दल तथा अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है। सभी सदस्यों ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा दी गई रिपोर्ट की गंभीरता के संबंध में पहले ही कह दिया है और वे रिपोर्ट में उल्लिखित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं...........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तर्क करने का स्थान नही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, जैसा कि मैं समझती हूँ।. ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब शांत हो जाइए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें यह सच है और बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसने हम राजनीतिज्ञों को पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमें यह समझना चाहिए। हमें इसका हल ढूंढना चाहिए जिससे कि हमारे कार्य करने के तरीके और हमारी स्थिति से निपटने के तरीके से आज पैदा हुई स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं ईमानदार हूँ या नहीं यह एक अलग बात है। परन्तु हमें ऐसा दिखाना चाहिए यह बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह प्रश्न वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं इसलिए हमारे कार्य करने के तरीके से एक ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए जिससे लोग यह समझ सकें और यह कह सकें कि ये ही वे लोग हैं जो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह 'कोई भी स्थिति' क्या हैं? वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अन्ततः दोषसिद्ध नहीं ठहराया जाता तो प्रत्येक व्यक्ति यही समझेगा कि वह व्यक्ति बिल्कुल सही था और उसके विचार, उसकी प्रतिष्ठा और उसके दल की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी।

पहली बार ही हमारी परीक्षा नही हुई है। इसीलिए अभी हम कोई दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो भविष्य में भी लोग इसे समझ जाएंगे। यदि मेरे विरुद्ध कोई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वास्तविक कार्यवाही अभी भी आरम्भ न हुई हो परन्तु कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं यही कहूँगी कि जब तक मुझे न्यायालय द्वारा इन अरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक मैं जिस पद पर हूँ उस पर नहीं रहूंगी चाहे वह दल के नेता के रूप में हो या मंत्री के रूप में। अधिकारी वर्ग भी हमारे व्यवहार से शिक्षा लेंगे। हम उन्हें अनुशासित भी कर सकते हैं।

इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिसमें सरकार की प्रतिष्ठा तथा सभी राजनीतिज्ञों की प्रतिष्ठा भी कम होने के बजाय बढ सके। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम यह कार्य कर सकते हैं और भविष्य में भी ऐसे मामलों को इसी तरह सुलझाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय शरद यादव से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार की चर्चा खंड-खंड में नहीं होनी चाहिए। हम यह मान लें कि आज पहला खंड शुरू हो रहा है और दूसरा, तीसरा फिर कभी बाद में किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को कहा और मैं उससे भी सहमत हूं कि भ्रष्टाचार की बीमारी कैंसर की बीमारी जैसी है। अध्यक्ष जी, शायद आप जानते होंगे कि मैं एक साल तक कैंसर का पैशेंट रहा। यदि कैंसर की बीमारी ठीक करनी है तो समय पर करनी पड़ती है नहीं तो फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, कैमोथैरेपी करनी पड़ती है या रेडिएशन दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार की बीमारी बाहर उभरकर आई है, यदि इसे ठीक करना है तो समय पर करना चाहिए और आज का समय ही योग्य समय है। इसलिए इसके बारे में तुरंत बात करनी चाहिए।

यह अपने आप में पहला केस है जिसमें केन्द्र के मंत्री का नाम है, मुख्य मंत्री और एक पार्टी के अध्यक्ष का भी नाम है। जब ऐसी परिस्थिति बनी है तो इस समय बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी स्थिति दुबारा न आए, इसलिए इस बारे में तुरंत काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बारे में प्रधानमंत्री की भूमिका समय पर स्पष्ट हो।

यहां पर माननीय अंतुले जी की चर्चा हुई और मैं उनकी चर्चा से बहुत जुड़ा हुआ हूं। मैं ही एक था जो अंतुले जी के विरोध में शिकायत लेकर गवर्नर के पास गया था। मुझे इस बात

का बहुत संतोष है कि अंतुले जी ने मेर बारे में या हमारे बारे में कभी भी जाहिर तौर पर ऐसी शिकायत नहीं की, डराया नहीं, धमकाया नहीं कि मैं आपको देख लूंगा। उस समय राज्यपाल महोदय ने भी हमारे जाने के बाद तुरंत कहा कि आपकी बात ठीक लगती है और उन्होंने परमीशन दे दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिसके विरोध के बारे में शिकायत आई है या जिन्हें इसका फैसला करना चाहिए, उन्हें तुरंत बिना डराए-धमकाए इस बात का फैसला करना चाहिएं यह इस बारे में मेरी दूसरी राय है।

तीसरी बात यह है कि यह सदन या प्रधानमंत्री भी मूकदर्शक के नाते काम नहीं कर सकता। इसलिए राज्य में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री को इसके बारे में वहां के राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाने की आवश्यकता है। वह रिपोर्ट अपने आप बता देगी कि वहां पर रास्ते में कोई आ रहा है या क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को वहां के राज्यपाल से इस बारे में रिपोर्ट मंगानी चाहिए। इसके बारे में वे क्या कर रहे हैं, उस बारे में भी रपट मंगानी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी और मैं मानता हूं कि इस समय आवश्यकता है, और वहां की सरकार बरखास्त करने की बात आई तो वह भी करनी चाहिए और इस भूमिका में सारे कांड को देखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं और चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस बारे में अपने वक्तव्य में जानकारी दें।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, सदन के सामने जो चर्चित सवाल पिछले घंटे से उठा है, मैं उसके 4-5 मुद्दे सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पिछले कुछ 2-3 महीनों से सी.बी.आई. के अधिकारी कुछ घोषणा कर रहे हैं और घोषणा के ऊपर किसी का कदम उठाना या उठाने की मांग करना, यह बात ठीक नहीं है। जहां तक यह स्थिति होगी कि जांच करने वाली एजेंसी चाहे भारत सरकार हो, आदरणीय राष्ट्रपति जी हों या उस समय के राज्यपाल हों, यदि उनके पास किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बारे में मांग की हो तो उनको तुरंत परमीशन देनी चाहिए और जिस दिन वह चार्जशीट दाखिल हो जाए उसी दिन से उस हकूमत के बड़े जिम्मेदार जगह पर बैठने वाले व्यक्ति को उससे दूर जाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे पहले जब कई बार कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति हुई या हमारे साथियों के खिलाफ कुछ शिकायतें आईं तो ऐसे कदम उठाए गए। टी.टी. कृष्णमाचारी हों, के.डी. मालवीय हो, पिछले सदन में हवाला में कई साथियों का नाम आया। माधव राव सिंधिया जी यहां बैठे हुए हैं, और कुछ साथी हैं, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। अंतुले जी के केस के बारे में यहां बहुत जिक्र हुआ कि उनका नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 12-14 साल केस चला और आखिर में कोर्ट में यह साबित हो गया कि उनके खिलाफ जो इल्जाम थे, वे गलत थे। इसलिए जब ऐसी शिकायतें जिम्मेदार जगह पर रहने वाले लोकप्रतिनिधि के खिलाफ आती हैं और कुछ कदम उठाने की बात आती है तो नैतिक मूल्यों को स्वीकार करने के लिए और उनकी इज्जत करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस विचारधारा का हमेशा समर्थन किया है और आज भी हम करना चाहते हैं।

कुछ बातें अखबारों में आई। अनमें कहां तक सच्चाई है मुझे मालूम नहीं हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जो मामला न्यायालय में तय होना चाहिए, उसको सड़क पर ले जाने की बात है।

हमारी जिम्मेदारी यह है कि सभी इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा हमें रखनी होगी, इज्जत रखनी होगी और एक बार इंस्टीट्यूशंस के बारे में जनता में गलतफहमी पैदा हो जायेगी तो इसकी कीमत पूरे देशवासियों को देनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को इस तरह से वक्तव्य करना बिल्कुल ठीक नहीं है।

एक और सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं कि जांच करने वाली एजेंसी की एप्रोच और उनका रोल के बारे में भी थोड़ी सी बहस होने की जरूरत है। मैं यह समझ नहीं सकता हूं कि जांच करने वाली एजेंसी हर रोज मीडिया को रिपोर्टिंग क्यों करती है। किसी को उनके खिलाफ चार्जशीट देनी हो, परमिशन मांगनी हो तो जरूर परमिशन मांगें, जरूर चार्जशीट दे दिया, मगर शायद उसमें एक और महीने लगेगा। मगर इस बारे में मीडिया में जाकर यह सारी बातें बताना यह बात ठीक नहीं हैं। यह जांच करने वाली एजेंसी की क्रेडीबिलिटी के बारे में लोगों के मन में एक तरह की आशंका पैदा हो रही है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जांच करने वाली एजेंसी में राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों की इज्जत खत्म करने में लगी है। हवाला के केस में देश में इस बारे में बहुत बहस हो गई। विद्याचरण शुक्ल और आडवाणी जी के बारे में हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दे दिया। जांच करने वाली एजेंसी ने एनाउंस किया कि हम अपील करना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट को पूछा या नहीं पूछा। जजमेंट देखने के बाद इसमें अपील की जरूरत क्या थी? मगर अपील करना चाहते हैं। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि आडवाणी जी ने इस्तीफा देने के बाद शायद साल, डेढ़ साल सदन में, सदन के इस एरिया में, पार्लियामेंट में कहीं आये भी नहीं। राजनीति में काम करने वाले वरिष्ठ व्यक्ति कोई भी हो, साल भर पार्लियामेंट के आसपास वे नहीं आ सकते। उनके बारे में हाई कोर्ट ने डिसीजन देने के बाद फिर कुछ अपील करेगी और 5-10 साल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो शायद उनकी राजनीति और राजनैतिक आयु खत्म हो जायेगी, इसके बारे में सोचना होगा कि हाई कोर्ट के ऐसे कदम उठाने के बाद इसमें अपील की जरूरत क्या है?

कई बार यह साबित होता है कि किस तरह से यह जांच करने वाली एजेंसी काम करती हैं। इस सदन में कल्पनाथ राय जी बैठे हुए हैं, उनको दस साल की सजा हुई और दस साल की सजा होने के बाद जब मामला अपील के बारे में सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने उनको सजा दी, उनको

क्रिमिनल लॉ की एलीमेंटरी नोलिज भी नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट शायद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसलिए कभी-कभी ऐसा लगता है कि जांच करने वाली एजेंसी क्या मन में तय करके जांच करती हैं, किसी को फिक्स करना है क्या, किसी का राजनैतिक कैरियर खत्म करना है क्या और इसलिए इस बारे में भी डिटेल बहस करने की जरूरत है और उनको भी सुधारने की, ठीक करने के बारे में कुछ करने की जरूरत है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन एक गम्भीर मसले पर चर्चा कर रहा है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना रखी है। खास तौर पर आज चारा घोटाले की चर्चा की जा रही है। उस पर मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी मेरी बात सुनने की कृपा करेंगे........*(व्यवधान)* पेशेंस रखिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्कैम सामने आया है, बिहार सरकार ने इसे स्वयं ढूंढने का काम किया है और 43 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, 300 के लगभग लोगों के खिलाफ।

यह स्कैम 1977 से होता आया था। मगर आज तक इस स्कैम की जानकारी किसी ने प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। मगर लालू यादव के नेतृत्व में बनी हमारी सरकार ने इस बात को जनता के सामने लाने का काम किया और दुनिया को दिखाने का काम किया कि बड़े पैमाने पर किस तरह से ट्रेजरी की लूट हो रही थी और किस तरह से पदाधिकारी मिलीभगत से लम्बे अर्से से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे। इन सारी स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। उसने तो दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने रखने की कोशिश की ।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि सी.बी.आई. ने अलग से जांच नहीं की है। राज्य सरकार ने जो 43 मुकदमें दर्ज किए हैं उनकी जांच करने का उसने काम किया है। इसमें राज्य सरकार की मंशा साफ रही है। जो लोग इसमें संलग्न थे उनको गिरफ्तार किया गया और सेवा से बर्खास्त भी किया गया। सरकार की मंशा साफ रही है कि जो पदाधिकारी या अन्य लोग इसमें शामिल रहे हैं, उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने का काम भी किया गया। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ राजनैतिक दलों ने जिनकी साख जनता से उठ गई थी, जो वोट के मैदान में हार गए थे, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से सी.बी.आई. से जांच कराने का काम किया। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक-एक पहलू को देखा जाए, जब से सी.बी.आई. इस केस को जांचने का काम कर रही है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसको बताने का काम किया है और जिस तरह से इसको पोलिटिकलाइज करने का काम, राजनीतिक षड़यंत्र में शामिल होकर एक व्यक्ति विशेष को टार्गेट बनाने का काम किया गया है, वह जग जाहिर है। आदरणीय शरद पवार ने इन बातों की चर्चा की है कि सी.बी.आई. जिसकी कभी देश में एक खुफिया एजेंसी के नाम से अहमियत थी, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन पिछले दिनों चारा घोटाले में लोगों को हिट लिस्ट बनाकर जिस तरह से फंसाया गया वह भी एक देखने की बात है।

मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में 20 तारीख को एफिडेविट दाखिल होता है और यह कहा जाता है कि हमें पूरी रिपोर्ट के दो हजार पन्नों का अध्ययन करना है इसलिए इसमें काफी समय लगेगा, अतः हमें समय दें। उसके बाद कलकत्ता में जाकर बयान देते हैं कि हमें दो सप्ताह लगेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, यह प्रश्न चिह्न देश की जनता के सामने है और वह जानना चाहती है कि इतवार का ही दिन इसके लिए क्यों तय किया गया। शाम को चार बजे, जबकि उस दिन कार्यालय बंद थे, पदाधिकारी नहीं थे, कैसे इतनी जल्दी दो हजार पन्नों को पढ़ने का काम कर लिया गया? जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश है कि इसकी रिपोर्ट सीधे न्यायालय को जाएगी और आम नहीं की जाएगी। लेकिन वह आम की गई। यह बात भी लोगों के दिमाग में आ रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि माननीय अटल जी ने जिस पत्र को प्रधानमंत्री जी को लिखने का काम किया, इनको कैसे जानकारी हो गई कि अभियुक्त नम्बर 24, जिसका रिपोर्ट में जिक्र है, उसको कैसे इन्होंने अपने पत्र में उद्धृत किया? हमें लगता है कि एक व्यक्ति के खिलाफ यह सारी साजिश की गई है। जो गरीब तबकों को उठाने वाला व्यक्ति है, देश के गरीब लोगों को सम्मान दिलाने वाला व्यक्ति है, जिसके नेतृत्व में पूरे बिहार के गरीब आगे बढ़ रहे हैं, वहां साम्प्रदायिक सौहार्द था, सामाजिक एकता थी, हिंदू-मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, वैसी शक्ति को ये लोग मारना चाहते हैं, यही है लालू यादव का कसूर। देश और दुनिया का इतिहास रहा है। जब कोई गरीब या दलित का बेटा आगे बढ़ता है, उसका कत्लेआम करने की कोशिश की जाती है और इस केस में साफ तौर पर लालू यादव जी जिन्होंने देश के मैदान से भ्रष्ट लोगों को निकालने का काम किया है, जब सबको लगा कि हम इनको हरा नहीं सकते हैं तो एक साजिश के तहत सारे राजनैतिक दलों के लोगों द्वारा मिलकर लालू यादव की गर्दन काटने की कोशिश की जाती रही है। जो अभियुक्त को पकड़ने का काम करता हैं, उसी को अभियुक्त बनाया जा रहा है वह क्या कमाल है? मैं न्याय चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से न्याय चाहता हूं। जिन लोगों ने जनता में जाकर एनाउंस करने का काम किया है। नीतीश जी और पप्पू यादव जी चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे। यह भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे........*(व्यवधान)* पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज से छः साल पहले क्या थे और छः साल बाद अब क्या हैं........*(व्यवधान)* इनकी भी सम्पत्ति का आकलन किया जाए.........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने आपको बोलने का मौका दिया है।

..........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यहां ऐसे लोग भी हैं जो सदन में बात कर रहे थे......*(व्यवधान)* घोटाले में फंसे हुए लोगों ने बयान दिया है कि समता पार्टी के लोगों ने भी हमसे पैसा लेने का काम किया है.......*(व्यवधान)* उसकी भी जांच होनी चाहिए। हर पहलू पर जांच हो । मैं यह मांग करता हूं.........*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुझे कोट किया गया है। मैं तो चुप बैठा था.........*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सच सुनने में मिर्च लग रही है। सच को सुनने का साहस होना चाहिए .....*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि छः साल पहले पप्पू यादव जी क्या थे और छः साल बाद क्या हो गए हैं........*(व्यवधान)* खुले आम हो जाए कि चपरासी का बेटा क्या था और परिवार में मुख्यमंत्री बनने वाले के पप्पू यादव क्या थे, मैं इनको चुनौती देता हूं.........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]•

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, आप पूछिए कि उन्होंने क्या कहा है। उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कहा है ....*(व्यवधान)* यदि होगा तो मैं सदन से रिजाइन करूंगा।...... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

............*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए

...........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : लेकिन किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहिए.........*(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

............*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं जस्टिस मांग रहा हूं। मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप खुद उन्हें तंग कर रहे हैं।

............*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : समता पार्टी के लोगों ने जिन पर आरोप लगाया है, घोटाले में फंसे लोगों ने बयान दिया है कि समता पार्टी के नेताओं को भी हमने पैसा दिया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह बताया गया है। सैक्शन 164 के तहत बयान दिया गया है। कहा गया है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का यह मकान है, वह मकान है, यह सम्पत्ति है, वह सम्पत्ति है। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि एक भी अधिकारी और पदाधिकारी ने लालू यादव की प्रोपर्टी के बारे में सही जानकारी देने का काम नहीं किया है। उनके चरित्र हनन करने का काम किया गया है। मैं सदन को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन आरोपों को लगाने का काम किया है, वे उसे प्रूफ करने का काम करें राजनीति से सन्यास लें।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इसको पोलिटिकल मोटिवेटेड होकर राजनीतिक षड्यंत्र करके किसी एक व्यक्ति विशेष पर, जो गरीबों और पिछड़ों का नेता है, इसके लिए देश में इन लोगों को घबराहट हो गई है। लालू यादव जी को अगर फंसाने का काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में वह इस देश का नेता होगा, इसलिए इनको आशंका हो गई है..........*(व्यवधान)*

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जनता दल की जब बिहार प्रदेश में सरकार आई, जहां गरीबों को मान-सम्मान मिला वहीं साम्प्रदायिक शक्तियों को कंट्रोल करने का काम किया गया। उनको धराशायी करने का काम किया गया। इसलिए इनको साम्प्रदायिक लोगों की छटपटाहट हो रही है। ये उसी दिन से परेशानी की हालत में हैं, जब माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा के समय पूरे देश में दंगे हो रहे थे, उसको लालू यादव जी ने समस्तीपुर में पकड़ कर रोकने का काम किया । इसलिए इनको तकलीफ हो रही है............*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं शरद पवार जी ने ठीक कहा कि सब चीजों से ऊपर उठ कर

भ्रष्टाचार पर जो चर्चा हो रही है इस चर्चा को चलाने की जरूरत है, मगर सारी बातों पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं। अगर किसी गरीब का बेटो आगे बढ़ता है तो इस तरह से हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। महोदय, जो सवाल सामने आए हैं, जोगिन्दर सिंह का सवाल, एकाएक इन्होंने चार्जशीट करने के लिए पेपर में देने का काम किया। जिनको कोर्ट में जाना चाहिए था, माननीय अटल जी ने जिनको उद्धृत करके कोट करने का काम किया । ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत इस तरह से फंसाने का काम किया गया है........*(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : अगर मुख्य मंत्री जी का नाम नहीं लिया जा सकता है तो इनका नाम भी बार-बार नहीं लिया जाना चाहिए.........*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : जहां इस्तीफे की बात होती है, बर्खास्त की बात होती है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो संविधान कहता है इस लोक सभा को या विधान सभा को किसी प्रधानमंत्री या अन्य किसी देश के लोगों ने गठन करने का काम नही किया; मुख्यमंत्री को चुनने का काम नहीं किया। इस काम को बिहार के एम.एल.एज ने वहां की जनता ने किया। जब तक एम.एल.एज और जनता लालू यादव के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ है तो इनको कोई इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, मूल्य की बात कर रहे हैं। हम लोगों में कितना मूल्य है, हम जानते है। उधर बैठे हुए जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी के जो लोग हैं उनके मूल्य के विषय में मुझे जानकारी है। आप मूल्य की बात करते हैं, जिनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है।..... ...*(व्यवधान)* यह पोलिटिकल षडयंत्र है। लालू यादव को जिस चारा घोटोले में फंसाने का काम किया गया है उन्हें तमाम बातों की जानकारी होनी चाहिए। डेढ़ वर्ष से तीन-तीन, चार-चार बार यह घोटाले के बाद वह चुनाव हुआ है.........*(व्यवधान)*

क्या यह इलैक्शन में जवाब देने का काम किया है। अभी भी बिहार की जनता इस बात के लिए तैयार है, मैदान में हराने और आपको नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का जो गठबंधन है उसको समाप्त करने का काम करेगी। बिहार की गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का जो गठबंधन है उसको समाप्त करने का काम करेगी, बिहार की गरीब जनता गरीबों के साथ, जनता दल के साथ और लालू यादव के साथ है, इसको कोई ताकत हटा नहीं सकती........*(व्यवधान)* मैं मांग करता हूं कि जाँच कमीशन बनना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मेरे दल और मेरे संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ...........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी जब नीतीश कुमार जी खड़े हैं तो आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मैने नोटिस दिया है.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना मौका खो दिया है क्योंकि आप बार बार खडे हो चुके हैं और इस सभा का समय बरबाद कर चुके हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

...........*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपने अपना अधिकार खो दिया है। आप स्वयं ही सभा का समय बरबाद करने के लिए जिम्मेवार हैं।

............*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको बोलने का समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, अभी कुछ चर्चा की गयी है और बहुत जोर-जोर से माननीय सदस्य राम कृपाल यादव जी ने वाइल्ड एलीगेशन लगाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे। और, केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है चाहे जिस पार्टी का भी आदमी हो, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा तो उसके खिलाफ चार्जशीट दायर होगी। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि समता पार्टी के किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ अगर चार्जशीट होगी तो वह संसद और विधान-मंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देगा। वह यहां बैंठकर ठिठलॉजी का परिचय नहीं देगा। इसे बिहार में बेशर्मी कहा जाता है। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है जिसको हम लोग बिहार में ठिठलॉजी कहते हैं और ये लोग ठिटलॉजी में डाक्ट्रेट किए हैं।.......*(व्यवधान)* अरे, चार्जशीट दायर किया गया है और उसके बाद भी आप बार-बार यह बात कर रहे हैं।........*(व्यवधान)* एक साल पहले से, जब से चारा घोटाला की जांच शुरू हुई है और संसद का चुनाव हुआ तो लालू यादव के नेतृत्व में मात्र 22 लोग लोक सभा में आ सके और समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी तो उसी बिहार से 24 सांसद सदन में आए। आज हमें ताकत बता रहे हैं। चुनाव होगा तो आपको पता चलेगा, धूल में मिल जाएंगे आप लोग। इसलिए यह बात साफ कर देना जरूरी था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि अब मुझे श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद जी को बुलाना चाहिए। नीतीश कुमार जी, बहुत हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपके मन में जो आए आप बोलते रहें।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रीता वर्मा जी मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। मध्याह्न भोजन से पहले हमारे पास केवल पन्द्रह मिनट का ही समय बचा है। प्रधानमंत्री जी उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। निषाद जी आप केवल दो मिनट बोलिए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : मैं सिर्फ एक बात ही पूछना चाहती हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रीता वर्मा मैं व्यक्तिगत रूप से बात कहने की अनुमति नही दे सकता।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि क्या ये केन्द्रीय जांच ब्यूरो चीफ का नाम लेकर बोल सकते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं।

.............*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी बिहार के पशुपालन घोटाले की चर्चा के संबंध में मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खडा हुआ हूँ। अभी प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं चंद शब्दों में ही अपनी बात रखूंगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो केन्द्र के एक मंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री को चार्जशीट के लिए अनुमति मांगी है और उस पर सदन में जो चिंता व्यक्त की जा रही है और एक-दूसरे के ऊपर टीका-टिप्पणी जो हो रही है उसके संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आज हालत यह है कि हम लोग जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहते हैं। वहां की जनता तथा वहां के छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक यह कहते हैं कि देश के नेता लोग हवाला घोटाला, बोफोर्स कांड, टेलीफोन घोटाला, चारा घोटाला आदि में लिप्त हैं जिसके कारण इससे हमें अपना सिर नीचा करना पड़ता है। मैं पायलट जी की बात से सहमत हूं।

उत्तर प्रदेश में आई.ए.एस ने हाल ही में एक संघ भ्रष्ट आई. ए.एस. अफसरों को दंडित करने के लिए बनाया है जिसमें कुछ कामयाबी भी मिली है। हम चाहते हैं कि सभी दलों के दो-दो, चार-चार नेताओं को लेकर एक समिति बने और भ्रष्ट लोगों की जांच की जाए तथा सभी राजनैतिक दल चुनावी टिकट देते समय करोड़ों और लाखों की बेनामी सम्पत्ति रखने वालों को टिकट न दें। अध्यक्ष जी, अभी तो ऐसे तमाम कांड आएंगे जैसे उ०प्र० में राज्य अतिथि गृह कांड रमेश चन्द्रा रिपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश का आयुर्वेदिक घोटाला आयेगा जिस पर पुनः चर्चा करनी होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार देश में हजारों साल की बीमारी है। देश में करोड़ों ट्रस्ट तथा मंदिरों से अरबों की आय होती है जो देश के विकास में न लगकर निजी हितों में जाती है। इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तथा देश के करोड़ों मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, तथा नेताओं को उपहार व चंदा उद्योगपतियों से मिलता है बन्द होना चाहिए व करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जो देशके मंदिरों में इकट्ठा होती है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। हम उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं। उद्योगपति जो चंदा देते हैं वह बंद होना चाहिए। जब तक इन बातों का खुलासा नही होता है तब तक भ्रष्टाचार बंद नही हो सकता है।

अभी शरद यादव जी वर्ण व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे कि इस वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। सदन में सभी लोग बैठे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग अपने नाम के आगे तथा पीछे उसी तरह सर नेम लगाना बंद कर दें जैसे हमारे कांशी राज जी नही लगाते। तभी हम समझेंगे कि सभी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। कई लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं लेकिन फिर भी सर नेम लगाते हैं और रोटी, बेटी और रिश्ते की बात करते हैं। इस तरह से दोरही बात नहीं चलेगी। ' मन में राम और बगल में छुरी' वाली कहावत से काम नहीं चलने वाला। कथनी और करनी का अन्तर जब तक साफ नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार का मामला आज का नही हैं, यह हजारों साल पुराना है। इसके लिए आप निर्देश दें। इसके बारे में एक कमेटी बने और वह इस पर चर्चा करे। इस पर चर्चा करने के बाद इसका निदान निकाला जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो केन्द्र के मंत्री हैं और इनके दल के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की जो अनुमति मांगी गई है, वह उनके बारे में विशेष निर्णय लें। इसमें चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। आज तमाम नेता वर्ण व्यवस्था या इधर-उधर की बात करके इस मामले को टाल रहे हैं। यह टालने वाला काम नहीं है। देश की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है कि वह किस प्रकार निष्पक्ष न्याय करेंगे।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह दो घंटे की बहस हो गई है।

...........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस में इस बात पर बहस करने का मौका देकर बहुत अच्छा किया। कई सालों से एक स्कैंडल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्कैंडल होता गया। देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग समझने लगें हैं कि पॉलिटिशन जिन को हम संसद या असेम्बली में भेजते हैं, उनमें बहुत भ्रष्टाचार आ गया है। बड़े-बड़े स्कैंडल हुए और बड़े-बड़े लोग उसमें इनवाल्व हो गए। इनवैस्टिगेशन एजेंसी वही है, उसका कभी कोई हैड आ गया और कभी दूसरा कोई आ गया । हैड बदलते रहे लेकिन इनवैस्टिगेशन एजेंसी वही रही। यह सैंटर की एजेंसी है। और स्कैंडल की तफतीश करने का हक उन्हें ही प्राप्त है। ऐसे स्कैंडल जब बार-बार लोगों के सामने आए तो देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि लोगों का विश्वास पॉलिटिशियन से हटने लगा, भरोसा हटने व टूटने लगा और वे सोचने लगे कि कैसे लोग हैं, हमने तो बड़ी कोशिश से इनको बढ़िया काम करने के लिए वहां भेजा और देश के हित में काम करने के लिए भेजा लेकिन वहां जाकर कुछ और ही काम होने लगे। लोग आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे बड़े-बड़े स्कैंडल समझने लगे जिन में बड़े-बड़े लोग इनवालव्ड थे। ऐसे घोटालों में से एक घोटाले का आज जिक्र हो रहा है और उस पर आज बहस हो रही है। अगर महज इतना ही कह दिया जाता कि इनवैस्टिगेशन हो गई है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में चली जाएगी, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो इतने में बात खत्म हो जाती और बात इतनी नहीं बढ़ती लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि ऐसी कोशिश हो रही है कि भले ही कोई इनवैस्टिगेशन हो, भले ही हमारे खिलाफ कोई चार्जशीट लगे लेकिन हम कोई बात मानने को तैयार नहीं हैं। इसका जनता विरोध करेगी। ऐसी बातें अखबारों में निकलने लगी है कि जनता सड़कों पर आ जाएगी। कौन सी जनता सड़कों पर आ जाएगी, यह समझ में नही आता। जनता किस के हक में सड़कों में आ जाएगी? जनता इन्साफ मांगती है। जनता नहीं चाहती देश में भ्रष्टाचार हो, जनता नहीं चाहती कि उसके नुमाइंदे भ्रष्टाचार में फंस जाएं, उलझ जाएं, जनता का पैसा ऐसे इधर-उधर खत्म होता रहे, किसी की जेब में चला जाए और कोई खा जाए। चारा खाने की बात चल रही है। चारा पशुओं के लिए होता है लेकिन सामने यह बात आ रही है कि चारा इन्सान खा गए। अगर चारा इन्सान खाने लग जाएं तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। लोग महसूस करते हैं कि इस बात की कोई हद होनी चाहिये। कोई इन्साफ मिलना चाहिये लेकिन जिन्होंने इन्साफ देना है, वे कहने लगे हैं कि जनता फैसला करेगी। मुझे आज उन बैंचों की तरफ देखकर इस बात पर हैरानी हो रही है कि उस पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ खिलाफ जाते हैं और यह पहली दफा हुआ है.......

श्री राजेश रंजन पप्पू यादव (पूर्णिया) : हां, पहली दफा हुआ है.........*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नही; श्री पप्पू यादव जी कृपया अब अपनी बात समाप्त करें, श्री बरनाला।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यह पहली दफा देखा गया कि एक ही पार्टी के लोग एक ही स्टेट से कुछ तो विरोध में जा रहे हैं और कोई हक में जा रहे हैं। एक ही स्टेट के लोगों के तथा पार्टी के लोगों के अलग-अलग विचार हैं। ऐसा होता आया है। ऐसा श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ कि रेल दुर्घटना हो गई जिसमें वे जिम्मेदार न होते हुये भी, उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इस देश में सही मायने में वे लोगों के लीडर थे। आज ऐसा होता नहीं देखा जा रहा है। हम लोगों को ऐसा माहौल तो बनाना चाहिये। एक इलजाम लग जाना ही बहुत था लेकिन आज तो चार्जशीट तक तैयार हो रही है और मांग की जा रही है कि मुकदमा चलाये जाने का अधिकार दे दिया जाये। हमारी सोच तो यह है कि ऐसे समय में इस्तीफा दे देना चाहिये ताकि लोगों के मन में ऐसी बात न आ जाये कि इस देश मे नेता लोग कैसे हैं। इसलिये मैं यही कहूंगा कि कम से कम देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की सोच तो होनी ही चाहिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, चारा घोटाले के बारे में विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विचार यहां रखे। सी.बी.आई. ने इस चारा घोटाले के बारे में जांच की । अखबारों में तीन दिन से लगातार ये खबरें आती रही और आज इस सदन में चर्चा शुरू होने जा रही है। इस बात को सभी जानते थे कि यह बात इस सदन में आयेगी। इस चारा घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री तथा केन्द्र के राज्य मंत्री के साथ साथ केन्द्र और राज्य के कई आफिसर्स भी इन्वाल्वड हैं। सी.बी.आई. चाहती है कि जिन लोगों के खिलाफ जांच की गई है, उन पर मुकदमा चलाया जाये। इस घोटाले में केन्द्र के एक राज्यमंत्री का नाम होने के कारण राष्ट्रपति महोदय से और राज्य के मुख्यमंत्री क खिलाफ वहां के राज्यपाल महोदय से इजाजत मांगी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, जब इतने बड़े चारा घोटाले की कई दिनों से चर्चा हो रही है तो मुझे लगा था कि सरकार स्वयं एक बयान इस सदन में देगी क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कारण, जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, चार्जशीट दी गई है या जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किये जाने का मामला बन रहा है, उनमें से ज्यादातर लोग सत्ता पक्ष के हैं जिनका नेतृव्य यहां बैठे हुये प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसी पक्ष की पार्टी के अध्यक्ष पर इस घोटाले के मामले में आरोप लगाया गया है। अच्छा तो यही होता यदि प्रधानमंत्री यहां पर बयान देते। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष के नेता ने तो 5-10 मिनट में अपना बयान दे दिया।

अपराह्न 1.00 बजे

उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज सदन के अंदर जिस तरह से घोटालों पर चर्चा होने जा रही है या चर्चा हो रही है, और जैसे जन-प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं, जन-प्रतिनिधियों पर यह आरोप लग रहे हैं, तो आम जनता में जन-प्रतिनिधियों के बारे में जो विश्वास है, वह खत्म होने जा रहा है। सबसे अच्छा यही होगा कि जिसके खिलाफ यह इल्जाम लगाया जा रहा है, वह स्वयं अपने पद से हट जाए।

दूसरी बात यह कि सरकर की यह जिम्मेदारी है कि सी.बी. आई ने जो स्टेटमेंट दिया और अखबार में छपकर आया, वह सही है या गलत, यह बात और है, तथा जो इल्जाम लगाए गए हैं, वह बात और है। शायद सी.बी.आई ने जो कहा या किया, वह गलत भी हो सकता है लेकिन जो आरोप लगाए गए वे तो गलत नहीं हैं। उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। मुझे शरद पवार जी का भाषण सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि जो जांच करने वाला इंस्टीट्यूशन है, उसकी जांच की जाए। उसकी विश्वसनीयता पर यहां पर उन्होंने संदेह पैदा किया। यह प्रधानमंत्री जी के अंडर एक संस्था है और जिसके प्रमुख भी प्रधानमंत्री हैं। वह अपने बयान में इस बारे में कहेंगे। लेकिन जो सरकार बनती है और जिसका नेतृत्व सरकार करती है........ *(व्यवधान)* कोर्ट में जरूर किया। कोर्ट के बार में कोर्ट अपना जवाब देगीं, लेकिन जिस तरह से यहां पर चर्चा होती है, जब जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है तो उन्हें बचाने की जो काशिश की जाती है, वह सही नहीं है आज इस देश का दुर्भाग्य है कि हर बार जब हमारे देश के बारे में चर्चा होती है तो घोटालों के नाम से हमारा देश जाना जाता है। हमारे देश का चित्र आज पूरी दुनिया में जो बनता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए जिनके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सरकार को बयान देना चाहिए कि सरकार उन पर क्या करना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मामले पर अपने दल के विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। जिस मुख्य प्रश्न पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा एक मंत्री को, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद के एक सदस्य हैं, सजा दिए जाने की अनुमति मिलने तथा क्या समाचार पत्रों के समक्ष कुछ विशेष आरोप लगाए जाने के बाद भी उनका मंत्री पद पर बने रहना उचित है। मैं यह कहना चाहूँगा कि घोटाले और भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप बन चुके हैं। हमें गर्व है कि पिछले 10 महीनों के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नही लगा इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब तक किसी व्यक्ति को विधि न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक भारत का आपराधिक कानून यही मानता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। हम सभी इस बात से सहमत हैं परन्तु यह औचित्य और नैतिकता का प्रश्न है। यह प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को बनाए रखने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि त्यागपत्र दे देना ज्यादा अच्छा है जिससे इन सिद्धान्तों को कायम रखा जा सके तथा प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को उजागर किया जा सके।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरुद्ध एक विशेष आरोप लगाया गया है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो पिछले तीन वर्षों से गंभीर रूप से अलोचनाओं का शिकार होता रहा है। जिस तन्त्र के अंतर्गत केन्द्रीय जाँच ब्यूरो काम कर रहा है और जिस तरह समाचार पत्रों में जाँच कार्यविधि को प्रकाशित किया जा रहा है उससे संचार माध्यम और प्रत्येक व्यक्ति हैरान है। श्री शरद यादव ने यह आरोप लगाया है कि जाँच करने में और उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करने में जल्दबाजी की जाती है। इस पर भी बिस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि क्या पद पर बने रहना अच्छा है या नहीं?......... *(व्यवधान)*

न्यूनतम साझा कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा सरकार का मौलिक दस्तावेज है जिसमें यह परिकल्पना की गई कि यह सरकार एक वैकल्पिक प्रकार की सरकार है और यह पारदर्शिता के प्रति वचनबद्ध है। इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह अच्छा होगा कि जिस व्यक्ति या मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है वह स्वयं त्यागपत्र दे दे। यह प्रजातंत्र और औचित्य के सिद्धान्त को बनाए रखने के लिए बेहतर है।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एकाध मिनट लेकर अपने पॉइंट्स यहां ऐवान के सामने रख दूंगा क्योंकि तमाम मामलात सामने आ चुके हैं। सी.बी.आई. अखबारी इत्तलाआत के मुताबिक इजाजत मांगने की कोशिश करेगी, ऐसा हमने पढ़ा है कि चार्जशीट दाखिल की जाए।

अब यहां क्या कहा जा सकता है, यही कि जहां तक गवर्नर का ताल्लुक है, जहां तक कि सदरे जम्हूरियत का ताल्लुक है, जहां तक कि हुकूमत का ताल्लुक है, ये कानून के मुताबिक, कानून की रोशनी में, आईन की रोशनी में काम करेंगे अगर उनसे इजाजत तलब की गई है, तो स्टडी करेंगे और कानून और आईन के मुताबिक ये गवर्नर, सदरे जमहूरिया और हुकूमत काम करेगी। जहां तक कि पालिटिकल अफराद, पालिटिकल इंडीविजुअल्स, पालिटिकल लीडर्स और पालिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, हमारी तवक्को यही रहेगी कि वे इस सिलसिले के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन जम्हूरी और इखलाकी नमूना पेश करें। ये दो बातें अपनी तरफ से खुलकर हैं और मैं यहां खड़ा हुआ हूँ यह कहने कि लिए नहीं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी

भी फर्द को यह मशविरा दूं कि उसे क्या करना चाहिए, यह एक हकीकत है कि उसे अपने किरदार का एक आला नमूना पेश करना चाहिए, किरदार का जम्हूरी नमूना पेश करना चाहिए। मैं, तो हुकूमत से कहूंगा कि चाहे गवर्नर हो, सदरे जम्हूरिया हो, या हुकूमत हो, कानून और आईन की रोशनी में काम किया जाए।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक अहम बात इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूं कि हमें याद रखना होगा कि वो कौमें मिट गई और वे मुल्क तबाह हो गए कि जिन्होंने आम आदमी के लिए और खास आदमी के लिए अलग-अलग कानून रखे हैं। यह क्या बात है कि एक आम आदमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी हो, तो उसके खानदान वालों से या किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी और हमारे खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अगर कोई चार्जशीट दाखिल करनी हो, तो गवर्नर या सदरे जम्हूरिया को जेहमत देनी पड़े। यह कानून खत्म होना चाहिए। चार्जशीट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो, तहकीकात हो और मामला अदालत के सामने हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

लेकिन साथ ही साथ स्पीकर साहब, एक और सवाल है–'हू इज गोइंग टू पुलिस' इसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा। अटल बिहारी जी, जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं, एक सवाल बड़े अच्छे अंदाज में, घुमा-फिरा कर, इस ऐवान में बार-बार उठाते रहे कि कांग्रेस ने हिमायत वापस ली 30 तारीख को, क्यों? मैंने तो सोचा था कि आज वे पूछेंगे कि सी.बी.आई. के सरबराह ने चार्जशीट का ऐलान किया 27 तारीख को, क्यों? इतवार के दिन क्यों? कहां तो वो कहते थे कि अब वक्त की जरूरत होगी, स्टडी करनी होगी और फिर एकाएक छुट्टी के दिन पहुंच गए, ऐलान किया। मैं किसी की हिमायत नही करना चाहता, किसी की मुखालिफत नहीं करना चाहता, बल्कि यह अहम सवाल उठाता हूं कि हमारे वजीरे आजम, इज्जत माआब वजीरे आजम इसकी भी इन्क्वायरी करें कि यह 27 तारीख क्यों? यह इतवार का दिन क्यों? यह जल्दी क्यों?

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : शायद 28 तारीख को उनको बदला जाता।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह जल्दी क्यों? इसकी भी इन्क्वायरी करने की जरूरत है ताकि लोगों को विश्वास हो और अवाम में एतमाद पैदा हो। हमारे मामलात जिस ढ़ंग से हो रहे हैं।

फिर इसके बाद सी.बी.आई. का काम तो यह था कि अगर वह इस फैसले पर पहुंचती है कि चार्जशीट दाखिल करनी है, तो वह अपना काम करे। यह क्या है कि प्रैस के अंदर जा रहे हैं टी. वी. और अखबारों में खबरें पहुंचाई जा रही हैं, तमाम जर्नलिस्ट्स को बुलाकर उनके झुरमुट में खड़े रह कर ऐलान किया जा रहा है।

यह तरीका काम करने का क्यों और इस मौके पर इसका इस्तेमाल क्यों? यह भी मालूम करना होगा।

इज्जत माआब, आपने कहा कि विच हंटिंग नहीं होगी। मैं फाइल देखूंगा। आप तो फाइल देखते रह जायेंगे, मुझे गालिब याद आ रहे हैं:

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।

मैं एक ऐसा आदमी हूं कि करप्शन, यह तो मेरी समझ में नहीं आता है और करप्शन होता किस तरह है, इसका मुझे कोई तजुर्बा और कोई मालूमात नहीं। लेकिन आज देश को चलना है और एक आला जम्हूरी निजाम सामने आना है तो जहां हमें यह देखना होगा कि कोई विच हंटिंग न हो वहां हमें यह भी देखना होगा कि जो वाक्यतन मुलजिम हैं, कानून अपना काम करे और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि हमारी पुलिस, कहीं हमारी इंतजामियां, कहीं हमारी सी.बी.आई. उसका गलत इस्तेमाल अपने अल्टीरियर मोटीव्स की वजह से न कर रह हों। लिहाजा मैं चाहूंगा कि उन पर तवज्जो दी जाये।

شری جی۔ ایم۔ بناتوالا (پونانی) : جناب اسپیکر صاحب میں صرف ایک آدھ منٹ لیکر اپنے پوائنٹس یہاں ایوان کے سامنے رکھ دونگا۔ کیونکہ تمام معاملات سامنے آچکے ہیں۔ سی۔ بی۔ آئی۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اجازت حاصل کرنے کی کوشش کریگی ایسا ہم نے پڑھا ہے کہ چارج شیٹ داخل کی جائے۔ اب یہاں کیا کہا جاسکتا ہے یہی کہ جہاں تک گورنر کا تعلق ہے جہاں تک کہ صدر جمہوریہ کا تعلق ہے جہاں تک کہ حکومت کا تعلق ہے یہ سب قانون کے مطابق قانون کی روشنی میں آئین کی روشنی میں کام کرینگے۔ اگر ان سے اجازت طلب کی گئی ہے تو استدعا کرینگے اور قانون اور آئین کے مطابق یہ گورنر صدر جمہوریہ اور حکومت کام کرینگی۔ جہاں تک پولیٹیکل افراد پولیٹیکل اینڈ پبلک پولیٹیکل لیڈرس اور پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے ہماری توقع یہی رہیگی کہ وہ اس سلسلے کے اندر بہترین سے بہترین جمہوری اور اخلاقی نمونہ پیش کریں۔ یہ دو اپنی طرف سے کہہ کر ہیں اور میں یہاں کھڑا ہوا ہوں یہ کہنے کے لئے کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی فرد کو یہ مشورہ دوں کہ اسے کیا کرنا چاہئیے یہ ایک حقیقت ہے کہ اسے ایک اعلی نمونہ کردار کا پیش کرنا چاہئیے جمہوریہ نمونہ کردار کا پیش کرنا چاہئیے میں تو حکومت سے کہونگا کہ چاہے گورنر ہو صدر جمہوریہ ہو یا حکومت ہو قانون اور آئین کی روشنی میں کام کیا جائے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم بات اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ وہ قومیں مٹ گئیں اور وہ ملک تباہ ہوگئے کہ جنہوں نے عام آدمی کے لئے اور خاص آدمی کے لئے الگ الگ قانون رکھے ہیں یہ کیا بات ہے کہ ایک عام آدمی کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنی ہو تو اس کے خاندان والوں سے یا کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہمارے خلاف بیوروکریسی کے خلاف اگر کوئی چارج شیٹ داخل کرنی ہو تو گورنر یا

صدر جمہوریہ کو زحمت کرنی پڑی۔ یہ قانون عدم ہونا چاہئے چاہے شبہ کسی بھی شخص کے خلاف ہو شبہات ہو اور معاملہ عدالت کے سامنے ہو اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہئے۔

لیکن ساتھ ہی ساتھ اسپیکر صاحب ایک اور سوال ہے

اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اٹل بہاری جی نے کل

میں بہت غور کرتا ہوں ایک سوال بہت اچھے انداز میں گھما پھرا کر اس ایوان میں بار بار اٹھاتے رہے کہ کانگریس نے حمایت لی ۳۰ تاریخ کو کیوں؟ میں نے تو سوچا تھا آج وہ پوچھیں گے کہ سی بی آئی کے سربراہ نے چارج شیٹ کا اعلان کیا ۲۷ تاریخ کو کیوں؟ اتوار کا دن کیوں؟ کہاں تو وہ کہتے تھے کہ اب وقت کی ضرورت ہوگی اسٹڈی کرنی ہوگی اور پھر ایکا ایک چھٹی کے دن پہنچ گئے اعلان کیا۔ میں کسی کی حمایت نہیں کرنا چاہتا کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ اہم سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم محترم وزیر اعظم اس کی بھی انکوائری کریں کہ یہ ۲۷ تاریخ کیوں؟ یہ اتوار کا دن کیوں؟ یہ جلدی کیوں؟

شری پرمود مہاجن (ممبئی) : شاید ۲۸ تاریخ کو ان کو ہٹا دیا جاتا۔

شری جی۔ ایم۔ بنات والا (پونانی) : یہ جلدی کیوں؟ اس کی بھی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بھروسہ ہو اور عوام میں اعتماد پیدا ہو۔ ہمارے معاملات جس ڈھنگ سے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سی بی آئی۔ کا کام تو یہ تھا کہ اگر وہ اس فیصلے پر پہنچتی کہ چارج شیٹ داخل کرنی ہے تو وہ اپنا کام کرے۔ یہ کیا کہ پہلے اندر جا رہے ہیں ٹی وی پر اور اخباروں میں خبریں پہنچائی جا رہی ہیں تمام جرنلسٹوں کو بلاکر ان کے حضرت میں کھڑے رہ کر اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کام کرنے کا کیوں؟ اور اس موقع پر اس کا استعمال کیوں؟ یہ بھی معلوم کرنا ہوگا۔

محترم وزیر اعظم صاحب آپ نے کہا کہ وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی۔ میں ڈائل دیکھوں گا آپ تو ڈائل دیکھتے رہ جائینگے مجھے غالب یاد آ رہے ہیں :

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن
خاک ہو جائینگے ہم تم کو خبر ہونے تک

میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ کمیشن یہ تو میری سمجھ میں آتا ہے اور کمیشن ہوتا کس طرح ہے اس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں اور کوئی معلومات نہیں۔ لیکن آج دیش کو چلانا ہے اور ایک اعلیٰ جمہوری نظام کو سامنے آنا ہے تو جہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی وچ ہنٹنگ نہ ہو وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو واقعتاً ملزم ہیں قانون اپنا کام کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہماری پولیس کہیں ہماری انتظامیہ کہیں ہماری سی۔ بی۔ آئی۔ اس کا غلط استعمال اپنے الٹیریر موٹیوس کی وجہ سے نہ کر رہے ہوں لہذا میں چاہوں گا کہ ان پر توجہ دی جائے۔

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल की स्थिति हमेशा बहुत स्पष्ट रही है। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं साबित किया जाता तब तक यह माना जाता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है परन्तु कुछ पदों पर आसीन लोगों को इस मत का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमने हमेशा यह महसूस किया है कि इस देश की राजनीति को कायम रखने के लिए यह उचित होगा कि जब ऐसे आरोप लगाए जाएं तो राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिये जिससे लोगों के मन में जांच या परीक्षा के संबंध में कोई संदेह न रहे। इसलिए यह सही और उचित है कि ऐसे मामलों में त्याग पत्र दे दिया जाए। हमारे देश में ऐसे उदाहरण रहे हैं। एक ऐसा उदाहरण श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा उस समय दिया गया था जब उन्होंने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दे दिया था। यहां एक अन्य प्रकार की जिम्मेवारी है।

हम राजनीति में स्वच्छता की बात करते हैं। हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे लोगों में यह विश्वास आ सके कि राजनीतिज्ञ उनके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज सभी राजनेता संदेह के घेरे में हैं। यह न तो हमें और न ही राजनैतिक प्रणाली में सहायक हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वामपंथी दलों के किसी भी नेता के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इस बारे में कुछ खास नहीं सोचना चाहिए। हम इस बारे में इसलिए चिंतित हैं कि यह एक ऐसी बात है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए।

मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, इस देश की प्रतिष्ठा के लिए हम ऐसे रवैये अपनाते हैं जिनसे हमारी मदद नहीं हो सकती। कभी-कभी समाचार पत्रों द्वारा परीक्षा की जाती है या सभा में हमारे द्वारा भी परीक्षा की जाती है। इसके लिए कोई तरीका होना चाहिए। इस संबंध में कुछ मौलिक सिद्धान्त होने चाहिए। कभी-कभी हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं परन्तु इससे हम प्रभावित होते हैं। कभी-कभी मुकाबले का रवैया अपनाया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो एक महत्वपूर्ण संगठन है और हम यह महसूस करते हैं कि इस देश में सबसे शीर्षस्थ जाँच एजेन्सी होने के कारण इसका कुछ महत्व और कुछ विश्वसनीयता होनी चाहिए परन्तु कभी-कभी यह इस ढंग से कार्य करती है जिससे लोगों के मन में कुछ संदेह पैदा हो जाते हैं। मुझे उनका ऊर्दु में भाषण अधिक समझ में नहीं आया लेकिन श्री बनातवाला जी ने बहुत ही चित्रात्मक रूप से इसका उल्लेख किया है और मैं समझता हूँ कि वह ठीक भी है। 27 अप्रैल रविवार का दिन ही क्यों चुना गया जब हमारे विपक्ष के प्रिय नेता ने 24 अप्रैल को इस पर अत्यधिक चिंता व्यक्त की थी

लगता है कि वे बहुत सी बातें जानते हैं जिन्हें अन्य नहीं जानते। 24 अप्रैल के उनके पत्र से प्रतीत होता है कि विपक्ष के हमारे नेता को इस विषय में बहुत जानकारी है जो कि आम आदमी को देश की आम जनता को ज्ञात नही है। मुझे मालूम नहीं उन्हें इस सबकी जानकारी कहां से मिली, यह वह बताएंगे।

सी.बी.आई के निदेशक ने पहले कुछ समय की मांग की थी और फिर दो दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दी। पता

नही किस उद्देश्य से श्री प्रमोद महाजन जी ने अभी-अभी कहां कि संभवतः वे उन्हें उनके पद पर बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे थे। क्या इसका कोई आधार है? मैं वहीं जानता। यदि उन्हें 28 अप्रैल को उनके पद से हटाया जाना था तो वह इसे पहले ही छोड़ रहे थे। क्या इस प्रकार सी.बी.आई. को कार्य करना चाहिए? मेरा कहना है कि इससे बाद त्याग पत्र दे दिया जाना चाहिए। इस सुस्थापित सिद्धान्त को अपनाने का यह अर्थ नहीं है कि अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियां इस प्रकार का व्यवहार करें जिससे लोगों के मस्तिष्क में अनावश्यक रूप से शंकाएं पैदा हों। श्री प्रमोद महाजन बहुत अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा है कि वे 13 दिन के भीतर बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया हमें बताएं कि उनके इस समय हस्तक्षेप करने का क्या आधार है। क्या यह सच है?

मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहूँगा कि जब कभी हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं, प्रत्येक सदस्य यह कहता है, जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है, मैं इसे राजनैतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहता लेकिन बाद और प्रतिवाद द्वारा सभा में यह पूर्णतः राजजैतिक युद्ध बन जाता है। शरद जी ने कहा कि वे इस देश में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए चार दिन का समय चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि यदि ऐसा हुआ तो इस सभा में क्या दृश्य होगा। कुछ आवश्यक है जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं, जो इससे सम्बद्ध है और कुछ मूल मूल्य भी इसमें शामिल हैं। केवल यह कहना, "नही नहीं मैं ठीक हूँ। चर्चा के बाद कुछ 'मंत्र' दिया जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।" ऐसा नहीं है। यह इतना सरल नहीं है।

मैं बनातवाला जी की इस बात से सहमत हूँ, कि इस देश में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच क्यों भेद किया जाना चाहिए? मंजूरी देने के पीछे क्या तर्क है? तर्क यह है कि पदों पर बने हुए लोग भी झूठे आरोपों से जुड़े हुए हैं। अतः बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। झूठे अभियोग अथवा आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। इससे लोगों के मस्तिष्क में शंका पैदा हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता—मुझे इसका पता लगा है—ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है जिन्होंने केवल तीन दिन पहले प्रभार संभाला है। 24 अप्रैल को विपक्ष के नेता लिखते हैं?

> "रवैये में यह परिवर्तन, अर्थात् आरोप लगाने में विलम्ब का प्रयास, केन्द्र में सरकार के परिवर्तन के साथ होना आश्चर्यजनक है जो कि मैं समझता हूं कि आकस्मिक नहीं है।"

यह प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप है कि सरकार में उनके सत्ता संभालने के बाद सी.बी.आई. ने मामलों में विलम्ब का रवैया अपनाया। उनके प्रधानमंत्री बनने के तीन दिन बाद ही उन पर यह आरोप लगाया गया है। एक दिन वे जम्मू गए हुए थे, एक दिन वे भुवनेश्वर गए थे, मैं नहीं जानता कि इन मामलों पर विचार करने के लिए उन्हें कितने घंटे का समय दिया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सी.बी.आई. ने स्वीकृति के लिए सरकार को आवेदन भेज दिया है या नहीं। यह प्रक्रिया से संबंधित मामला है। जब तक संसद के अधिनियम में यह है इसका पालन किया जाता रहेगा।

अनेक मामले उठाए गए हैं। जैसा मैंने कहा इस प्रकार की चर्चाएं अनेक भावनाएं पैदा करती हैं और हम हमेशा भटक जाते हैं। इस देश के भविष्य, इस देश की गरिमा और राजनैतिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए, जिसे गैर-पार्टी चर्चा समझा जाता है, हमेशा वह एक दूसरे पर दोषारोपण पर ही समाप्त होती है। इसलिए हम जो सुझाव दे रहे हैं वह यह कि हम विभिन्न पदों पर हैं और लोगों को हम से आशाएं हैं। लोगों को राजनीतिज्ञों, मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से आशाएं हैं वह हम से अनेक आशाएं रखने के हकदार हैं। हम यह रवैया नहीं अपना सकते और यह नहीं कह सकते, ठीक है, जब तक मुझे दोषी नहीं ठहराया जाता, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, कानून की नजर में हम दोषी नहीं हैं। हम ऐसे पदों पर रहते यह रवैया नहीं अपना सकते।

अतः प्रणाली में विश्वसनीयता, प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए हमारा अनुरोध है कि जिनके विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध करें। उन्हें अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिए अवसर दिया जाएगा।

उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि वह कुछ समय सत्ता में नहीं रहेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यदि वह निर्दोष सिद्ध होते हैं तो वह पुनः वापस आ सकते हैं। इससे वे एक उदाहरण रखेंगे जो कि देश के हित के लिए अन्य लोग अपनायेंगे यही हमारे लिए रास्ता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, बनातवाला जी ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया। जिस तरह का घटनाचक्र देश में चल रहा है आज से नहीं पिछले कुछ वर्षों से, उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों की छवि जो खराब हो रही है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीति में काम करने वालों की है। हम मानते हैं कि आजकल बहुत आरोप लग रहे हैं। इस सदन में बार-बार पुरानी परम्पराओं का जिक्र किया गया। मैं भी संसद में पिछले 35 वर्ष से पांच वर्ष को छोड़कर, हूं। मैंन बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। जैसा शरद यादव ने कहा, लेकिन मुझे कभी याद नहीं कि हमने सवाल उठाने के पहले सम्बन्धित मंत्री या सम्बन्धित व्यक्ति को इस बात की सूचना न दी हो। हम ऐसा भी मानते हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र, जब तक वह खुला पत्र न हो, अखबारों और लोगों के पास कैसे पहुंच जाता है। संसदीय मर्यादाओं की बात करते हुए और पुरानी परम्पराओं की याद दिलाते हुए हमें अपने आचरण पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है। लेकिन क्या हम इस देश में ऐसी उत्तेजना फैलाना चाहते हैं जिसके

कारण लोग सड़कों पर जाने के लिए मजबूर हों। मैं सड़कों पर जाने की धमकी के खिलाफ हूं। मैं सड़कों पर जाने से डरता हूं, क्योंकि मैं पुरुषार्थी, पराक्रमी या बहादुर व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन साथ ही मैं जानता हूं किसी को जरूरत से ज्यादा डराओगे, दबाओगे तो वह पीड़ा में सड़कों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा।

मैं इस सदन की मर्यादाओं की दुहाई करने वाले मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा। यहां हमारे तीन मित्र बैठे हैं। अंतुले जी पर आरोप लगा। कांग्रेस के हमारे नेता आज उसको अपनी परम्परा का एक बड़ा भारी उत्कृष्ट सबूत मानते हैं। अंतुले जी आपको शायद वह दिन याद होगा, जब आप पर आरोप लगा था तो कांग्रेस का कोई सदस्य आपके घर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अकेला चन्द्रशेखर आपके घर पर गया था।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले (कुलाबा) : बिलकुल ठीक है।

श्री चन्द्रशेखर : आपको याद होगा कि इस सदन में जब हवाला कांड का जिक्र आया तो मैंने कहा था कि आडवाणी और माधव राव सिंधिया कोई हवाला का रुपया लिए होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी भी अखबारों में आलोचना हुई। कहा गया कि मैं संकट मोचन हूं। जब श्रीमान कल्पनाथ राय को टाडा के अंदर बंद किया गया, मैं उनको विद्यार्थी जीवन से जानता हूं, मेरे घर से तीन किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, उनके परिवार के लोगों को मैं जानता हूं, मैं जब जेल में उनसे मिलने गया तब बहुत फब्तियां कसी गईं। क्या भ्रष्टाचार को मिटाने का यह रास्ता है कि हम अपने मानवीय सम्बन्धों को भी तोड़ दें? मैं यह नहीं कहता कि वे निरपराध थे या नहीं थे। मैने कई बार कहा है, इस सदन में भी कहा है, जब मैं सरकार चला रहा था, कि हमारा बेटा अपराधी बन जाए उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसके मित्रों को बुलाकर उसको बताने की कोशिश करते हैं। उस समय हम बातचीत का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। भारत माता का बेटा-बेटी कोई गलती कर दे तो उसे बंदूक चलाकर सीधा करने की कोशिश करते हैं, यह कौन-सी नैतिकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ मर्यादा राजनीतिज्ञों को निभानी चाहिए और वह निभाने के लिए हम सब विवश हैं। हम न भी चाहें तो कानून-व्यवस्था उस मर्यादा को निभाने के लिए हमें मजबूर करेगी। लेकिन चार्जशीट लगी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या चार्जशीट लगने वाली है, उससे पहले ही त्यागपत्र की मांग करना कौन सी नैतिकता है। यदि यह राजनीति नहीं है तो संसदीय मर्यादा के अंदर यह बात नहीं आती।

एक सरकारी अधिकारी अखबारों में बयान देता है कि चार्जशीट लगाने वाले हैं। किसी को चार्जशीट के बारे में मालूम हो तो मैं नहीं जानता। मैं उस चार्जशीट के बारे में नहीं जानता हूं। मैं भी संसद का सदस्य हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एमरजेंसी के दिनों के बाद 1977 में पहली बार उस समय के प्रधानमंत्री ने एक सी.बी.आई. के अधिकारी को मेरे पास किसी वजह से भेजा था। उसके पहले में जानता भी नही था कि सी.बी.आई. का आदमी कौन होता है, कैसा होता है, उसका रूप रंग कैसा होता है? आज सी.बी.आई के लोग खुले आम टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने पटना में कह दिया तो मुझे कहा गया कि लालू यादव को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं। अगर जांच करने वाली एजेंसियों की मर्यादा नहीं रहेगी, संसद में बात करने वालों की मर्यादा नहीं रहेगी तो हम अपराध नहीं मिटा सकते हैं।

हमारे एक मित्र हैं, ज्यूरिस्ट हैं, न्याय के बड़े प्रवक्ता हैं। उन्होंने लिखा कि आप अपराधी की मदद क्यों करते हैं? मैने कहा कि मैं अपराधी की मदद नहीं करता हूं। मेरा विश्वास है कि अपराधी मरने के लिए जन्म लेता है, अपराधी जिंदा नहीं रह सकता। वह तो स्वयं से मर जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं,जिनके हाथों कानून का डंडा है, अगर वह सीमा को पार कर जाते हैं तो वे लोग समाज को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देते हैं। आज एक का मामला है, कल दूसरे का मामला होगा। इधर से सुनाई पड़ रहा था कि आज बहुत सारे कांड यहां पर उठेंगे। मैं आपसे निवदेन करूंगा कि आज हम हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। क्या तीन-चार दिन हम इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या चार्जशीट का इंतजार करने में कोई आसमान टूट रहा था? क्या सारी राजनैतिक नैतिकता का पारस दो-चार दिनों में हो जाता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी संसदीय परम्परा है? एक सी.बी.आई. का डायरेक्टर किसी के खिलाफ एक राय जाहिर करे कि वह चार्जशीट लगाना चाहता है तो हम सब लोग खड़े होकर यह कहने लगें कि आप इस्तीफा दो नहीं तो सारी राजनीति की मर्यादा टूट जाएगी। लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। लेकिन जब परम्पराओं, मर्यादाओं और संसदीय व्यवस्था के नाम पर असत्य की व्याख्या यहां पर की जाती है तो मुझे लगता है कि कहीं हम गलत राह पर चले गए हैं और गलत राह वही है जो सोमनाथ चटर्जी जी ने कही कि अपराधी कोई साबित होगा या नहीं। कल्पनाथ जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जिस जज ने उनको जेल भेजा है, उनको कानून का प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं था। कल्पनाथ राय के बारे में जब मैंने इसी सदन में कहा कि मैं उनको अपराधी नहीं मानता हूं। सोमनाथ चटर्जी और लैफ्ट के ही एक नेता जो बदकिस्मती से आज सदन में नहीं हैं, हमसे उलक्ष पड़े। मैंने कहा कि जब तक कानून अपराधी नहीं कहता, आप अपराधी क्यों कहते हैं? वह हमसे बिगड़ गए थे। हमको भी अपराधी बनाने की कोशिश की थी। अपराधी बना नहीं पाए हैं, यह दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय, जहां पटना में संयम की जरूरत है, वहीं दिल्ली में भी संयम की जरूरत है। दिल्ली में संयम नहीं रहेगा और पटना में हम संयम का उपदेश देंगे तो हमारे उपदेश का काई असर नहीं होगा.........*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : अगर आप एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा?........*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : वह राजनीति में हैं। वह अपने को अपराधी मानते होंगे। मैं राजनीति में हूं, मैं अपने को अपराधी नहीं मानता ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, जी नहीं, यह तरीका नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते।

..........*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : मैं सब बातों का जवाब नही दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। जरूरत ही नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। न मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं और न मैं किसी अपराधी को संरक्षण दे रहा हूं। लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि मैं इस संसद की मर्यादा को संरक्षण देना अपना कर्तव्य समझता हूं। मुझे व्यक्ति के संरक्षण के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस राष्ट्र की कुछ मर्यादा है। अपने से बड़े जिसने देश की सेवा की है, जब तक वह अपराधी साबित नहीं हो जाता तो उसकी मर्यादा और सम्मान के विरुद्ध एक बात कहना मैं अपने लिए अपमान और घृणित मानता हूं। यह मेरी मान्यता है। शायद भारतीय संस्कृति से ही प्रेरित अन्य लोगों की दूसरी मान्यताएं होंगी। हमारी संस्कृति यही है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नही होगा, मैं उसको अपराधी नहीं मानता हूं। मैं उसको अपराधी कहकर अपने को कलंकित करने का काम नहीं करूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आज इस सदन में बहस न होकर अगर बहस उस समय होती जब चार्जशीट लगाई गई होती।

उस समय जिन पर चार्जशीट लगी है, अगर कोई ऐसा कदम उठाते जो संविधान, मर्यादा या परम्परा के विरुद्ध होता तो शायद हमारी बहस ज्यादा सार्थक होती ! संसदीय परम्परा के ज्यादा अनुकूल होती।

अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे, आज की बहस सारी संसदीय परम्परा के विपरीत है, मान्यताओं के विपरीत है, मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार अत्तर देना चाहेगी? यह मामला शून्य काल में उठाया गया है सरकार इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सभा के वातावरण को देखते हुए मुझे मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री जी उत्तर देना चाहेंगे या नहीं।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : महोदय, आप ठीक कह रहे हैं कि सामान्यतः सरकार शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों का उत्तर नहीं देती और मेरा भी यही विचार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चर्चा ने एक दिशा ले ली; मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं अधित नहीं कहूंगा।

मैंने आरम्भ में जब इस कार्यालय का प्रभार संभाला था, इस सभा में कुछ आश्वासन दिए थे। यह आश्वासन थे कि सर्वप्रथम, सरकार में पारदर्शिता होगी; दूसरे किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखी जाएगी और तीसरे अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं उन्हें दोहराता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह् 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह् 1.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह् 2.40 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार *(बाढ़)* : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में चारा घोटाले पर चर्चा हो रही थी और इस मामले में जिन मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने की बात है, उस पर कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर आज जंतर मंतर रोड़ के पास समता पार्टी के हजारों कार्यकर्त्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर बर्बर तरीके से लाठी-चार्ज हुआ है। इसमें कई लोग घायल हो गये हैं। हम इसलिये यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री का आश्वासन होता है और दूसरी तरफ किसी पार्टी के इस तरह के प्रदर्शन को दबाकर यह सरकार कौन-सा संकेत देना चाहती है हम कह नहीं सकते ....*(व्यवधान)*... आप स्वयं जाकर स्थिति देख लीजिय .....*(व्यवधान)*.... अब यही तो मुश्किल है कि जनता मोर्चा लगा चुकी है और आप अपने घरों में कैद हैं........*(व्यवधान)*.....जनता केवल पटना में ही नहीं रहती है.......

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका मैंशन हो गया है, आप बैठ जायें।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय,वहां पर लाठी प्रहार हो रहा है और बहुत से लोगों को चोटें आई हैं यहां सरकार हमारी आवाज को कुंद करना चाहती है?

उपाध्यक्ष : अब आप बैठिये।

अपराह्न 2.42 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में अजमेर के तारागढ़ हिल में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को स्थापित करने के कार्य को गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अमजेर राजस्थान के केन्द्र में स्थित है। इसका पूरे देश में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। अजमेर ने देश की आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी राज में जब राजस्थान में सब देशी रियासतें भी उस समय स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई का सम्पूर्ण राजपुताने में अजमेर ही केन्द्र था। 1956 तक अजमेर केन्द्र प्रशासित प्रदेश रहा। आज दूरदर्शन के कई चैनल शुरू हो गये हैं परन्तु राजस्थान के मध्य अजमेर, भीलवाड़ा, पावी, राजसमन्द, भागोर, टोंक आदि कई जिलों में दूरदर्शन के अन्य चैनलों के कार्यक्रमों को देखना तो दूर रहा मुख्य चैनल के कार्यक्रम भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते और कई बार कार्यक्रमों के चलते हुये व्यवधान पैदा हो जाता है जिससे अजमेर तथा आसपास के लाखों टी.बी. दर्शकों में घोर असंतोष व्याप्त है।

टी.बी. कार्यक्रमों का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाने का कारण अजमेर में शक्तिशाली टी.वी. प्रसारण केन्द्र (एल.पी.टी.) का नहीं होना है। यह और भी चिंतनीय है कि 8वी पंचवर्षीय योजना में अजमेर में (एच.पी.टी.) शक्तिशाली टी.वी. प्रसारण केन्द्र (10 के.वी) स्थापित करने का निर्णय सरकार ने ले लिया था तथा 8 करोड़ रुपये की योजना भी बन गई थी परन्तु 8वीं योजना पूरा हो जाने पर भी अभी तक टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लाखों टी.वी. दर्शकों को लाभान्वित करने तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम जन-जन तक पहुंचाने हेतु उत्तर भारत में सबसे पहले शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने वाले अजमेर शहर में तारागढ़ की पहाड़ी पर उच्च शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर अविलम्ब स्थापित करवाया जाये।

(दो) मुम्बई और मंगलौर के बीच बरास्ता पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल (इस्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई से बंगलौर वाया पूना होकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था और केन्द्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान करने के बाद इस राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ाई बढ़ाने का कार्य शुरू होना वाला है। इस कार्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी कुछ धनराशि खर्च होनी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास इस कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसलिये राज्य सरकार किसानों, भू-स्वामियों तथा अन्य लोगों की जमीन सरकारी रेट पर खरीद कर ऊंचे दामों में अन्य लोगों को बेच कर जो राशि प्राप्त होगी, इस कार्य में लगानी चाहती है, लेकिन जिन किसानों की जमीन राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत की जायेगी, उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिये पूरा खर्च वहन करे ताकि किसानों तथा भूस्वामियों को उनकी भूमि से वंचित न होना पड़े।

(तीन) महाराष्ट्र की सकरी तहसील में पिम्पलनेर में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

डा. साहेबराव सुकराम बागूल (धुले) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र धुलिया के अंतर्गत साक्री तहसील में पिम्पलनेर स्थान पर कोई गैस एजेन्सी नहीं है। वहां पर अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय हैं और अनेक शैक्षिक संस्थाएं हैं, जिनमें हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं, वहा की आबादी 25 हजार के लगभग है, लेकिन ईधंन की भारी कमी है, जिसके कारण वहां के लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में साक्री तहसील के अंतर्गत पिम्पलनेर स्थान पर शीघ्र ही एक गैस एजेन्सी खोलने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(चार) राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में गरीब मजदूर और नौजवान बेरोजगारी के कारण नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा प्रदान कर गरीब मजदूरों और आदिवासी नौजवानों को रोजगार प्रदान किया जाए। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में छोटे-बड़े

उद्योग लगाकर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार से धन का प्रावधान किया जाए जिससे गरीब आदिवासियों को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार मिल सके। इसके अलावा आदिवासियां को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु तालाब बनाए जाएं ताकि लोग अपनी भूमि का सदुपयोग कर सकें। आदिवासी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार बजट में विशेष प्रावधान करे ताकि शहरी क्षेत्रों की तरह आदिवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस संबंध में कारगर कदम उठाए जाएं।

(पांच) गया डिहरी पैसेंजर रेलगाड़ी को बिहार में गरवा रोड़ तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के औरंगाबाद एवं पलामू जिले अत्यंक पिछड़े एवं उग्रवाद प्रभावित जिले हैं। पूर्व रेलवे के डिहरी-बरवाडीह लाइन में मात्र एक पैसेंजर गाड़ी अर्थात् 127 अप एवं 128 डाउन में मात्र चार डिब्बे लगते हैं। यात्रियों की इतनी भीड़ होती है कि लटककर यात्रा करते हुए यात्रियों की आए दिन दुर्घटना होती रहती है जबकि डिहरी-आन-सोन में गया-डिहरी पैजेंजर 10 घंटे तक प्रतिदिन खड़ी रहती है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गया-डिहरी पैंसेंजर गाड़ी को गढ़वा रोड़ तक चलाया जाए और 127 अप एवं 128 डाउन पैसेंजर गाड़ी में 10 डिब्बे लगाए जाएं।

[अनुवाद]

(छः) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और अन्य निकटवर्ती जिलों में रसोई गैस की आपूर्ति में सुधार किए जाने की आवश्यकता

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में रसोई गैस कनेक्शनों और उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की बहुत अधिक कमी है। इन जिलों में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए काफी आवेदन लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं। रसोई गेस सिलेण्डरों की अनियमित सप्लाई से भी उपभोक्ताओं के बीच रोष पैदा हो रहा है। इस क्षेत्र में कोई बोटलिंग प्लांट भी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में रसोई गैस डीलरशिप बढाने और जलपाईगुड़ी के रानीनगर औद्योगिक परिसर में और कूचबिहार और पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में रसोई गैस बोटलिंग प्लोट स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(सात) औषधीय जड़ी-बूटियों का लाभ उठाने हेतु तमिलनाडु के राजाजी जिले के कोली हिल्स मे सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री के. कंडासामी (रसिपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के राजाजी जिले के कोली हिल्स में इस समय प्राकृतिक और औषधीय जड़ी-बूटियां बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं जिनका पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। औषधि के रूप में यह प्राकृतिक सम्पदा जो कि मानव मात्र के लिए बहुत मूल्यवान है, उसे अधिकारियों की अनुमति लिए बिना विदेशी दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध है कि इन पहाड़ों का सर्वेक्षण कराने और इन औषधियों का मानव उपयोग हेतु लाभ उठाने के लिए इस प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।

अपराह्न 2.52 बजे

अनुदानों की मांगें (रेल)–1997-98

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के अब वर्ष 1997-98 के लिए अनुदानों की मांगे (रेल) पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिए चार घंटों के समय की सिफारिश की गई है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके 1997-98 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जिन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं की क्रम संख्या बताते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए माने जायेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग सं० 1 से 16 के सामने दिखाई गई मांगों के शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनूपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	13.3.97 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखा अनुदान की मांग की राशि	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4
1.	रेलवे बोर्ड	6,00,76,000	30,03,82,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	28,23,30,000	141,16,52,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	201,62,50,000	1008,12,50,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यो की मरम्मत और अनुरक्षण	392,87,93,000	1964,39,67,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	222,81,85,000	1114,09, 25,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	405,15,66, 000	2025,78,28,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	209,22,22,000	1046,11,08,000
8.	परिचालन व्यय–चल स्टाक और उपस्कर	319,90,98,000	1599,54,91,000
9.	परिचालन व्यय – यातायात	1324,39,10,000	2991,95,47,000
10.	परिचालन व्यय – ईंधन	744,69,11,000	3723,45,55,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	147,21,59,000	736,07,97,000
12.	विविध संचालन व्यय	182,75,71,000	913,78,58,000
13.	भविष्य निधि, पैंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	418,84,00,000	2094,19,99,000
14.	निधियों में विनियोग	1177,66,67,000	4406,33,33,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,11,000	1625,43,89,000
16.	परिसम्पत्तियां – खरीद, निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	7,50,00,000	37,50,00,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	1608,67,21,000	8043,36,04,000
	रेलवे निधियां	682,59,67,000	3412,98,33,000

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, रले के बजट पर मैं अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। रेल मंत्रालय की जो स्थाई समिति है उसने 22 अप्रैल को डिमांड्स के बारे में अपनी छठवीं रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी है। हमारे मित्र बसुदेव आचार्य जी उसके उध्यक्ष हैं और मैं उस समिति का सदस्य हूं। मैं आशा करता हूं कि स्थाई समिति ने एक मत से, एक राय से जो रटप प्रस्तुत की है उसके अनुसार रेल मंत्री जी काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि गत 8-10 दिनों में जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी उनके कारण हमारे रेल मंत्री जी को उस रपट को पढ़ने का समय मिला है या नहीं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : समय मिल गया है। रिपोर्ट पढ़ ली है।

श्री राम नाईक : समय मिल गया है, तो मैं आशा करता हूं

[श्री राम नाईक]

कि आप जब अपना जवाब दें, तो उसमें दिए गए सुझावों के अनुसार जवाब दें।

उपाध्यक्ष जी, रेल मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने इस रपट को प्रस्तुत करने हेतु अध्ययन के लिए कुछ अध्ययन गुट बनाए थे, जिनमें आर्थिक स्थिति के बारे में, पैसेंजर अमैनिटीज के बारे में, शहरों में जो सब-अर्बन सेवाएं चलती हैं, उनके बारे में अध्ययन हेतु अलग-अलग सेल बनाए गए । मैट्रोपोलिटन सब अर्बन सेल जो स्टडी करने के लिए बनाया गया था मैं उसका संयोजक था और इसमें अध्ययन के जरिए जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और जो मोटेतौर पर हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित की गई है, वह बात भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, इसमें सबसे गंभीर और महत्व की बात यह है और उसका उल्लेख मैं शुरू में करना चाहता हूं कि हमारी उपनगरीय अध्ययन समिति ने मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई, इन महानगरों में दो-दो दिन जाकर अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर कमेटी ने उस पर विचार के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें पैराग्राफ 2.74, 2.75 और 2.76 में मैट्रोपोलिटन सिटीज के बारे में जो कहा है, वह तफसील से दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, मुम्बई के महानगर मैट्रोपोलिटन रेल के संबंध में बड़ी ही गंभीर स्थिति आयी है। इसलिए उसके संबंध में मैं पहले कुछ कहना चाहता हूं। कमेटी ने इसमें कहा है कि मुम्बई शहर के उपनगरीय रेल में 54 लाख लोग रोज प्रवास करते हैं। दुनिया की यह इस प्रकार की सबसे ज्यादा भीड़ वाली रेलवे है। बाकी सब जगह चाहे रेलवे में घाटा होता है लेकिन मुम्बई उपनगरीय रेल में 82.24 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है और रेल मंत्रालय ने, पहले के रेल मंत्री श्री सुरेश कलमाड़ी अभी यहां नही हैं, जो एक्शन प्लान मुम्बई 2001 का प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया था उसमें ऐसा कहा था कि 1997-98 के लिए 1917 करोड़ रुपये के प्रपोजल देंगे लेकिन वह नहीं दिये हैं। इस बात को ख्याल में रखते हुए रेलवे की स्थायी समिति ने पांच प्रमुख सिफारिशें की हैं:

[अनुवाद]

मैं उद्धरत करता हूं :

"इसलिए समिति चाहती है कि:

(एक) "कार्य योजना-मुम्बई 2001" में दर्शाई गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन की तरह एक अलग स्वशासी निगम गठित किया जाये ताकि विकासात्मक आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान दिया जा सके।

(तीन) मुम्बई में अतिरिक्त रेलवे भूमि के व्यवसायिक उपयोग हेतु एक निर्णय बिना देरी के लिया जाये और उससे प्राप्त आय को उपनगरीय प्रणाली के विकास हेतु इस्तेमाल किया जाये।

(चार) मुम्बई उपनगरीय रेल बांड की एक अलग से श्रृंखला जारी की जाये जिससे और अधिक धन इकट्ठा हो सके।

(पांच) पश्चिम रेलवे में बोरेवली तक और उससे आगे तथा मध्य रेलवे में ठाणे तक और उससे आगे की सभी सेवाओं हेतु बारह रैकों का उपयोग किया जाये।

समिति चाहती है कि रेल मंत्रालय द्वारा सभी उपरोक्त सिफारिशों की शीघ्रता से जांच की जाये तथा समिति को अवगत कराया जाये।"

[हिन्दी]

इसी प्रकार कलकत्ता और चेन्नई के बारे में भी रिकमेंडेशन्स दी हैं। सारी रिकमेंडेशन्स पढ़कर मैं सदन का समय नही लेना चाहता हूं लेकिन एक बहुत बड़ी गंभीर बात हुई है। मुम्बई महानगर ट्रांसपोर्ट प्रोजैक्ट जिसको एम.यू.टी.पी.-टू कहा जाता है और जिसकी चर्चा गत दस साल से रेल मंत्रालय में हो रही है। रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने चर्चा करके वर्ल्ड बैंक से 3500 करोड़ रुपये का लोन मिलना चाहिए, इस प्रकार की मांग की थी। वर्ल्ड बैंक ने सारी चर्चा होने के बाद कर्जा देने के लिए मान लिया । उन्होंने कुछ कंडीशन्स डाली। जो इसमें भी लिखी हैं और जिसे मैं भी बार-बार कहता आया हूं कि मुम्बई के लिए आटोनोमस रेलवे कार्पोरेशन होना चाहिए। उसमें उस कंडीशन को भी रखा गया। मुम्बई शहर में अतिरिक्त रेल की फालतू भूमि है। उसके वाणिज्यिक उपयोग के बारे में कहा है और जो 3500 करोड़ रुपये का लोान वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला था, वर्ल्ड बैंक ने 20 मार्च 1997 रेल मंत्रालय को लिख दिया कि हमारे जो लोन का प्रोपोजल था, वह हम वापिस ले रहे हैं क्योंकि आपको जो काम करना चाहिए था, वह आपने नहीं किया है।

उपाध्यक्ष जी, मुम्बई में ऐसे ही तकलीफें चल रही हैं और मुमबई में जो सुधार होंगे, वह वर्ल्ड बैंक के आधार पर होंगे। ऐसा

जब कहा गया था और यह बोल्ट फ्राम दी ब्लू भी मुम्बई के लिए एक वज्रवात है। वर्ल्ड बैंक ने जो लोन देने का प्रपोजल मान लिया था, वह उसे वापिस ले रहे हैं। मुझे जब खबर मिली तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ। मैंने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या यह सच है क्योंकि हम जानते थे कि रेल मंत्रालय, कम से कम कमेटी के सामने जब वह आये थे तब उन्होंने हमें बताना था लेकिन रेल मंत्रालय ने नहीं बताया।

अपराह्न 3.00 बजे

अब भी जब मुझे खबर पता चली तो मैंने मुम्बई में बात की और मेरे पास महाराष्ट्र सरकार की ओर से दो बजे फैक्स मैसेज आया है। वह फैक्स मैसेज यह कहता है:

[अनुवाद]

मैं इसे उद्धरत कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है :

"यह सच है कि विश्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 20 मार्च 1997 द्वारा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि निर्दिष्ट समय में कार्यवाही न करने और बैंक द्वारा उढाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया को देखते हुए बैंक के पास एम.यू.टी.पी परियोजना को चालू सुधार कार्यक्रम ने अलग कर उसे वर्तमान स्थिति से छोड़ देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है जबकि चालू पूर्व वित्त परियोजनाएं जिनकी अवधि 30 जून 1997 को समाप्त होनी है, इससे प्रभावित नहीं होंगी''।

[हिन्दी]

इसके कारण और कौन-कौन सी गड़बड़ होने वाली हैं, यह पूछने पर उन्होंने जो कनटैन्शन दी है, वह यह है:

[अनुवाद]

मैं इसे उद्धरत कर रहा हूँ :

"मुख्य मुद्दे जिनमें महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की तरफ से कार्यवाही लम्बित है इस प्रकार है:

(एक) परियोजना के लिए निधि और निधियों को जुटान के प्रबन्ध।

(दो) मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के लिए संस्थागत और निधि प्रबन्ध।

(तीन) खरीद और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को सुविधाशील बनाने के लिये उपायों के संबंध में निर्णयों सहित परियोजना कार्यान्वयन सम्पूर्ण परियोजना को तैयार करने की शुरूआत और संघटक निर्दिष्ट परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं की जिम्मेदारी।

(चार) सलाहकारों की नियुक्ति के निर्णय सहित गैर-रेल घटक की विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए प्राथमिकता योजनाएं और पी.एच आर.डी अनुदान के अतिरिक्त कार्यान्वयन और निधि प्रबन्ध।

(पांच) एम.यू.टी.पी-II के अन्तर्गत निधियों के प्रबन्ध के लिए विचार करने हेतु विशेष रेल घटक और आवश्यक तकनीकी मौलिक अध्ययन की शुरूआत।

[हिन्दी]

मुम्बई आर एंड आर प्रोजैक्ट भी है। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाता। मैने कहा कि आगे क्या करेंगे तो वे कहते हैं कि :

[अनुवाद]

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर रेलवे से निरन्तर अनुरोध करने के बावजूद निम्नलिखित ममालों पर कार्यवाही तीन वर्षों से भी अधिक से रेलवे की तरफ से लम्बित पड़ी है:

(एक) आर और आर की भागीदारी लागत।

(दो) मुम्बई क्षेत्र में रेल नेटवर्क के जिए अलग जोन बनाना।

(तीन) रेलवे भूमि का वाणिज्यिक रूप से उपयोग।

(चार) रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच 50 :50 के आधार पर रेल लागत की भागीदारी के लिए स्वीकृति।

(पांच) एम.यू.टी.पी.-II में उपनगरीय रेल संघटकों को अंतिम रूप देना।

(छः) उपनगरीय रेलवे के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन।"

[हिन्दी]

उसके कारण कौन से प्रोजैक्ट्स तुरन्त अफैक्ट होंगे, वे भी उन्होंने दिए हैं।

[अनुवाद]

"रेलवे द्वारा एम.यू.टी.पी-II में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल की गई हैं:

(एक) बोराबेली-वीरार को चार गुना करना।

(दो) डी.सी. से ए.सी में परिवर्तन।

(तीन) कारनेक बुंडर और राओली जंक्शन के बीच छठा कोरिडोर।

किन्तु निम्नलिखित परियोजनाएं जिन्हें मंजूरी दी गई है, उन्हें भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है:

(एक) अंधेरी-गौरगांव सैक्शन अथवा मुंबई मध्य से बोरीवली तक छठी लाइन

[श्री राम नाईक]

(दो) बांद्रा-कुरला पूर्व–पश्चिम रेल लिंक।

(तीन) कुरला-थाना पांचवीं और छठी लाइन।"

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि बीते दस साल से जो चर्चा चल रही थी, वह सारी की सारी मिट्टी में चली गई। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी यानि जो चर्चा दस साल से चल रही थी, 3500 करोड़ रुपये लोन आएगा, बजट में इसके बारे में कुछ करना है, ऐसा कहते-कहते आज यह स्थिति आई है और इसलिए मैं इसके बारे में जानकरी चाहता हूं। 'वी नीड युअर एक्सप्लेनेशन' कि इस प्रकार की स्थिति क्यों आई है और इसलिए मैंने कहा कि मुम्बई के बारे में कुल मिलाकर रेल मंत्रालय का हमेशा सौतला व्यवहार रहा है। बजट के बारे में गए समय में मैंने इतना सारा प्रयास किया। मुख्य मंत्री और आप मुम्बई आए थे, सब कमेटी बनी और इसलिए मैंने पहले कहा था कि "खोदा पहाड़ तो उसमें से चींटी निकली।" आप बताइए कि मुम्बई की जनता क्या करेगी। इसलिए इस बात को लेकर मंत्री जी, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता हूं कि आपने इस बारे में क्या करने का तय किया है और जो-जो बातें रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने इसके बारे में कही हैं, उसे व्यवहार में लाना चाहिए, ऐसी मेरी पहली मांग है।

दूसरी बात यह है कि रेलवे को जितनी बजटरी सपोर्ट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। आपको अधिक मिलना चाहिए, इस प्रकार का समर्थन कमेटी ने किया है और उस भूमिका में एक नई बात बन रही है कि इंडियन रेलवेज फाईनेंस कौर्पोरेशन जो है, वह रेलवे को लोन देती है, लीज चार्जेस लगाते हैं और वह करते-करते इस समय 1997-98 में 2050 करोड़ रुपये आप उनसे लोन लेंगे, इस प्रकार की बात आई है। और इस प्रकार की बात के सम्बन्ध में जो रेलवे स्टेंडिंग कमेटी की पेज 93 पर रिपोर्ट है, उस पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया है हम लोग भी यह मानते हैं कि एक दृष्टि से देखा जाये तो यह आई.आर.एफ.सी. के जरिये इतना कर्जा, इतना कर्जा लिया जा रहा है कि हम कर्ज से घिरे हुए हैं। कर्जे के ट्रैप में गये हैं, इस प्रकार की स्थिति आई है और इसलिए रेलवे स्टेंडिंग कमेटी ने यह बात कही हैं।

बोल्ट स्कीम के तहत कुछ प्रकरण लेने का मंत्री महोदय ने सोचा है। इस विषय की जानकारी लेने के बाद स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

[अनुवाद]

इसलिए समिति चाहती है कि रेल मंत्रालय ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में बिना और विलम्ब किए अन्य विभागों के अनुभव को देखते हुए योजना की पुनरीक्षा करे और सिफारिश करती है कि एक वर्ष के भीतर बोल्ट योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित न किए जाने के मामले में..........."।

[हिन्दी]

और इसी प्रकार बोल्ट स्कीम का भी यह हो रहा है। यह बोल्ट स्कीम जो चल रही है, कहा जा रहा था कि बोल्ट स्कीम के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण रेल प्रोजैक्ट अब तक बोल्ट स्कीम में नहीं आये हैं। हमारे पास आपकी सारी जानकारी आई कि हमारा मानना है कि बोल्ट योजना पूर्णतः असफल रही है। यह बोल्ट स्कीम टोटल फैल्योर हो गई है और इसलिए कमेटी ने यह रिकमेण्ड किया है कि यह जो बोल्ट स्कीम है, इसके बारे में आपको पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसी सिफारिश पैरा 2.61 में पेज 93 पर रेलवे कमेटी ने की है।

अपराह्न 3.07 बजे

[श्री पी.सी. चाक्को *पीठासीन हुए*]

एक और बात, जो बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण है। मैं रेल मंत्री जी का ख्याल पेज 97 पर पैराग्राफ 2.66 पर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह रेल बजट आपने पेश किया। जब रेल मंत्रालय को पूछा गया कि इन-इन प्रोजैक्ट्स के जिए प्लानिंग कमीशन से मान्यता ली है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं। यह जो रेल बजट में हमने प्रोजैक्ट्स लिये है, उनको प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी नहीं दी है, उसके एस्टीमेट्स भी कुछ बने नही हैं। अब प्लानिंग कमीशन किस बात के लिए है, एस्टीमेट्स किस बात के लिए बनाये जाते हैं और यह कैसा आपका बजट है कि जो आप पार्लियामेंट में एमाउण्ट्स पास करवाना चाहते हैं कि हमें आपको पैसा देना चाहिए, ऐसा कहते हैं और उसके आपने एस्टीमेट्स भी नहीं बनाये। प्लानिंग कमीशन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था और इसलिए हमने जब उनको पूछा कि आपका यह कैसा काम चल रहा है तो यह कहा गया। इसके बारे में जो सिफारिश पैरा 2.66 में है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 1997-98 के बजट में कुछ नई लाइनें बिना योजना आयोग और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की आवश्यक स्वीकृति के शामिल कर ली गई हैं।"

[हिन्दी]

आपने कैबिनेट कमेटी की भी मान्यता नहीं ली है, प्लानिंग कमीशन से भी नहीं ली है और आप पार्लियामेंट के सामने आ रहे हैं कि हमें इसे मंजूरी देनी चाहिए। ऐसा कोई बजट होता है, ऐसा कभी काम होता है?

श्री राम विलास पासवान : यदि उस आधार पर चलेंगे तो आपकी सिंगरौली से लेकर ललितपुर लाइन सात जन्म में होने वाली नहीं होगी। पार्लियामेंट जब सर्वोपरि है, पार्लियामेंट में जब पास करते हैं तो सबजैक्ट टू क्लियरेंस ही होता है। आप सारे के सारे कह दीजिए, यदि सारे लोग कह दें कि जब तक यह हार्ड एंड फास्ट रूल्स से नहीं होगा, आप किसी प्रोजैक्ट को नहीं लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : यानि आपने जो नियम बनाये हुए हैं, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हैं, जो देश के हित के लिए है, आपके जब फाइनेंशियल रूल्स हैं, आप सब ताक पर रखेंगे और यहां घोषणा करेंगे? दस साल से आप एम.यू.टी.पी. की घोषणा कर रहे हैं और देखिये, आपने क्या स्थिति बनाई है इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मिलेगा। देश को क्या मिलेगा, उस बात को लेकर करना चाहिए और जब तक प्लानिंग कमीशन और एस्टीमेट्स नही बनाते, केबिनेट इकोनोमिक कमेटी मंजूरी नही देती है, तब तक कैसे आप यहां आ सकते हैं? आपने नियमों के तोड़ा है।

श्री राम विलास पासवान : राम नाईक जी, आप क्या कहना चाहते हैं, किसी भी प्रोजैक्ट के लिए पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट को अधिकार है और हम आपके सामने आये हैं। आप प्रोजैक्ट को पास करते हैं, लेकिन तब तक उस प्रौजेक्ट का कार्य शुरू नहीं होगा, जब तक प्लानिंग कमीशन और सी.सी.ए. के द्वारा एप्रूव नहीं होता है और आज तक कोई भी ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है, जो बिना सी.सी.ए. और प्लानिंग कमीशन के बगैर कार्य रूप में परिणत हुआ हो। यह परम्परा शुरू से चली आ रही है, अभी भी चल रही है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : तो आपकी जानकारी जरा कम है। 2.66 में हमने सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जो रिफारिश दी है, यह में पढ़ता हूं। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसमें से आगे कौन सी दृष्टि से हम जायेंगे, वह तय करने की बात है। पैराग्राफ 2.66 में कमेटी कहती है :

> "यानि यह दो-तीन साल पहले की बात है, उसके पहले ऐसा नहीं चलता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें आप अकेले दोषी हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल डिसीप्लीन है, उसमें चलना चाहिए। नहीं तो आप यहां घोषणा कर देंगे, उसका कुछ नहीं होगा और फिर हम आपको कहेंगे।"

[अनुवाद]

समिति ने आगे जो कहा, मैं उसे उद्धरत करता हूँ:

> "रेल मंत्रालय वे समिति को बताया कि गत दो-तीन वर्षो से यही प्रक्रिया चल रही है। समिति महसूस करती है कि यह प्रक्रिया एकदम गलत है क्योंकि कोई भी परियोजना जिसके लिए संसद द्वारा बजट पास किया गया है, राष्ट्र की प्रतिबद्धता बन जाती है। अतः वे पुरजोर सिफारिश करती हैं कि जब तक कि किसी परियोजना की विस्तारित बोर्ड योजना आयोग और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अंतिम स्वीकृति न प्राप्त हो जाए, उसे बजट में शमिल न किया जाए।"

[हिन्दी]

इसलिए इन बातों की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। दो बाते और कहना चाहूंगा जिनका उल्लेख समिति ने किया है। एक तो रेल फ्रेट के बारे में है। आपने 12 प्रतिशत माल भाड़ा बढ़ाया है। उसके कारण रेलवे के पास जितना माल ढोने के लिए आता था, उतना नहीं आएगा। इससे आपके रेवेन्यू में भी फर्क पड़ेगा। गये साल भी आपने 10 प्रतिशत माल भाड़ा बढ़ाया था और इस साल भी 12 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। इसका जो केस्केडिंग इफेक्ट होता है, प्रभाव बढ़ता जाता है, उसके कारण महंगाई और बढ़ेगी। इस भूमिका को ख्याल में रखते हुए 12 प्रतिशत के बारे में आपको सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं पैसेंजर ट्रेन के बारे में कहना चाहता हूं। स्टेंडिंग कमेटी ने भी इसको आधार बनाकर सिफारिश की है, वह पैरा नम्बर 1.79 में पेज 51 पर है। आप आजकल नई गाड़ियां शुरू कर रहे हैं। लेकिन कौन सी गाड़ियां शुरू कर रहे हैं, आप राजधानी एक्सप्रेस शुरू कर रहे हैं, शताब्दी एक्सप्रेस शुरू कर रहे हैं या जो लम्बी दूरी की फर्स्ट क्लास और ए.सी. क्लास की गाड़ियां हैं, वे शुरू कर रहे हैं। पिछले तीन-चार सालों में आपने कोई पैसेंजर गाड़ी शुरू नहीं की, उल्टे उनको और कम करते जा रहे हैं। इसी तरह से हर ट्रेन में जो दो-तीन डिब्बे अनारक्षित होते हैं, जिसमें किसी को अकस्मात कहीं जाना है तो उसमें बैठकर जाता है, उन्हें भी कम कर रहे हैं, जबकि उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए।

इस प्रकार से जो स्टेंडिंग कमेटी ने सुझाव दिए हैं, उन पर आपको गौर करना चाहिए। मैं ऐसा मनता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी मिनी पार्लियामेंट है और इस नाते उस कमेटी ने जो प्रस्ताव और सिफारिशें की हैं, उनका सम्मान मंत्री महोदय को करना चाहिए।

मुम्बई की एम.यू.टी.पी. 2 के बारे में जो भी चित्र है, वह साफ करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस शहर में अशांति बढ़ेगी। वह देश के हित में और उस औद्योगिक नगरी के हित में नहीं होगी। इसलिए इस पर भी मंत्री महोदय आप स्पष्टीकरण दें। इन शब्दों के साथ सभापति जी आपको धन्यवाद।

अपराह्न 3.15 बजे

कटौती प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

मुरादानगर और मेरठ सिटी के बीच बड़ी लाइन के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1)

श्री पुन्नुलाल मोहले (विलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में नया रेलवे जोन स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (72)

पेंड्रा रोड स्टेशन (बिलासपुर) पर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को रोके जाने की आवश्यकता। (73)

विल्लहा स्टेशन पर सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को रोके जाने की आवश्यकता। (74)

विलासपुर से अमृतसर, दिल्ली से बिलासपुर और भुवनेश्वर से बिलासपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के डिब्बों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता। (75)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बिलासपुर और माण्डला (जबलपुर) के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (83)

बिलासपुर, मुम्बई, चेन्नई, हावड़ा और अन्य स्टेशनों को कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता। (84)

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मुम्बई डिवीजन के स्थान पर सूरत में सभी कार्यालयों के साथ सूरत डिवीजन स्थापित करने की आवश्यकता। (136)

शिक्षित युवकों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सूरत रेलवे स्टेशन के लिए वृहत योजना तैयार और निष्पादित करने की आवश्यकता। (137)

पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुम्बई से तत्काल अहमदाबाद स्थानांतरित करने की आवश्यकता। (138)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गुजरात क्वीन को गांधी नगर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (139)

सूरत से राजकोट अथवा भावनगर तक एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (140)

सूरत-विरार रेलगाड़ी को बोरीबली तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (141)

रिसाव और मलजल पर नियंत्रण पाने के लिए मद्दा गेट रनाला की मरम्मत करने की आवश्यकता। (142)

भरुच-सूरत शटल रेलगाड़ी को बलसाड तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (143)

सूरत रेलवे स्टेशन पर ईको एनाउसिंग प्रणाली आरंभ किये जाने की आवश्यकता। (144)

अहमदाबाद और सूरत के बीच रात्रि यात्रा के लिए अहमदाबाद–मुम्बई सवारी गाड़ी में वातानुकूलित स्लीपर डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता। (145)

गुजरात की सभी मीटर लाइनों को तत्काल बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता। (146)

मोदसा–कपड़वंज लाइन का निर्माण कार्य तत्काल पूरा करने के लिए पर्याप्त धननाशि का आबंटन करने की आवश्यकता। (147)

गुजरात क्वीन और फ्लाइंग रानी में वातानुकूलित चेयरकार डब्बे लगाये जाने की आवश्यकता। (148)

सूरत से नौवापुर के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (149)

सूरत स्टेशन पर यात्रियों की अबाध्य आवाजाही के लिए प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 से कुछ स्टाल हटाये जाने की आवश्यकता। (150)

सिटी बुकिंग कार्यालय को सूरत रेलवे स्टेशन पर स्थित पूर्ण सुसज्जित भवन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता। (151)

सूरत में यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुकिंग एजेंटों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता। (152)

सूरत-वाराणसी एक्सप्रैस को प्रतिदिन बरास्ता इलाहाबाद चलाये जाने की आवश्यकता। (153)

ओखा-पुरी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (154)

सूरत-पटना एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (155)

भेस्तान (पश्चिम रेलवे) पर ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण करने की आवश्यकता। (156)

ए०के० एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और वेस्टर्न एक्सप्रेस में सूरत से आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (157)

सूरत से दक्षिण को जाने वाली रेलगाड़ियों में आपातकालीन और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कोटा आबंटित करने की आवश्यकता। (158)

सूरत में प्लेटफार्म संख्या 4 परपानी, दूध, चाय, पुस्तक स्टाल और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (159)

यात्रियों की बेहतर सुविधाओं के लिए वर्तमान आरक्षण भवन का विस्तार करने की आवश्यकता। (160)

सूरत रेलवे स्टेशन पर और अधिक टिकट खिड़कियां खोलने की आवश्यकता। (161)

मुम्बई और अहमदाबाद के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (162)

उधना और जलगांव के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता। (163)

अहमदाबाद-मुम्बई के बीच पूर्वाह्न 10.00 बजे के पश्चात् चलने वाली एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (164)

मारोली रेलवे स्टेशन के खुले प्लेटफार्मों पर छत बनाए जाने की आवश्यकता जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। (165)

नवसारी के पश्चिमी भाग में नये रेलवे स्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता। (166)

उतरान रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित प्लेटफार्मों की मरम्मत करने की आवश्यकता। (167)

मारोली स्टेशन, पश्चिम रेलवे पर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोकने की आवश्यकता। (168)

सूरत रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग में एक लघु रेलवे स्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता। (169)

सायन, पश्चिम रेलवे पर गुजरात क्वीन को रोकने की आवश्यकता। (170)

नवसारी, पश्चिमी रेलवे पर अवंतिका एक्सप्रेस को रोकने की आवश्यकता। (171)

सूरत के निकट एल०सी० संख्या 441 और 451 पर एक ऊपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (172)

मुम्बई से दिल्ली तक बरास्ता अहमदाबाद एक सीधी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (173)

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर सेक्शन में विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए और उन्हें सलाह देने हेतु स्टेशन सलाहकार समिति गठित किये जाने की आवश्यकता। (236)

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर सेक्शन में रेलवे स्टेशनों के निकट रेलवे की भूमि के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता। (237)

कि परिचालन व्यय–यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर सेक्शन में चेतक एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (271)

पश्चिम रेलवे के रतलाम और भोपाल डिवीजन के बीच 'इंटरसिटी पैसेंजर' रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (272)

नीमच और कोटा डिवीजन के बीच चल रही पैसेन्जर रेलगाड़ी को बड़ी रेल लाइन पर दिल्ली तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (273)

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर सेक्शन में मुम्बई और जम्मू तवी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के लिये जाबरा रेलवे स्टेशन में द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी शयनयान में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (274)

पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में शामगढ़ स्टेशन पर जयपुर मुम्बई सवारी रेलगाड़ी का ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (275)

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत कोटा डिविजन में शामगढ़ रेलवे स्टेशन में जयपुर–चेन्नई सवारी रेलगाड़ी का ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (276)

पश्चिम रेलवे के कोटा, डिविजन में शामगढ़ और सुवासरा स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों के लिये आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (277)

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत मंदसौर और नीमच रेलवे स्टेशनों से, रतलाम होकर चलने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता। (278)

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर सेक्शन में नीमच और इंदौर के बीच इंटरसिटी पैसेन्जर ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता। (279)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में रतलाम और इंदौर के बीच शटल पैसेन्जर ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता। (280)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में तैनात रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को समुचित शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (281)

कि परिसम्पत्तियां–खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में मंदसौर और जावरा स्टेशनों में कमरों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (282)

पश्चिम रेलवे के रतलाम-अजमेर सेक्शन में जावरा और मंदसौर स्टेशनों में यात्री सुविधाएं और खान-पान सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (283)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में जावना स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों के विश्रामालयों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (284)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सैक्शन में जावरा और मंदसौर स्टेशनों पर अतिरिक्त लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता। (285)

पश्चिम रेलवे के शामगढ़ स्टेशन पर 'बेस किचन' को परिचालन योग्य बनाये जाने की आवश्यकता। (286)

पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में शामगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट गरोट और रायगढ़ के बीच रेलवे लेबल क्रासिंग को खोले जाने की आवश्यकता। (287)

पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में शामगढ़ और सुवासरा स्टेशनों पर प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (288)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में मंदसौर नीमच और जावरा स्टेशनों के लेबल क्रासिंगों पर उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता। (289)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में मंदसौर जावरा और नीमच में रेलवे कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (290)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में रतलाम और चित्तौड़गढ़ स्टेशनों के बीच समुचित प्रकाश व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (291)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में नीमच मंदसौर जावरा और रतलाम स्टेशनों पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (292)

पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर सेक्शन में जावरा, मंदसौर और नीमच स्टेशनों पर निर्मित प्लेटफार्मों के विस्तार की आवश्यकता। (293)

रतलाम और नीमच के बीच आमान परिवर्तन का कार्य, जिसके लिये स्वीकृति और बजटीय प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, पूरा किये जाने की आवश्यकता। (294)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेल बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

रेल बजट के लिये पर्याप्त बजटीय समर्थन प्राप्त करने में विफलता। (342)

महानगरों मे उप-नगरीय रेल प्रणाली के लिये रेल मंत्रालय के स्थान पर शहरी विकास मंत्रालय को शीर्ष मंत्रालय बनाये जाने में विफलता। (343)

मुम्बई में उप-नगरीय रेल प्रणाली के लिये स्वायत्तशासी निकाय के गठन में विफलता। (344)

कि प्रचालन व्यय - चल, स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई उप-नगरीय स्थानीय रेलगाड़ियों में नियंत्रण कार्यालय, मोटरमैन तथा गार्ड और लोक सूचना प्रणाली के बीच संचार व्यवस्था उपलब्ध करने में विफलता। (345)

मुम्बई उप-नगरीय प्रणाली में सभी ई०एम०यू० रैकों को 12 डिब्बों में बदलने में विफलता। (346)

कि परिसम्पत्तियां–खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

बोल्ट योजना के अन्तर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण करने में विफलता। (347)

उप-नगरीय परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिये मुम्बई में फालतू भूमि का नई रेल लाइनों, भवनों आदि के निर्माण के लिये वाणिज्यिक उपयोग करने में विफलता। (348)

(एक) मुम्बई मध्य/सांताक्रूज–बोरीवली 5वीं तथा छंठी लाइन, (दो) बोरीवली–वीरार चोहरा पथ एसी ट्रेक्शन और (तीन) पश्चिम रेल के उप-नगरीय सेक्शन वीरार–डाहानू रोड़ आटोमेटिक सिग्नलिंग, मुम्बई उप-नगरीय प्रणाली के निर्माण में विलंब तथा उनके लिये धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (349)

पश्चिम रेलवे पर वीरार से दाहानू रोड़ को मुम्बई उप-नगरीय रेल प्रणाली में शामिल करने के पश्चात उक्त स्टेशनों पर एक समान यात्री सुविधायें प्रदान करने में विफलता। (350)

पश्चिम रेल, मुम्बई उप-नगरीय प्रणाली के बान्द्रा, अंधेरी और बोरीवेली स्टेशनों पर नये स्टेशन भवन बनाने में विफलता। (351)

पश्चिम रेल, मुम्बई उप-नगरीय प्रणाली पर कांडीवीली और मलाड के बीच लेबल क्रासिंग संख्या 31 के बदले में सड़क उपरी पुल के निर्माण में विलंब तथा इसके लिये धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (352)

पश्चिम रेल उप-नगरीय प्रणाली पर चर्चगेट से वीरार तक डीसी को एसी ट्रेक्शन में बदलने के लिये धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (353)

(एक) महानगर परिवहन परियोजनायें (मुम्बई) के अन्तर्गत अंधेरी–बान्द्रा अतिरिक्त रेल लाइनें, (दो) मानखुर्द–बेलापुर विस्तार लाइनें (तीन) कुरला-थाणें पांचवी और छठी लाइनें और (चार) सीवूड उरान विद्युतीकृत 5वीं लाइन के निर्माण में विलंब तथा इनके लिये धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (354)

मध्य रेलवे, मुम्बई उप-नगरीय प्रणाली पर वसई रोड़ से दीवा और दीवा से पानवेल तक रेल मार्गों के दोहरीकरण का निर्माण कार्य शुरू करने में विफलता। (355)

मध्य रेलवे, मुम्बई उप-नगरीय प्रणाली के ठाणे और कल्याण स्टेशनों पर नये भवनों का निर्माण करने में विफलता। (356)

(एक) पनवेल–करजट–नई बड़ी लाइन विद्युतीकृत लाइन (दो) ठाणे-टुरभेह-नेरूल–वाशी, नवी मुम्बई में कोरीडोर 2 का भाग, (तीन) मध्य रेलवे, मुम्बई उपनगरीय प्रणाली के पूर्व-पश्चिम कोरीडोर के भाग के रूप में बेलापुर–पानवेल यात्री दोहरी लाइन के निर्माण में विलंब तथा उनके लिए धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (357)

(एक) मुम्बई–छतरपति शिवाजी टर्मिनल के भवन को नया स्वरूप देना और (दो) मध्य रेलवे में सीएसटी–कुर्ला–ठाणे–कल्याण गाड़ी डेसिवेर प्रणाली के निर्माण में विलंब और इनके लिए धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (358)

मध्य रेलवे के मुम्बाई डिवीजन में 1500 वी.डी.सी. को 25 केवी एसी ट्रेक्शन प्रणाली में बदलने में विलंब और इसके लिए धनराशि का अपर्याप्त प्रावधान। (359)

श्री आई०डी० स्वामी (करनाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिचालन व्यय, यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए करनाल और पानीपत में आरक्षण का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (471)

करनाल रेलवे स्टेशन पर सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को रोके जाने की आवश्यकता। (472)

कि परिसम्पत्तियां–खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गोहाना रोड़ को न्यू ग्रेन मार्किट पानीपत से जोड़ते हुए रोहतक–गोहाना–पानीपत रेल लाइन पर 68/14-15 किलोमीटर पर नया रेल फाटक बनाये जाने की आवश्यकता। (476)

करनाल में कछबा रोड़ (राज्य राजमार्ग संख्या–9) पर रेलवे अंडर ब्रिज अथवा उपरि पुल, जो भी व्यवहार्य हो, बनाये जाने की आवश्यकता। (477)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर, व्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद और विजय नगर स्टेशनों पर समुचित स्वच्छता प्रबंध और उनका सौन्दर्यीकरण किये जाने की आवश्यकता। (486)

व्यावर, किशनगढ़ और नसीराबाद स्टेशनों पर घोषणा किये जाने के प्रबंध किये जाने की आवश्यकता। (487)

सभी लंबी दूरी की गाड़ियों में दूसरे दर्जे के डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (488)

अजमेर स्टेशन पर यात्रियों के लिये विश्रामालय का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (489)

व्यावर और किशनगढ़ स्टेशनों पर विश्रामालयों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (490)

अजमेर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में उचित जल निकासी प्रणाली बनाये जाने की आवश्यकता। (491)

व्यावर रेलवे स्टेशन के नजदीक सीमेंट की लदाई के लिये विशेष वैगनों का प्रबंध किये जाने की आवश्यकता। (492)

अजमेर रेलवे स्टेशन का विस्तार, आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण किये जाने की आवश्यकता। (493)

अजमेर, व्यावर और किशनगढ़ रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (494)

देश के विभिन्न भागों के लिये जयपुर से आरम्भ होने वाली रेल गाड़ियों में अजमेर के लिये विशेष आरक्षण कोटा आवंटित किये जाने की आवश्यकता। (495)

राजस्थान के समस्त रेलवे स्टेशनों पर उनके दर्जे के अनुसार यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (496)

अजमेर से निकटवर्ती शहरों के लिए दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु अधिक शटल और ई०एम०यू० गाड़ियां आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (497)

अजमेर स्टेशन में कुलियों के लिए विश्रामालय का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (498)

रेलवे चयन बोर्डों के कार्यकरण को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता। (499)

मेहसाना—अजमेर और व्यावर के बीच एक यात्री गाड़ी आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (500)

सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों में पेन्ट्रकार जोड़ने और उत्तम खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (501)

अजमेर, किशनगढ़, व्यावर, नसीराबाद, विजय नगर इत्यादि रेलवे स्टेशनों पर समुचित खानपान स्वच्छता, आवास, प्लेटफार्म सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (502)

अजमेर और बीकानेर के बीच एक नई रेलगाड़ी आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (503)

अजमेर-अमृतसर, अजमेर-वारमेड़ और अजमेर-आगरा फोर्ट के बीच नई रेलगाड़ियां आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (504)

अजमेर-कलकत्ता और अजमेर-वाराणसी के बीच नई रेलगाड़ियां आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (505)

दिल्ली-अजमेर-अहमदाबाद मार्ग पर अधिक गाड़ियां आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (506)

दिल्ली-रिवाड़ी-रिंगोस-फुलेरा-अजमेर मीटरगेज लाइन पर अजमेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी पुनः आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (507)

अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर-वीरमग्राम-अहमदाबाद मीटरगेज लाइन पर अजमेर-अहमदाबाद एक्सप्रेस पुनः चलाये जाने की आवश्यकता। (508)

अजमेर-किशनगढ़-फुलेरा मार्ग पर शटल रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (509)

दिल्ली और उदयपुर के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (510)

दिल्ली और अजमेर मीटरगेज लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी में सामान्य दर्जे के डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने और एक अधिक ए.सी. डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता। (511)

मुम्बई-अहमदाबाद-अजमेर-जयपुर-दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (512)

अजमेर और हरिद्वार के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (513)

बरेली-दिल्ली-अजमेर-बड़ी लाइन पर चलने वाली गाड़ी को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (514)

जम्मू तवी-जयपुर के बीच चलने वाली पूजा एक्सप्रेस को अजमेर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (515)

बरास्ता अजमेर अहमदाबाद-दिल्ली के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को व्यावर और किशनगढ़ में रोके जाने की आवश्यकता। (516)

दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस की गति बढ़ाये जाने और उसको रविवार को भी चलाये जाने की आवश्यकता। (517)

अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय गठित किये जाने की आवश्यकता। (518)

अजमेर डिवीजन का पुनर्गठन का सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता। (519)

चित्तौड़ और फुलेरा तक के क्षेत्र को अजमेर डिवीजन में मिलाये जाने की आवश्यकता। (520)

बरास्ता अजमेर दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर सुपरफास्ट और एक्सप्रेस गाड़ियां आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (521)

अजमेर-अहमदाबाद और अजमेर-दिल्ली बड़ी रेल लाइन पर यात्री गाड़ियां आरम्भ किये जाने की आवश्यकता। (522)

अजमेर-व्यावर शटल गाड़ी को नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन पर पुनः चलाये जाने की आवश्यकता। (523)

अजमेर में रेल टिकट छपाई प्रेस का विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (524)

कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बड़ी रेल लाइन की आवश्यकता के अनुरूप लोको वर्कशाप का विस्तार किए जाने की आवश्यकता। (525)

रेल डिब्बा कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु विद्यमान कार्यों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (526)

दोराई, मदर और अजमेर में पड़े हुए रेलवे स्क्रेप को बेचकर उससे अर्जित निधि का रेल कारखानों के विकास हेतु उपयोग किये जाने की आवश्यकता। (527)

श्रमिकों और तकनीशियनों की नई भर्ती करने की आवश्यकता। (528)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

रेलवे कालोनियों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और खाली पड़ी भूमि पर नये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (529)

रेलवे बी०सी०टी० संस्थान का समुचित रखरखाव, मरम्मत और विकास किये जाने की आवश्यकता। (530)

रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं और वेतनमानों में उनके कार्य और उपलब्धियों के अनुरूप नियमित रूप से वृद्धि किए जाने की आवश्यकता। (531)

रेलवे अस्पतालों में सी०टी० स्कैन और अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (532)

अजमेर में रेलवे सीनियर सैकेंडरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता। (533)

लोको, कैरिज और जी०एल०ओ० नामक रेलवे खेल मैदानों का आधुनिकीकरण और उनका उचित रखरखाव किये जाने और खेल स्टेडियमों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (534)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आर०पी०एफ० कर्मियों को अधिक सुविधायें और अधिकार दिये जाने की आवश्यकता। (535)

कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अजमेर-चित्तौड़-उदयपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता। (536)

अजमेर–खण्डवा–पुरणा–काचीगुडा लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता। (537)

रिवाड़ी–रिंगस–फुलेरा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता। (538)

बांदीकुई–आगरा फोर्ट मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उस मार्ग पर अहमदाबाद–आगरा फोर्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (539)

अजमेर–किशनगढ़–रूपनगढ़–पर्वतसार–महाराणा रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (540)

अजमेर–पीसामान–गोविन्दगढ़–पुष्कर–मेरता रेल लाइन का सर्वेक्षण कराए जाने और निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (541)

अजमेर–नसीराबाद–केकरी–देवली–बूंदी–कोटा और व्यावर–भीम–कमलीघाट रेल लाइनों का सर्वेक्षण कराए जाने और निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (542)

अजमेर स्टेशन के निकट मारटिनडेल ब्रिज को ऊंचा करने और उसे चौड़ा करने तथा अजमेर के सभी सड़क रेल मार्गों से उसे जोड़े जाने की आवश्यकता। (543)

जोसगंज (अजमेर) और तोपधरा (अजमेर) में ऊपरिपुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (544)

आर्दश नगर–अजमेर और तावीजे रेलवे स्टेशनों का विस्तार करने और वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (545)

व्यस्त रूपनगढ़ रोड़ स्टेशन (किशनगढ़ स्टेशन के नजदीक) पर रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (546)

मिल रोड़ ब्यावर (ब्यावर स्टेशन के नजदीक) ऊपरिपुल अथवा भूमिगत पुल/निकास द्वार का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (547)

अजमेर डिवीजन के समस्त रेलवे क्रासिंग पर चौकादार नियुक्त किये जाने की आवश्यकता। (548)

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : आदरणीय सभापति जी, रेलवे की स्टेंडिंग कमेटी ने भारत के रेल बजट पर जो विचार विमर्श किया, उसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट सदन के सामने है। उस पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। रेल सुविधाओं पर इस सदन में समय-समय पर हमारे सभी दलों के माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रखते रहे हैं। हर बार हम रेल बजट पर चर्चा करते हैं, लेकिन मूल रूप से कोई अंतर नहीं आता। भारतीय रेल सबसे बड़ी रेल है और सबसे ज्यादा यात्रियों को हम इसकी सुविधा प्रतिदिन देते हैं। लेकिन हमोर वित्त मंत्रालय को जो सहायता रेल मंत्रालय को देनी चाहिए, वह उतनी मात्रा में नहीं दी जाती है।

यह सबसे बड़ी कठिनाई हम लोग देख रहे हैं। हर सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने प्रदेश में जो भी कार्यक्रम के बारे में इधर बताते हैं और सुविधाओं की मांग करते हैं। लेकिन रेलवे की जो धनराशि उनके हाथ में है, उस धनराशि के मुताबिक कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए ? हर बार हम लोग रेल बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय से ज्यादा से ज्यादा बजटरी सपोर्ट की मांग करते हैं। बजटरी सपोर्ट से पहले 85 प्रतिशत रेलवे को देते थे। लेकिन कई सालों से हम लोग यह देख रहे हैं कि रेलवे बोर्ड जो मांगते हैं, उससे बहुत कम पैसा वित्त मंत्रालय दे रहे हैं। आज मंत्रालय ने केवल पन्द्रह प्रतिशत रेलवे को दिया है। इसलिए कोई भी नया काम, पैसेंजर एमेनिटी की बात हो, नई रेलवे डबलिंग तथा नई रेलवे लाइन की बात हो, इसलिए कोई भी नया कार्यक्रम हम नहीं

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

ले सकते। इस समस्या के बारे में मेरे ख्याल से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा रेल मंत्री को इसके बारे में बैठकर यह तय करना पड़ेगा कि हर साल जो रेल मंत्रालय को कितनी ज्यादा धनराशि दे रहे हैं, उसमें प्रतिवर्ष कटौती की बात क्यों आती है ? इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए ताकि जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाएं पूरी की जा सकें।

हर बार संसद सदस्य इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इस बार भी इस धनराशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर नया प्रोजेक्ट कैसे लगेगा ? अभी राम नाईक जी ने बोल्ट स्कीम के बारे में बताया। इस बोल्ट स्कीम से हम लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि यह स्कीम असफल हो गई। जो भी प्रोजेक्ट बोल्ट स्कीम में लिया है, वह रेलवे बोर्ड खुद करने के लिए प्रयास कर रही है। चेयरमैन साहब आप खुद जानते हैं कि केरल में जिन भी दो-तीन प्रोजेक्ट को बोल्ट स्कीम में लेने के लिए विचार किया था या बोल्ट स्कीम में जिन प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया, वह सब असफल हो गए। अब रेलवे खुद इस काम को करने के लिए आगे आ रहा है। आज रेल मंत्रालय को अपनी आर्थिक समस्याओं के ऊपर व्हाइट पेपर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर दल के लोग नई रेलवे लाइन, नए प्रोजेक्ट, नए सर्वे, विद्युतीकरण और रेलवे लाइन की डबलिंग के बारे में जो भी मांग करते हैं, रेल मंत्रालय उनको पूरा नहीं करता है। इसलिए मेरे ख्याल से सदन के अंदर व्हाइट पेपर रखना चाहिए ताकि आने वाले बजट में वित्त मंत्रालय से ज्यादा से ज्यादा धनराशि लेकर कुछ काम शुरू किया जा सके।

सर, स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सुझाव सर्वे के बारे में बहुत अच्छा लगा। सर्वे के बारे में पिछले बजट में भी रेल मंत्री ने बताया था तथा आने वाले वर्षों में भी कुछ सर्वे करने के लिए उन्होंने सूचित किया है। लेकिन जितना भी सर्वे हम लोगों ने रेल मंत्रालय से करने के लिए कहा है उसकी पूर्ति नहीं हो रही स्टेंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में बताया है।

[अनुवाद]

"सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में काफी विलम्ब हो रहा है।"

[हिन्दी]

"लेकिन जो नया प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके लिए सर्वे जरूरी है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ प्रदेशों में पहले से सर्वे की कोई जरूरत समझी नहीं जा रही है। इसका कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि रेल मंत्रालय से हमको बताया जाता है कि इसका सर्वे होना चाहिए। प्रीलिमिनरी इंजीरियरिंग और ट्रैफिक सर्वे होना चाहिए। उसके बाद आमदनी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। रेलवे बोर्ड से प्लॉनिंग कमीशन के पास उसकी सिफारिश जानी चाहिए और प्लॉनिंग कमीशन इसके ऊपर विचार करके फिर दुबारा इसे बजट में शामिल करने का पूरा सिस्टम हमें बताती है।

मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर चार-पांच प्रोजेक्ट एक ही प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें कोई भी सर्वे नहीं किया गया है। वैसे ही प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे को इन पर भी सर्वे कराना चाहिए, आमदनी के बारे में विचार करना चाहिए और फिजीबिलिटी के बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन उसमें कोई विचार नहीं किया गया है। यही कारण है कि हर प्रदेश के लोगों के मन में यह भावना होती है कि उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सर्वे के डिले होने के बारे में हमें बताएं कि इसके डिले के कारण क्या हैं ? कुछ सर्वे "राइटस" को दिया गया है। मैं उनके काम करने की क्षमता को मानता हूं लेकिन जो समय निर्धारित किया गया है उस समय के अंदर सर्वे की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में भी मंत्री महोदय को बताना चाहिए।

राम विलास पासवान जी ने रेल विभाग की बागडोर सम्भालने के बाद कुछ नये रेलवे जोन बनाने का निर्णय लिया है। आज देश के अंदर 9 रेलवे जोन्स हैं। उन्होंने जो नये जोन्स गठित करने का निर्णय किया है उसके पीछे क्या लॉजिक है वह मुझे मालूम नहीं है। क्या प्रदेशों की मांग के अनुसार जोन्स गठित करने का निर्णय किया गया है या मांग और जनसंख्या के अनुसार या रेलवे में जो काम चल रहा है उसके अनुसार जोन्स बनाने का निर्णय किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में ऐसे भी प्रदेश हैं जहां रेलवे का कोई जोन नहीं है। केरल में कोई जोन नहीं है। हर बजट में उसकी उपेक्षा की जाती रही है। सारे अखबारों में तथा मंत्री महोदय से मिलकर हमने यह मांग की थी तथा रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसके बारे में बात उठाई थी। लेकिन केरल जैसे प्रदेश को जोन नहीं दिया गया है। केरल प्रदेश के लोग अन्य प्रदेशों में सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसका रूट सबसे ज्यादा लम्बा है और इस प्रदेश के सबसे ज्यादा नौकरी प्रदेश से बाहर रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की रेलवे द्वारा उपेक्षा की जा रही है। हमने मांग की थी कि इस प्रदेश में एक नये रेलवे जोन की आवश्यकता है लेकिन नये जोन के गठन के समय भी इस प्रदेश की उपेक्षा की गयी है। नये जोन जो गठित हुए हैं उनके बारे में मैं कोई एलीगेशन नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन जो नये जोन गठित किए गए हैं मंत्री महोदय उनके पीछे जो कारण हैं उन्हें बताएं।

जो भी प्रदेश पिछड़े हैं जिनमें रेल की सुविधा नहीं है जिनके लिए धनराशि एयरमार्क करके भी वहां काम नहीं चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं ? दक्षिण रेलवे में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। कर्नाटक भाग्यशाली है क्योंकि वहां से मंत्री था और इस बार प्रधान मंत्री ये वहां का हुआ।

इसलिए रेलवे का सारा काम कर्नाटक में हुआ है जो भी काम चल रहे हैं उनके बारे में मैं कोई खिलाफत नहीं करना

चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि विकास के बारे में जो संतुलन होना चाहिए और उसके बारे में जो हमारा कंसेष्ट है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। दक्षिण रेलवे में तीन प्रदेश हैं लेकिन केवल एक प्रदेश को ही उपेक्षित किया गया है, चाहे डबलिंग का मामला हो, विद्युतीकरण का मामला हो, कोई भी काम इस बारे में केरल में नहीं हो रहा है। इसीलिए केरल के बारे में हमने एक नये जोन के लिए सोचा है। हमने इसीलिए मंत्री महोदय से केरल में एक नये जोन के बारे में आग्रह किया था। लेकिन अभी तक मंत्री महोदय ने जोन केरल को क्यों नहीं दिया गया है इसके बारे में नहीं बताया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। रेलवे आज इंटरनल रिसोर्सिज से अपने काम चला रही है। इसको रेज करने के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। इसको बजटरी सपोर्ट नहीं है, बजट से इसका ताल्लुक नहीं है। विकास के सारे काम इंटरनल रिसोर्सिज से चल रहे हैं। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

रेलवे में जो अनावश्यक खर्चा होता है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। भारतीय रेल जैसे अंग्रेजों के जमाने में चल रही थी वैसे ही आज भी चल रही है। जनरल मैनेजर फाइव स्टार सैलून में चल रहे हैं। मंत्रियों की सुविधा के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो भी अनावश्यक खर्चा है वह तो खत्म किया ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी वही परम्परा चली आ रही है कि जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर जहां भी चलते हैं एक बड़ा सैलून लेकर चलते हैं जिसमें पांच तारा होटल की सुविधाएं होती हैं। इसलिए खर्चा कम करने की तरफ भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि हमारे सैकिंड क्लॉस यात्रियों को क्या-क्या कष्ट सहने पड़ते हैं। जिस बोगी और डिब्बे में महात्मा गांधी जी चले थे वही बोगी और डिब्बा आज भी चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सुविधा भारत के आम नागरिक के लिए नहीं है। उनके लिए पानी की, पंखे की सुविधा नहीं है। उनको सुविधाएं देने की आज आवश्यकता है न कि चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर्स को जोकि बड़े सैलूनों में चलते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रेलवे में जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उनको कम करने की चिंता किसी को नहीं है। कई रेलवे स्टेशन तो ऐसे लगते हैं जैसे राजा-महाराजाओं के महल हों। ऐसे अनावश्यक खर्चों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बजटरी सपोर्ट कम होता जा रहा है और इंटरनल रिसोर्सिज बढ़ाने की एक सीमा होती है और रेल की टिकट का दाम बढ़ाने से लोग सरकार की खिलाफत करते हैं। अगर इंटरनल रिसोर्सिज बढ़ाने के लिए फ्रेट चार्ज में बढ़ोत्तरी करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कीमतों के बढ़ने की समस्या आ जाती है। इसलिए मेरे ख्याल से रेलवे मंत्री को यह देखना चाहिए कि फालतू का खर्चा कम कैसे करें।

मंत्री महोदय ने पारदर्शिता के बारे में बताया। आज सरकारी विभागों में जो काम चल रहे हैं।

इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ भी कहें लेकिन वह पारदर्शिता दे नहीं सके। ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से सारे घोटाले आज हमारे सामने आ रहे हैं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया कि रेल विभाग में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें पारदर्शिता लायी जाएगी लेकिन आज उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक साल में एक प्रोजैक्ट के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है, उस पर कम पैसा खर्च होने पर किस की जिम्मेदारी होती है ? जिम्मेदारी फिक्स करने के बारे में रेल विभाग में कोई सिस्टम है या नहीं ? क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक की लाइन के डबलिंग करने के बारे में बहुत सालों से केरल के माननीय सदस्यों ने मांग की। इस काम के लिए धनराशि भी रखी गई। वहां काम भी हो रहा है लेकिन जो भी धनराशि इसके लिए निर्धारित की गई है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। शोरनूर-मंगलौर लाइन की डबलिंग के बारे में आदरणीय रेल मंत्री ने अपने रेल बजट के भाषण में बताया था कि कोंकण रेलवे का काम पूरा हो जाने पर केरल के लोगों को रेल की ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। आज वहां जो गाड़ियां चल रही हैं, वे उसे कोंकण रेलवे में डाइवर्ट कर देंगे। शोरनूर-मंगलौर लाइन की डबलिंग के बारे में जो भी धनरशि पिछले वर्ष के बजट में रख गई थी, उसका आधा परसैंट भी खर्चा नहीं हुआ। इसका क्या कारण है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके बारे में रेल मंत्रालय जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं करता ? मंत्री महोदय ने बताया कि कोकण रेलवे की सुविधा केरल के लोगों को मिलेगी लेकिन पांच साल के बाद भी केरल के लोगों को कोकण रेलवे की सुविधा मिलने वाली नहीं है क्योंकि शोरनूर-मंगलौर लाइन की डबलिंग के बारे में कोई सोच नहीं है, वहां कोई काम नहीं चल रहा है। इसके लिए जो धनराशि रखी गई, वह खर्च नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है ? इसके बारे में मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

देश के लोगों को सबसे अधिक रोजगार देने वाला विभाग रेल विभाग है एक युवा होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि आज देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। पिछले चार-पांच साल से रेल मंत्रालय जितनी नौकरियां दे सकता था, उतनी वह दे नहीं पाया। उसमें कटौती हो गई। नई नियुक्तियों पर बैन लगा हुआ है – चाहे रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स में नौकरी देने की बात हो या दूसरे किसी में नियुक्ति करने की बात हो। आप हर

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

डिवीजन की बात देख सकते हैं। हरेक में नियुक्ति रिक्रूटमैंट कम हा रही है। आप जितने लोगों को नौकरी दे सकते थे, उसमें कटौती कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। रेलवे में कम्प्यूटराइजेशन होने की वजह से टिकटों के मिलने में सुविधा हुई है लेकिन नई नियुक्तियों में भी कटौती हुई है।

यहां गाड़ियों लूटने की बात हुई, रेलवे प्रापर्टी को सुरक्षा देने की बात हुई। रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स में लोगों की संख्या कम है। उसमें रिक्रूटमैंट करने का कोई काम नहीं हो रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इसको दूर करने की जरूरत है। रेलवे में नए रिक्रूटमैंट्स बहुत कम हो रहे हैं, इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए।

मैं इस अवसर पर लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। रेल बजट पर चर्चा के दौरान मैंने सारे मामले उठाए थे। लेकिन जो उत्तर मंत्री जी से मिला है, उससे संतुष्ट नहीं हूं। इसका कारण यह है कि पालघाट से इर्णाकुलम तक विद्युतीकरण को सन 2000 तक तभी पूरा किया जा सकेगा, यदि धनराशि मिलेगी। आप धनराशि रख नहीं सकते। पिछली सरकार के रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने भी इसे तीन साल के अंदर कोचीन तक विद्युतीकरण पूरा किये जाने की बात कही थी लेकिन उस वायदे का क्या हुआ। आज आप कह रहे हैं कि यदि धनराशि उपलब्ध होगी तभी सन् 2000 तक पूरा किया जा सकेगा। क्या रेलवे बोर्ड की कोई प्रतिष्ठा है ? क्या सरकार का इरादा वायदा निभाने का है ? मेरा सरकार से यह कहना है कि जो चलते हुए प्रोजैक्ट्स हैं, उनको समय पर योजना के अंदर पूरा करना चाहिए और रेल मंत्री को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये पूरे इसलिये नहीं होते क्योंकि सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि देश के विभिन्न प्रान्तों में जो ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए रेल मंत्री यहां पर घोषणा करें।

सभापति महोदय, अंत में एक बात कहूंगा कि सबरीमलाई, जो केरल में एक तीर्थ स्थान है, वहां पर न केवल दक्षिण भारत से बल्कि उत्तर भारत से लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पिछले बजट भाषण में मैंने इस बात को उठाया था कि रेलवे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम कर सकती है और इसके लिये श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए सबरीमाला के लिये रेल लाइन की मांग की थी। इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है लेकिन आपने इस साल के रेल बजट में इसको इनक्लूड नहीं किया और न ही इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स में शामिल किया है। मैं अंगमाली-सबरीमाला के लिये नई लाइन बिछाये जाने का स्वागत करता हूं लेकिन कोट्टायम से सबरीमाला की जो योजना है, उसका चार साल पहले सर्वे हो चुका है और दक्षिण रेलवे, रेलवे बोर्ड को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। मैं मंत्री महोदय से तीन-चार बार मिलकर चर्चा कर चुका हूं। मेरा अनुरोध है कि इसको इस बजट में शामिल किया जाये। जहां तक इर्णाकुलम-कायकुलम तक डबलिंग की बात है, उसके लिये आपने कहा कि कोस्टल लाइन आ गई है, इसलिये इसकी जरूरत नहीं है।

ये फिलम्सी आर्ग्यूमेण्ट्स हमें रेलवे बोर्ड से सुनने पड़ते हैं लेकिन आज रेल मंत्री जी के भाषण में है कि कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक कोई नयी रेलगाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि लाइन बिल्कुल सेंचुरेटेड है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोचीन से कायकुलम तक वाया कोट्टायम रेल लाइन की डबलिंग करने का कष्ट करें ताकि नयी रेलगाड़ी जो भी हो, त्रिवेन्द्रम तक पहुंचने की सुविधा हो। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि चार-पांच सर्वे केरल में मंत्री महोदय ने करने की घोषणा की थी। जो भी घोषणा की थी, उसको समय से पूरा करने के लिए निर्देश आपको देने चाहिए। एक चीफ इंजीनियर ऑफिस जो कोचीन में शुरू करने के लिए पहले भी वायदा किया था और नोटिफिकेशन भी आया था, दो तीन बार हमने इस मामले को यहां भी उठाया था और जिसको आपने विदड्रा किया था। उस वायदे को पूरा करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। इसी अवसर पर मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं कि कल हमें एक उत्तर मिला था कि जो ट्रेन्स साउदर्न रेलवे में चल रही हैं, उनमें पुरानी बोगियां लगाने की बात की जाती है। आपने उत्तर में बताया कि पुरानी बोगी और नयी बोगी मिलाकर चलाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि एक प्रदेश को इतना पीछे क्यों छोड़ देते हैं। आप सारी पुरानी बोगी साउदर्न रेलवे को भेज रहे हैं और एक ही प्रांत को भेज रहे हैं। इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए और जो भी क्षेत्र उपेक्षित हो रहे हैं, केरल और साउदर्न रेलवे की जो भी उपेक्षा इस बजट में और पिछले बजटों में हुई है, उसको ठीक करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। लोगों का जो सपना था, लोगों की जो प्रतीक्षा थी, उसको सफल करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए।

रेल मंत्री जी ने हमें बहुत सारे वायदे किये थे। हम लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी और उनके चैम्बर में भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अपने भाषण में जरूर जो वायदे किये हैं, उसको पूरा करने के लिए धनराशि रखने की घोषणा करेंगे और हमारी मांग पूरा करने की घोषणा करेंगे, ऐसी आशा मैं मंत्री महोदय से करता हूं।

श्री गिरधारी यादव (बांका) : आदरणीय सभापति महोदय, रेलवे के संबंध में जो रिपोर्ट दी गई है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

बिहार की तरफ और पूर्व भारत की तरफ जितनी भी रेलगाड़ियां जाती हैं, उसमें हमारी यह स्थिति है कि वेटिंग लिस्ट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। रेलवे विभाग से हम उन

टिकट्स को कनफर्म भी नहीं करा पाते हैं। जब भी कोई आदमी वेटिंग लिस्ट की टिकट लेने जाता है तो "नो रूम" कहते हैं। इतना हैवी पैसेंजर ट्रैफिक होने के बावजूद कोई भी यात्री गाड़ी नहीं बढ़ाई जा रही है जिससे आने वाले दिनों में जनसंख्या बढ रही है, लेकिन ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ने के कारण बहुत समस्याओं का समाना करना पड़ता है। ऐक्सप्रेस ट्रेनों में हमेशा यह मांग होती रही है कि अनरिज़र्व्ड बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जितनी भी ऐक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, बहुत कम ट्रेनों में बोगी बढ़ाई गई हैं जिससे साधारण यात्री अपना रिजर्वेशन नहीं ले पाते हैं और उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सभापति जी, पूर्व मध्य रेलवे में जो जोनल कार्यालय खोला गया है, हाजीपुर में काम करना शुरू नहीं किया है और हम चाहते हैं कि उसमें धनवाद डिवीजन को भी जोड़ा जाए क्योंकि जो भी उसकी आय का स्रोत है, सारे घाटे के डिवीजन को पूर्व मध्य रेलवे में दिया गया है और जो मुनाफे का डिवीज़न हैं, उसको पूर्व मध्य रेलवे से एक साजिश के तहत बाहर रख दिया है। धनवाद डिवीजन जो बिहार में बना है, इसको हाजीपुर में जोनल ऑफिस में रखा जाए। मालदा डिवीजन जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसे पूर्व रेलवे, कलकत्ता के साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा बिहार का रेलवे बजटरी सपोर्ट बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि रेलवे जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उससे हमारे बिहार का भी विकास हो सके।

आबादी की दृष्टि से बिहार देश का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन रेलवे के विकास के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है यह किसी से छिपा नहीं है, इसे आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यदि किसी ने भोपाल जाना हो तो सेम-डे रिजर्वेशन भी मिल जाता है जबकि पटना जाने के लिए आठ दिन पहले वेट लिस्ट में भी टिकट नहीं मिल पाता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार और खासकर पूर्वी बिहार, पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल, असम आदि की स्थिति रिजर्वेशन के मामले में कितनी खराब है और इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों में हमेशा यही स्थिति बनी रहती है।

गया हमारे राज्य का बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल पर्यटन-स्थल है लेकिन वहां से हावड़ा और दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। हमारी मांग है कि गया से दिल्ली और हावड़ा दोनों स्थानों के लिए सीधी ट्रेन अविलम्ब चालू की जाए। इसके साथ-साथ गया-पटना रेलवे लाइन के दोहरीकरण के अधूरे कार्य को भी शीघ्र पूरा कराया जाए। सीतारामपुर-मुगलसराय रेलवे विद्युतीकरण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। यदि बजट में दिखाई गति से चला जाए तो वह कार्य 2000 ई. तक भी पूरा नहीं होगा। मेरी मांग है कि जितनी जल्दी हो सके, रेल विभाग इस विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कराए।

सोहन नगर से बिहटा तक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की भी मैं मांग करता हूं। औरंगाबाद को रेलवे मुख्यालय से जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है। अनुग्रह नारायण रोड़ स्टेशन पर पुरूषोत्तम एक्सप्रैस का ठहराव कराया जाए।

मद्रास और बम्बई जाने के लिए पटना से आज कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मेरी मांग है कि पटना से मद्रास और बम्बई के लिए शीघ्र सुपरफास्ट ट्रेन वाया आसनसोल जसीडीह आरम्भ की जाए। हमारे यहां झाझा लोको स्टीमशैड बहुत पुराने समय से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वह मेरे लोकसभाई क्षेत्र में पड़ता है। मैं रेलवे विभाग से कई बार इस मामले को उठा चुका हूं कि जब वहां सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जो बर्बाद हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वहां विद्युत या डीजल लोकोशैड फिर से चालू करने की व्यवस्था की जाए।

हमारे यहां जमूई रेलवे स्टेशन पर एक ओवरब्रिज बनाने की मांग बहुत समय से की जाती रही है, मैं उस मांग को आज फिर दोहराना चाहता हूं कि जमूई और मुंगेर के बीच इस ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा जल्दी से जल्दी कराया जाए। इसका प्रोपोजल बिहार सरकार ने काफी समय पहले आपके पास भिजवाया हुआ है। इसके अलावा जमालपुर में जो रेल कारखाना है, हम चाहते हैं कि वहां शीघ्र कोच निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ किया जाए जिसका आश्वासन रेल मंत्री जी दे चुके हैं। मुंगेर और खगरिया के बीच एक रेलवे पुल की डिमांड भी काफी समय से की जा रही है और मैं चाहता हूं कि उसे भी शीघ्र बनवा दिया जाए।

बिहार में आज जितनी ट्रनें चलती हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है – न तो उनमें लाइट होती है और न शौचालय की ही व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाए। अभी रमेश चेन्नितल्ला जी कह रहे थे कि केरल में चलने वाली ट्रेनों में बहुत खराब बोगियां लगाई जाती हैं लेकिन मुझे पूरे देश में घूमने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि बिहार में चलने वाली ट्रेनों में सबसे पुरानी बोगियां लगाई जाती हैं, कोई भी आदमी जाकर देख सकता है। बिहार की ट्रनों से ज्यादा खराब बोगियां देश भर में किसी दूसरी जगह नहीं हैं।

हमरे यहां दानापुर टाटा एक अच्छी ट्रेन चलती है लेकिन उसमें मात्र 6 बोगियां होने से हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम बार-बार मांग करते रहते हैं कि इसमें बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि दिन के समय चलने वाली यह बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है जो बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है.....*(व्यवधान)* मेरी मांग है कि दानापुर टाटा ट्रेन में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए। उसमें एक प्रथम श्रेणी ए.सी. चेयर-कार बोगी लगाई जाए ताकि आज जन-प्रतिनिधियों,

[श्री गिरधारीलाल यादव]

अधिकारियों या पदाधिकारियों को उससे सफर करने में जो कठिनाई आती है, वह दूर हो सके क्योंकि सभी लोगों को उसी ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती है।

रेलवे में जिस स्टेशन से ट्रेनें ओरिजनेट होती हैं, वहां के रेलवे के पदाधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि जो रिजर्वेशन हुआ है उसको चैक करें क्योंकि देखने में यह आता है कि कोई भी पैसेंजर बिना टिकिट लिए ट्रेन के रिजर्व डिब्बे में बैठ जाता है, और ट्रेन टिकिट चैकिंग स्टाफ की मिलीभगत से वह अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच कर बाहर आ जाता है। हम और आप यदि आज रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हम यहां, मैं दिल्ली या नई दिल्ली की भी बात कह रहा हूं, यहां पर दलाल के माध्यम से जाएं, तो आज का ही रिजर्वेशन ज्यादा पैसे देकर हमें मिल सकता है। इन सभी चीजों में रेलवे में सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे आम नागरिक को रिजर्वेशन मिल सके और वह अपने गंतव्य पर जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी भी लंबी दूरी की रेलगाड़ियां हैं, उनमें पेंट्री कार की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ट्रेन में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण यात्री स्टेशन पर उतर जाता है और जब पानी पीने लगता है, तो स्टेशन से ट्रेन छूट जाती है। चूंकि नल उसके डिब्बे से थोड़ी दूर पर होता है, तो वह अपने डिब्बे में चढ़ने के लिए भागता है और इस भागदौड़ में कभी-कभी दुर्घटना भी हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी लंबी दूरी की रेलगाड़ियां हैं उनमें पेंट्र कार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यदि यह कही संभव नहीं हो, तो कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो हर लंबी दूरी की गाड़ी में होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, मैं रेलवे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे उम्मीद थी कि रेल मंत्रालय की बजट मांगों पर बहस के समय रेल मंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे, लेकिन वे यहां नहीं बैठे हैं और माननीय रेल राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं।

पिछले सत्र में भी हमने देखा कि सरकार ने रेल बजट प्रस्तुत किया और पास हुआ, लेकिन इसी बीच सरकार चली गई। चूंकि रेल मंत्री जी, समर्पित होकर, न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में रेल के विकास के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए हमें इनकी सरकार के जाने के कारण अच्छा नहीं लग रहा था। अब वे फिर किसी कारण से सरकार में आ गए हैं और रेल मंत्री के पद पर हैं, तो हमें आशा बंधी है कि जिस प्रकार से वे प्रदेश में रेल के विकास के लिए मन लगाकर काम कर रहे थे और न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रेल के विकास के लिए काम कर रहे थे, वे अब उस काम को आगे बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय, इस समय तो रेल मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे थे, जब वे सुबह इस सदन में उपस्थित थे, तो उनके चेहरे पर मायूसी थी, उनके चेहरे पर जोश और वे तेवर देखने को नहीं मिले, जो प्रायः उनके चेहरे पर रहते थे। तब हम सोच रहे थे कि कोई बिहार का आदमी उठे और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बिहार के बारे में बोले। लेकिन इस समय वे यहां नहीं हैं, लेकिन वे जहां पर भी होंगे, वहां पर यदि टी०वी० पर सदन की कार्यवाही को देख रहे होंगे, तो इस बहस से उनका मनोबल ऊंचा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है और उन्होंने जितनी रेल परियोजनाओं की घोषणा की हैं, वे उनको पूरा करवाएंगे।

महोदय, प्रतिवर्ष रेलवे बजट पर और इसकी मांगों पर चर्चा के समय देश भर से आए सांसद अपने विचार प्रकट करते हैं और छोटी-छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को लागू करने, रेलवे के दोहरीकरण, नए रेलवे के हाल्ट बनाने और नई रेलगाड़ियां चलाने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि रेलवे के पास जितने साधन हैं और जितनी मांग की जाती है, उसमें समन्वय न होने के कारण, काफी कठिनाई रहती हैं। यदि भारतीय रेल को देखा जाए, तो सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में यदि कहीं कोई सबसे बड़ा उपक्रम है, तो वह भारतीय रेल है जहां लाखों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं और सात हजार से अधिक रेलगाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं। रेलवे का स्टाफ भी संसार का सबसे बड़े आर्गेनाइजेशन में सबसे बड़े स्तर पर भारतीय रेल में है, लेकिन मुझे इसमें एक कमी जो नजर आई वह यह है कि यहां पूरी-पूरी ब्यूरोक्रेसी और टैक्नीक्रेसी में केवल एक राजनीतिकं व्यक्ति है, जो इन सबको कंट्रोल करने के लिए बैठा है और इस पूरी की पूरी विश्व की सबसे बड़ी लोक उपक्रम की व्यवस्था में केवल मात्र एक राजनीतिक व्यक्ति रेल मंत्रालय में मंत्री के रूप में बैठता है। और वह कितना भी कुछ कहना चाहें। तो पूरी इस व्यवस्था में उसको एक से दो प्रतिशत का इस विभाग का ज्ञान हो पाता है। 98 प्रतिशत ज्ञान विभागीय कर्मचारियों, पदाधिकारियों और अधिकारियों के पास रहता है जो भी मात्र खड़े होकर भाषण दें, उनको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वह बहुत कम अवधि में आते हैं और उतना तक ही उन तक पहुंच पाता है। चाहे तो सदन के माध्यम से सदस्यगण बताते हैं या फिर विभाग में कुछ शुभचिंतक लोग होते हैं जो उनको दिशा देने का प्रयास करते हैं। अन्यथा यह पूरे का पूरा विभाग, यह टेक्नोक्रेट्स इन पर हावी हैं और वे अपने ढंग से जैसे सरकार चलती है वैसे उसको लेकर चलते हैं।

महोदय, मैंने कई बार इन सब चीजों के बारे में ध्यान आकर्षित किया है और व्यक्तिगत तौर पर मैं मंत्री जी से भी

मिलकर बात करता रहता हूं। आज रेलवे के पास रिसोर्सिस का अभाव है। रेलवे के पास जो रिसोर्सिस क्रिएट करने की बात होती है और रेलवे के पासी प्री ब्रिटिश टाईम की जो इतनी प्रापर्टी है, मैं समझता हूं कि उसका यदि ढंग से उपयोग किया जाये तो उचित होगा। आज उसका उपयोग किया जाता है विभाग के पदाधिकारी निर्णय करते हैं कि किस पैच ऑफ लाइन को ऑक्शन करना है और किस रेलवे जंक्शन को किस विभाग में, किस कमर्शियल परपस के लिए लायेंगे। लेकिन उसका विस्तृत उपयोग आज भी इस देश में नहीं हो पा रहा है। अगर प्रॉपर यूटीलाईजेशन किया जाये, अगर ढंग से पूरे देश में रेलवे की प्रॉपर्टी को आत्मिक करके उसको रेशनलाईज करके रिसोर्सिस क्रिएट करने के लिए किया जाये तो मैं समझता हूं कि यह विभाग अपने आप स्वावलम्बी हो सकता है।

महोदय, हर बार और पिछले एक वर्ष से मैं पैसेंजर्स गाड़ी के बारे में सुन रहा हूं। हम लोग बड़ी पैसेंजर्स गाड़ियों की बात करते हैं। बड़ी पैसेंजर्स गाड़ियां जो सुपरफास्ट ट्रेन होती हैं उसमें हर व्यक्ति की मांग होती है कि पैसेंजर्स डिब्बों को बढ़ा दिया जाये। श्री सतपाल महाराज जी यहां बैठे हुए हैं। जब-जब इस सदन में चर्चा चली तब-तब आप भी बैठे रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दे रहा हूं और इस क्रांति को आप अपने पास ले लीजिए क्योंकि माननीय राम विलास पासवान जी यहां रहते तो झट से इस काम को कर देते जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हर लम्बी गाड़ी चाहे वह आसाम की तरफ जाये, चाहे केरल की तरफ जाये, चाहे उड़ीस और भुवनेश्वर की तरफ जाये, जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसमें दो डिब्बे लगा दिये जायं जो कि जनरल पैसेंजर्स करके जायें। उसी प्लेटफार्म पर हमारी ए.सी. गाड़ी खड़ी रहती है। ए.सी. गाड़ी के थोड़ा आगे वह पैसेंजर्स डिब्बा होता है जिसमें लोग कूद-कूदकर चढ़ते हैं। टी.टी. पीछे से आता है या कुली आता है तो जबरदस्ती धक्का देकर चढ़ाता है। हम लोग वहीं बगल में खड़े रहते हैं। मुंह छुपा लेते हैं कि कहीं क्षेत्र का आदमी वहां खड़ा न हो। वह देखेगा कि हम इस कशमकश में जायेंगे और माननीय सांसद महोदय इस ए.सी. वाली गाड़ी में जायेंगे। हम लोग नीचे खड़े रहते हैं और अगर ए.सी. का अंतिम डिब्बा होता है तो हम आहिस्ते से ऊपर चढ़ जाते हैं कि मेरे क्षेत्र का कोई आदमी न देख ले क्योंकि मैं तो ए.सी. में यात्रा करूंगा और बगल वाले डिब्बे में जो यात्रा करेगा वह एक हजार किलोमीटर तक बिना पानी, बिना बिजली के यात्रा करेगा। मंत्री जी इस विषय में आप सोचिये।

मैं अभी यहां बैठे-बैठे हिसाब जोड़ रहा था। मान लीजिए कि आप पटना के लिए यात्रा करते हैं तो एक बोगी जो थ्री टायर स्लीपर क्लास है, उसमें 72 सीटें हैं। उसका भाड़ा रिजर्वेशन के साथ सामान्यतः 210 रुपये होता है। 72 पैसेंजर्स के हिसाब से उस बोगी का राजस्व 15 हजार के आसपास होगा। एक ट्रेन की कल्पना कीजिए। जो गाड़ी पटना से गोहाटी तक जाये और जो सुपरफास्ट ट्रेन हो लेकिन उसमें टोटल पैसेंजर्स हों। उसमें आप स्लीपर क्लास प्रोवाइड मत कीजिए। अगर उसको इंटर कनेक्ट कीजिए। हर दिशा के लिए देश में एक ट्रेन ऐसी बनाई जानी चाहिए जिसमें मात्र पैसेंजर्स ट्रैवल करें। उसमें स्लीपर क्लास को आप प्रोवाइड मत कीजिए। आप उसकी गति बढ़ाइये। आप देखेंगे कि एक बोगी में बैठकर जाने वाले व्यक्ति ढंग से बैठकर जायेंगे जिसका आरक्षण नहीं हो, तो एक बोगी में 250-245 लोग बैठ सकते हैं। वह ट्रेन अगर पटना 12 घंटे में पहुंचा सके तो अच्छा होगा। इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन भर खेत में काम करते हैं, पंजाब से लौटकर आते हैं। उनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। उनको अगर कम समय में पटना तक, गोहाटी तक या उड़ीसा, भुवनेश्वर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन मिल जाये तो निश्चित रूप से उतने ही दाम देकर वह उसमें बैठकर यात्रा करने के लिए तैयार हैं।

लेकिन आपके यहां पैसंजर्स ट्रेन का क्या मतलब है ? उसमें एक तो जबरदस्ती आप बैठिये। दूसरा, 12 घंटे की दूरी आप 56 या 60 घंटे में तय करें उसके बाद आप उम्मीद कीजिए कि लम्बी यात्रा की ट्रेनों में जो सिंगल बोगी लगाई जाती है उसकी स्पीड अधिक हो और उसमें दो बोगी हों तो उससे कहीं समस्या का निदान हो सकता है ? अगर आप यश लूटना चाहते हैं, इस देश में नयी शुरूआत करना चाहते हैं क्योंकि यूनाईटेड फ्रंट की सरकार हमेशा कहती है कि गरीबों के लिए, फलां के लिए तो यह यश आप लूटिये। शुरुआती तौर पर एक सुपरफास्ट ट्रेन जिसमें रिसोर्सिस की फैसिलिटी न हो, जिसमें सिर्फ यात्रा सुविधा हो, टिकट सुपरफास्ट चार्ज के साथ सामान्य खरीदी जाये। उसमें बैठने की सुविधा हो, इंटर कनेक्टेड हो। उन यात्रियों के लिए पैन्ट्री की व्यवस्था हो। ऐसी शुरुआत करके आप देखिये। जो दो गाड़ियों की मांग करते हैं, तो इससे समस्या का निदान हो जायेगा।

यात्रियों के संदर्भ में बहुत सारी समस्याएं हैं। पीछे हमेशा चर्चा होती रही है कि लोग डकैती से परेशान हैं, चोरी से परेशान हैं। अब अन्तर्देशीय कम्पनियां, इंटरनेशनल कम्पनीज इंश्योरैंस सैक्टर में आ रही हैं।

अपराहन 4.00 बजे

[प्रो० रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

आप कहते हैं कि रेलवे के पास साधन नहीं हैं। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि पैसंजर आपके बीच में यात्रा करते हैं। अगर आप एक पैसेंजर टिकट पर पांच रुपये, दस रुपये इंश्योरैंस प्रीमियम लगा देते हैं तो यात्रियों को देने में कठिनाई नहीं होगी। आपका राजस्व बढ़ सकता है और साथ-साथ उन इंश्योरैंस कम्पनियों, जिनसे आप ऐलायंस करेंगे, का भी राजस्व बढ़ सकता है। अगर आप इंश्योरैंस कर दें, रास्ते में मेरा बैग चोरी हो जाए,

[श्री राजीव प्रताप रूड़ी]

मेरी दुर्घटना हो जाए, जब ऐक्सीडैंट होता है तो आप राजनैतिक दृष्टिकोण से 2-4 लाख रुपये की घोषणा करते हैं। लेकिन कई बार ये मामले ऐसे ही छूट जाते हैं। कई बार सामान्य लोग घायल हो जाते हैं। यदि आप प्रत्येक टिकट पर इंश्योरैंस एमाउंट फिक्स करके लेंगे, दो रुपये प्रति दर के हिसाब से भी लेंगे तो आप प्रत्येक व्यक्ति को इंश्योर कर सकते हैं और उस धन के उपयोग से आप लगेज को इंश्योर कर सकते हैं, आपके क्लेम्स ऑफिसर काम कर सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जहां इतने सारे लोग रेल में यात्रा कर रहे हों तो छोटी राशि लगाकर आप उनको इंश्योरैंस से कवर कर सकते हैं। साथ-साथ कम्पनियों के पास भी एक राजस्व हो सकेगा जो देश की सम्पत्ति में जा सकेगा।

एक और विचार मैंने पहले भी दिया था और राम विलास जी से अनौपचारिक बातचीत भी की थी। हम लोग जो देश के किसी भाग में जाते हैं, रिजर्वेशन के लिए सरकारी काउंटर पर जाना पड़ता है। सरकारी काउंटर पर जाकर हम रिजर्वेशन करवाते हैं। मैंने कहा कि आप प्राईवेट बुकिंग एजेंट्स को कम्प्यूटर नैटवर्क क्यों नहीं दे देते कि आप दो प्रतिशत लो और रेल यात्रियों को टिकट दो। कम्प्यूटर टर्मिनल्स बढ़ाइए, प्राईवेट एजेंसियों को भी दीजिए। उनका कहना था कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मैंने कहा कि इसमें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसेस है। अगर आज आरक्षण नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। प्राईवेटाइज़ करने में क्या कठिनाई है। इंडियन एयरलाइन्स में आप देख लीजिए प्राईवेट लोगों के पास भी है। हम यात्रा करना चाहते हैं, किसी प्राईवेट बुकिंग ऑफिस वाले को कहते हैं तो वे रिजर्वेशन देते हैं। लेकिन उनका कहना था कि डिमांड और सप्लाई का मामला बनता है। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। आप उसे इस दृष्टिकोण से नही देखें, यह देखिए कि आज अगर यात्री अपने बगल वाली ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर अपनी टिकट बुक करवाना चाहता है और वह 30 तारीख की उपलब्ध नहीं है, 2 तारीख की उपलब्ध नहीं है, 4 तारीख की उपलब्ध है तो वह उसे ले सकता है। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि वह नई दिल्ली रेलवे जंक्शन में जाकर, सरोजनी नगर में जकार लाइन में खड़ा रहे। आप कहते हैं कि उसका कम्प्यूटराईजेशन किया गया है, सुविधाएं दी गई हैं लेकिन उसमें भी लोगों को बहुत कठिनाई है। यदि आप अधिक से अधिक जगहों पर काउंटर बनाएंगे तो वहां पर भीड़ कम हो सकती है और जो सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं, वें संभावित रूप से बढ़ सकती हैं। यदि इस विषय पर प्राईवेटाईजेशन किया जाए तो यह लाभ का विषय बनेगा, लोगों की सुविधा का विषय बनेगा। जिस दृष्टिकोण से आपके पदाधिकारी समझाते हैं कि डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है, यहां पर यह इकोनोमिक्स लागू नहीं होती। मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं दो विभागों के बारे में बात इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि छोटे-छोटे विषय विभाग के दिमाग में नहीं आते। रेल विभाग को यह मतलब नहीं है कि दूसरे विभाग को भी उसकी हरकतों से नुकसान हो सकता है। इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट से हम पटना में उतरते हैं। मैडम, परसों जब मैं आपके साथ यात्रा कर रहा था तो आपने पूछा था कि इसमें जगह इतनी खाली क्यों है। मैंने कहा कि जब रनवे छोटा रहता है, जब टैम्परेचर ज्यादा होता है तो पैसेंजर का लोड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ में नहीं ले सकता। महोदया, पटना में मैंने आपको बताया था कि रनवे के जस्ट सामने रेलवे लाइट के सिगनल की गुमटी है। पिछले दस वर्षों से एयरपोर्ट अथॉरिटी इनसे मांग कर रही है कि उसे वहां से उठाकर एक किलोमीटर आगे कर दिया जाए। इंडियन एयरलाइन्स वैसे ही करोड़ों के घाटे में है। यदि इंडियन एयरलाइन्स के रनवे का एक्सटैंशन हो जाए तो हवाई जहाज में अधिक यात्री बिठाए जा सकते हैं। लेकिन पदाधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। जहाज को हाफ कैपेसिटी पर पटना में उतारा जाता है। लेकिन रेलवे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सौ से अधिक बार लिखा है कि टावर को यहां से आगे हटा दिया जाए ताकि हमें हमारा लैडिंग एरियल मिल सके। मंत्री महोदय, दूसरे विभागों का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यदि उनके भी राजस्व का नुकसान होता है तो उससे पूरे देश का नुकसान होता है। मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ......*(व्यवधान)*

और कई विषयों पर मैं कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय तो यहां पर बैठे नहीं हैं। घबराहट तो मुझ पर बहुत हुई, क्योंकि बहुत जोर शोर से हमने गंगा रेल पुल का शिलान्यास किया। सतपाल जी महाराज ने बोला कभी कुछ ? आज जो हमने सुझााव दिया, कुछ कर दें तो मंत्री तो ओरिजनल हम इन्हीं को मानेंगे।

छपरा मेरा संसदीय क्षेत्र है और आज पूरे देश के मामले में छपरा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं न कहीं आप समझ रहे होंगे, आगे का मामला क्या है। सारन छपरा में प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद जी की धरती रही है। वहां के रेलवे जंक्शन पर आप पैर रखेंगे तो लगेगा, मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान दे, छपरा का जो रेलवे जंक्शन है या सोनपुर का जो रेलवे जंक्शन है, मैं कई वर्षों से मांग कर रहा हूं कि इसका सौन्दर्यीकरण कराया जाये। विशेष रूप से छपरा जंक्शन का नाम डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम से किया जाये, क्योंकि कई स्थानों पर शुरूआती राजनैतिक जीवन में उनकी शुरूआत वहां से हुई। वहीं से वे ट्रेन पकड़कर आया करते थे, जाया क़रते थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे। आज 50 वर्ष इस आजाद भारत के होने वाले हैं, यह कृति आपके हाथों हो जायेगी, यदि छपरा जंक्शन का नाम डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के नाम से करेंगे। यह पूरे देश का एक सम्मान होगा। आजाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी के प्रति हमारी लोक सभा की तरफ से एक समर्पण होगा।

छपरा जिले में भारत सरकार का हैवी इंजीनियरिंग का एक प्लांट था, जो पिछले पांच वर्षों से बन्द है। हम लोगों ने कई बार मांग की कि बिहार से आप रेलवे कैरिज कोच फैक्टरी खोलना चाहते हैं तो इस फैक्टरी को अपने अन्दर ले लें। वहां के कर्मचारी जो वर्षों से भूखे मर रहे हैं। जो हैवी इंजीनियरिंग सारन इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, आपके पास करोड़ों रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां उपलब्ध है। यदि मंत्री जी इस पर विभाग से सलाह करके सारन इंजीनियरिंग की जो देश में सबसे बड़ा पुराना लेथ, सबसे पुराना चीनी मिल के कल-कारखाने का पार्ट पुर्जा बनाने वाली फैक्टरी थी, यदि इस पर विचार करेंगे तो उसको आप लोगों के राजगार का साधन बना सकते हैं और वहां पर से जितने लोग विस्थापित हुए हैं, उससे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को कारोबार मिल सकता है।

एक और विषय मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। यह सामान्यतः हम लोगों को रेल यात्रा में रोज देखने को मिलता है। आज प्रभावशाली गाड़ियों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रैस हैं। इस विषय पर भी मैंने मंत्री महोदय से मिलकर कई बार आग्रह किया है, क्योंकि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रैस में जब आप यात्रा करेंगे, हम लोग तो सांसद हैं, क्योंकि हम लोगों को सुविधा है, वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक बार अपना आरक्षण करा लेते हैं तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन राजधानी एक्सप्रैस में, शताब्दी एक्सप्रैस में आर.ए.सी. का कन्सैप्ट नहीं है और एक परिवार में अगर आप टिकट लेने गये तो वहां पर पहले दूसरे व्यक्ति को कन्फर्म रिजर्वेशन मिल जाता है और एक ही परिवार के तीसरे और चौथे व्यक्ति को वेटिंग लिस्ट में मिल जाता है। फर्ज कीजिए कि जाने वाली तिथि तक अन्तिम दो व्यक्तियों को जो उसी परिवार के हैं, आरक्षण नहीं मिलता है और यदि वह आदमी ट्रेन में सवार हो गया तो अन्तिम दो व्यक्तियों को, जो उस परिवार के सदस्य हैं, पहले दो एक ही ट्रेन में कन्फर्म हैं और तीसरा, चौथा अनकन्फर्म अगर वेटिंग लिस्ट पर यात्रा करता है तो उसको डबल पैनल्टी लगती है। मंत्री महोदय, मैं इसमें आग्रह करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में जिसका कन्फर्मेशन न हो और एक ही पार्टी का टिकट हो तो उस परिस्थिति में उसे कम से कम आर.ए.सी. ट्रीट करके जाने की, यात्रा की अनुमति दी जाये।

एक और विषय बड़ा महत्वपूर्ण आता है, यह रेलवे में सुरक्षा का है। पिछले दिनों कई बार हम लोगों ने सदन में यह बात उठाई है, इस पर काफी हंगामा रहा। हमारा दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पैक्टर, जो मेरे क्षेत्र से आता था, उसकी लड़ते-लड़ते हत्या हो गई और पिछले कई दिनों से, क्योंकि विषय पुराना हो जाता है, लोक सभा में एक बार हम इस बात को उठा देते हैं तो लोगों को लगता है कि विषय का निदान हो गया। मंत्री जी ने भी अपनी दिक्कत और परेशानी जाहिर की थी। आज भी बिहार में और पता नहीं, महानन्दा एक्सप्रैस एक ट्रेन है, मुझे याद है, एक दिन मैं यात्रा कर रहा था, उस समय मैं विधायक था और मैं अकेले यात्रा कर रहा था और मेरे सामने हत्या हुई, मैं वहां पर देखता रह गया। मुगलसराय में मैंने फिर तीन दिन पहले पढ़ा है कि फिर उस महानन्दा एक्सप्रैस में एक केस हुआ है, लगता है कि बिहार के डकैतों की प्रोबेशनरी ट्रेनिंग होती है।या तो उसके रेलवे की मिलीभगत है।

सभापति महोदय : यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : पूरा बिहार जल रहा है। लेकिन जलने के साथ-साथ जो रेल में डकैती की समस्या है, वह बिहार की बेरोजगारी, बिहारी की विषमता, बिहार में जो कठिनाइयां हैं, उनसे अलग है, क्योंकि रेल में चलने वाले सिर्फ बिहार के ही नहीं होते। वहां से जो रेल जाती हैं या चलती हैं उनमें नार्थ-ईस्ट, कर्नाटक, आंध्र आदि के लोग भी होते हैं। वे इस दहशत में जाते हैं कि न जाने कब उन्हें लूट लिया जाए और कब उनकी हत्या कर दी जाए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाई। वैसे भी राज्य सरकार से कुछ करने की सम्भावना क्षीण ही है, लेकिन चूंकि संविधान में राज्य सरकार है इसलिए उस पर उम्मीद करते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार भी कुछ नहीं कर पाई है। आप कहते हैं कि पचास प्रतिशत पैसा हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को देते हैं। उसके बाद भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यदि लोक सभा को यह करना है तो हम सभी सांसद तैयार हैं आप संशोधन लाएं और रेल सुरक्षा के मामले को अपने हाथ में लें। पूरा सदन आपको यह अधिकार देने में सहमत होगा। जो सिलसिलेवार रेल में डकैतियां हो रही हैं और बढ़ रही हैं, आपका दायित्व स्थापित हो सकेगा। यह महत्वपूर्ण विषय है।

मंत्री जी यहां नहीं हैं। मंत्री जी के इलाके में आर.पी.एफ. और आर.पी.एस.एफ. की बहाली हुई थी। मंत्री महोदय की नीयत साफ लगती है, उनको उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, यह ठीक है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में या उसके आसपास बहाली करने का प्रयास किया। लेकिन उसमें इतना विवाद हुआ, जो कमांडेंट और कंट्रोलिंग आफिसर्स यहां से गए थे, उन्होंने उस सूची पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अगर मंत्री महोदय के क्षेत्र में आर.पी.एफ. और आर.पी.एस.एफ. के सिपाहियों की नियुक्ति में इस तरह से विरोध पैदा होगा तो यह हमारे लिए सोच का विषय बन सकता है। आज तक उस पर कोई निर्णय नही हुआ। मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय पर किसी तरह का आक्षेप लगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनकी नीयत साफ थी, लेकिन इनकी पीठ पीछे कोई गलत काम करता है तो सम्भवतः रेल विभाग को उस पर ध्यान देना चाहिए।

मुझे समझ में नही आता कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नीयत क्या है। इनके चेयरमैन की नियुक्ति पोलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर होती है। जब सरकार बदलती है तो जितने भी हमारे जोनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको बदल दिया

[श्री राजीव प्रताप रूड़ी]

जाता है। उन पर कैसे अंकुश रखा जाए, यह देखना चाहिए। क्योंकि इस बोर्ड में जो धांधलियां हैं, जो कुरीतियां अपनाई जा रही हैं, उन पर चैक रखना जरूरी है। क्योंकि इसमें वही पदाधिकारी जाते हैं जो हम रेलवे प्लेटफार्म पर देखते हैं। हम तो सांसद हैं, हमसे तो ये ढंग से बात करते हैं। लेकिन हमारे परिवार वालों के साथ या अन्य लोगों के साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं, यह देखने वाली बात है। अगर ये कभी प्लेटफार्म के काउंटर पर बैठकर बता दें कि कौन सी गाड़ी कब चलेगी या आ रही है तो ऐसे लगता है कि ये हम पर कोई एहसान कर रहे हों। जिस दिन ये काउंटर पर चले जाते हैं, जिसके लिए इन्हें सरकार से वर्दी मिलती है, सरकार से वेतन मिलता हे, वे ऐसा जवाब देते हैं मानो वे जनता पर एहसान कर रहे हों। इसलिए रिक्रूटमेंट के समय कमिटमेंट भी लोगों में देखनी चाहिए।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश में सागर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। आठ-दस लोग काउंटर के पास खड़े थे और काउंटर खुलने का इंतजार कर रहे थे। मैं चाय पीने चला गया। थोड़ी देर में जब लौटकर आया तो देखा बगल में काउंटर खुला हुआ था। मैंने पूछा कि क्या बात है तो बताया गया कि हमारी पैसेंजर ट्रेन चार घंटे लेट है। हम टिकट वापस करना चाहते हैं। टिकट की कीमत आठ, दस और बारह रुपये के करीब थी। उन्होंने कहा कि काउंटर में बैठा आदमी एक टिकट वापस करने के लिए चार रुपये ले रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर उसने कहा तो ठीक है खड़े रहो। मैंने वहां टिकट सुपरवाइजर से इस सम्बन्ध में बात की तो उसने कहा कि विधायक जी आप ठीक कह रहे हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। लेकिन इनकी नियुक्ति अनुकम्पा पर हुई है। इसलिए इनको पता नही है कि नौकरी पाने के लिए हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा है। हम लोगों ने मेहनत करके नौकरी पाई है अनुकम्पा पर नही पाई है। भर्ती के समय प्रेरणा; भर्ती के समय चयन रेलवे में अच्छे कार्य करने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर राम विलास पासवान जी यहां रहते तो और भी कुछ पुरानी बातें थी, मैं उनको उठाता। लेकिन मैं समझता हूं कि पैसा तो आपको हम लोग रेलवे चलाने के लिए दे देंगे। लेकिन एक बार विचार कीजिए कि रेलवे को किस तरह से चलाया जाए ? रेलवे में किस प्रकार के लोगों को सहूलियतें उपलब्ध कराएं और रेलवे की छवि को पूरे भारतवर्ष में कैसे अच्छी बनाएं ? क्योंकि भारतीय रेलवे जब लिखा जाता है तो उसमें पूरे देश का नक्शा उभरकर सामने आता है और हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि इस भारतीय रेलवे की छवि को बरकरार रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदय, हम सब रेलवे बजट पर अपने-अपने प्रदेश के या अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्र के मामले यहां पर उठा रहे हैं। जिन दोस्तों ने इस बहस में हिस्सा लिया है, मैंने उनकी बातें गौर से सुनी हैं। उसमें अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं कि किस तरह से रेलवे के कामकाज में सुधार आ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि 1947 से पहले पार्टिशन से पहले, आजादी से पहले जम्मू तक रेलवे लाइन थी। रेल जम्मू तक आती थी। आज भी पचास साल के बाद भी जम्मू तक रेल आती है। जम्मू-कश्मीर में बहुत ही कम ऐसी आबादी है जो अभी तक रेलवे से कनैक्टेड है। 1947 से हमने कोई तरक्की नहीं की। लेकिन मैं आज रेल मंत्री और रेलवे विभाग को मुबारकबाद देना चाहता हूं। बेशक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जम्मू से ऊधमपुर तक की रेलवे लाइन की बुनियाद रखी गई थी और काम भी हुआ। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के लिए आज रेलवे विभाग ने बड़ा प्रोग्राम मंजूर किया है, मैं समझता हूं कि हमारे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है।

जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि ईस्टर्न राज्य हैं, जैसे आसाम और उसके आगे जो राज्य हैं, उनकी तरफ भी बड़े पैमाने पर रेल मंत्रालय की तरफ से ध्यान दिया गया है, वह भी खुशी की बात है क्योंकि जो कटे हुए इलाके हैं, उनकी तरफ ध्यान देना सामाजिक न्याय करने वाली बात है। पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने वाली नीति है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि 2500 करोड़ रुपये का जम्मू से ऊधमपुर, ऊधमपुर से कटरा और कटरा से बारामूला तक का जो प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की सोच में इंक्लाब आएगा। अभी तक हमारी ज्यादातर आबादी ऐसी है जिन्होंने अभी रेल तक नहीं देखी है। रेल के दर्शन भी नहीं किए हैं। वे लोग अपने को कटा हुआ महसूस करते हैं और मुख्यधारा से अपने को बहुत दूर महसूस करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और उसके एजेंट वहां उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और देश के खिलाफ उनको बहकाते हैं।

और वहां जो आतंकवाद है उसको फैलाते हैं। रेलवे आगे तक बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि लोग मुख्य धारा में आएंगे और देशभक्ति के जज्बे में इज़ाफा होगा और पाकिस्तान की सियासत भी खत्म होगी। इससे हमारी डिफेंस मजबूत होगी। आज डिफेंस के लिए बसों से हमारी सप्लाई जाती है लेकिन अगर रेलवे पूंछ और रजोरी तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि डिफेंस के खर्चे में कमी होगी और डिफेंस बेहतर होगी। इसलिए पहली दफा यह जो प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है इसकी मुझे खुशी है और ऊधमपुर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी ने ऐलान किया था कि इस प्रोजेक्ट को रेलवे बजट के अलावा केन्द्र सरकार पैसा देगी और उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। उनके ऐलान का जम्मू-कश्मीर की जनता ने और वहां के सांसदों के साथ हमने भी स्वागत किया था। हम समझते हैं कि इसी तरह से रेलवे का काम आगे बढ़ सकता है।

वैष्णों देवी के लिए हर साल 50 लाख के करीब लोग आते हैं। कटरा तक रेलवे लाइन को पहुंचाने के लिए आपने

100 करोड़ रुपया रखा है। जम्मू से ऊधमपुर तक 1997 के दौरान ही रेलवे लाइन पूरी करने का वायदा किया गया है। मैं चाहूंगा कि कटरा तक फौरी तौर पर रेलवे लाइन को लिया जाए और उससे आगे काजीकुंड और बारामूला दोनों जगह काम शुरू किया जाए जिससे वहां के रहने वाले लोगों को रोजगार मिले और वहां के रहने वाले लेबर और ठेकेदारों को ही तरजीह दी जाए क्योंकि वहां आतंकवाद और बेराजगारी रही है, वहां कत्लेआम रहा है।

मैं चाहूंगा कि इन बिन्दुओं पर काम शुरू किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। जालन्धर से लेकर जम्मू तक जो सिंगल-ट्रैक है उसे डबल किया जाए जिससे ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़े और आने-जाने में मदद मिले। इसके साथ ही राजधानी एक्सप्रेस जो एक दिन हफ्ते में जम्मू जाती है उसे हर रोज दिल्ली से चलाया जाए। वहां के लिए पैसेंजर और डिमांड दोनों ही हैं।

जम्मू से हरिद्वार तक के लिए नार्थ के जो राज्य हैं उन्होंने डिमांड की थी क्योंकि हमारे लोग हरिद्वार खुशी और गम दोनों में जाते हैं लेकिन कोई ट्रेन जम्मू से हरिद्वारा तक नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू से हरिद्वार तक हर रोज एक ट्रेन का इंतजाम किया जाए। इसके लिए मंत्री जी ने वायदा भी किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं है।

इसके साथ ही साथ हमारे यहां बेरोजगारी है। राजीव गांधी ने कपूरथला में एक कोच फैक्ट्री कायम की थी। हजारों लोग वहां काम करते हैं। इसी तरह की फैक्ट्री जम्मू में खोलने की हमारी डिमांड है। लकड़ी की कमी हमारे राज्य में नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य की बेराजगारी भी दूर होगी और काषिज की कमी दूर करने में भी मदद होगी। हमारे राज्य में बहुत कम इंडस्ट्री और रोजगार है, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मैं समझता हूं कि इसकी तरफ रेल मंत्री ध्यान देंगे। साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पासवान जी, सतपाल महाराज और रेलवे बोर्ड के मैम्बर्स ने पिछले दो रेल बजट अच्छे पेश किए हैं। इन्होंने एक्सपैंशन किए और कनसोलिडेशन किए, नई रेल लाइनों के सर्वे का काम किया और जहां नई लाइनें तामीर हुई हैं, वहां ट्रेन्स चलाने, उनकी फ्रिक्वैंसी बढ़ाने का काम किया। जिन स्टेशनों पर ट्रेनें कम थीं, वहां उन्हें बढ़ाया। मैं ऐसा सगझता हूं कि इन्होंने अच्छे ढंग से गहराई से सोच-समझ कर रेलवे में सुधार किया। उन्होंने पसमांदा इलाकों को जोड़ने का यत्न किया है और नई ट्रेनें चलायीं। इस काम के लिए मैं इनकी सराहना करता हूं और इनको बधाई देता हूं। हमारे साथी कहते हैं कि इतना कह तो दिया लेकिन इतना पैसा कहां से आएगा ? मैंने उनसे कहा कि पहले कहा तो सही, कुछ ऐलान तो किया। जहां तक पैसा दिलवाने का सवाल है, हम सब इसके बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट पर जोर डालेंगे कि वह रेलवे डिपार्टमैंट को सपोर्ट दे और मैचिंग ग्रान्ट दे। रेलवे अपने सोर्स से भी पैसा पैदा करता है। कुछ पैसा केन्द्र सरकार को भी देना चाहिए क्योंकि यह एक सोशल सर्विस है। इसमें आम लोगों के फायदे की बात है, उनको अच्छा, सस्ता ट्रांसपोर्ट मुहैय्या करने की बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि मुश्किल हालात में इन्होंने अच्छा बजट पेश किया है। इनका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा है और इनकी नीयत अच्छी है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं लेकिन इसमें जो कमियां हैं, उन्हें वह दूर करें।

रेलवे में हो रही डकैतियों के सवाल पर हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि रेलवे इसको अपने हाथ में ले। यह मुमकिन नहीं है। अगर रेलवे पूरी शक्ति अपने हाथ में ले लेगी तो इनका पूरा बजट इसमें चला जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट किस लिए है ? राज्य सरकार और रेलवे की ज्वाइंट रिस्पांसिबिल्टी होनी चाहिए। कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार ले, कुछ केन्द्र सरकार ले और कुछ रेलवे ले तभी डकैती, चोरी, छेड़ाखानी को चैक किया जा सकेगा। जब ये तीनों मिल कर काम करेंगे तो इनको रोका जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाएं और उनसे इस बारे में मदद लें। जितना राज्य सरकार को मालूम होता है, उतना किसी को मालूम नहीं होता। उन्हें मालूम होता है कि किस इलाके में कौन खराब और बुरा आदमी है, कौन डकैत है ? इस बारे में केन्द्र सरकार को ज्यादा ज्ञान नहीं होता। इसलिए इन डकैतों और बदउनवानियों को बंद करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इनवाल्व करना जरूरी है। मुझे मालूम है कि इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा।

जम्मू एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। उस स्टेशन को अच्छे नमूने का स्टेशन बनाने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों की वजह से सारा इंतजाम अच्छा चल रहा है। उनके तावून से कम से कम यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के समय में कोई हड़ताल नहीं हुई। सारे मुलाजिम अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पे कमीशन की रिपोर्ट को फौरन अमल करना चाहिए। पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार रिटायरमैंट की जो उम्र 58 साल से बढ़ कर 60 साल की गई है, आज के जमाने में यह एक अच्छा कदम है। ऐसे में तजुर्बेकार आदमी आपके हाथ में रहेंगे और भारत सरकार का अच्छा इंतजाम चलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको टाला न जाए और पे कमीशन की रिपोर्ट को तुरन्त माना जाए। उस पर फौरी अमल दरामद हो ताकि अच्छे, तजुर्बेकार अफसरों की सेवा हासिल हो सके और यह निजाम आगे बढ़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट की ताईद करता हूं और अहलकार मंत्री साहिबान को अच्छा बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। रेलवे में अच्छा इंतजाम करने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की, उसकी मैं सराहना करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्रीमती भगवती देवी (गया) : सभापति महोदया, मैं रेल बजट का सपोर्ट करने के लिए बोल रही हूं।

मैं समझ नहीं पाती कि इस रेल में फर्स्ट ए.सी., टू-टीयर ए. सी., थ्री-टीयर ए.सी., फर्स्ट क्लास और सैकिंड क्लास के अलावा भी कोई क्लास है। हां, एक 'छत क्लास' है जिस पर नीचे के लोग चलते हैं और एक गैलेरी क्लास है जिसमें आदमी पर आदमी गिरता-पड़ता रहता है। देश की 50 साल की आजादी के बाद भी यह गैर-बराबरी क्यों है ? यहां पर आये दिन रेल में डकैती पड़ने की बातें उठायी जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या गरीब लोग डकैती करते हैं। गरीब लोग तो निहत्थे हैं। जिनके पास हथियार हैं, दम है, ताकत है, वही करते हैं और यहां पर चारों तरफ वैमनस्यता का बीज बो रहे हैं। यदि यह आदत नहीं बदली तो गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जायेगी। भूख की ज्वाला इन्सान कोपागल कर देती है। यदि ऊंची क्लास में यात्रा करने वाले नीचे के लोगों को नहीं देखेंगे, सौतेलेपन का व्यवहार करेंगे तो क्या भाई-भाई का रिश्ता चल सकता है ? एक भाई खाते मरे और दूसरा भाई रहने के लिए भी मोहताज है और छत से पानी टपक रहा है। क्या आजादी का यही मतलब है ? आप कहां-कहां सौतेलापन का व्यवहार करेंगे ? वहां पर न पानी है और न बिजली की व्यवस्था है। पचास साल पहले मैंने अंग्रेजों के जुल्म सहे हैं और आपके जुल्म अब माथे पर हैं। इनको कहां तक ढोकर चलूं ? अब सह नहीं पा रही हूं। मैं चाहती हूं कि गरीब लोगों के लिए भी बोगी जोड़ी जाये वरना आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। आजादी से केवल हम अपनी जबान खोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मुझे लोक सभा में आने पर कुछ नहीं मिला और मैं कुछ बनाने भी नहीं जा रही हूं लेकिन गरीबों की बात पूरी ताकत के साथ रख सकती हूं। यहां पर गरीबों पर कितना दबाव बनायेंगे ? कहते हैं बिहार चोर है, वहां का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। मैं इस सदन से पूछना चाहती हूं कि बिहार लोहा, अभ्रक, कोयला देता है लेकिन इनके आफिस कहां हैं। इसकी व्यवस्था करने वाले लोग कौन हैं ? इसका इनकम टैक्स कौन-कौन इस्तेमाल करता है ? केवल मुट्ठीभर 5 परसेंट लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कोयला काटने वाला गरीब है, टी.बी. रोग से पीड़ित है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है। उसको दवा नहीं मिलती। गरीब आदमी जमीन के नीचे दबकर मर जाता है, उसको मुआवजा नहीं मिलता और ये लोग कहते हैं कि ट्रेन में डकैती करते हैं। कौन करता है, किसका बेटा है ? एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए। जो दोषी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आज साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि गरीब को कहां तक गिरायेंगे। कहां ले जाकर रखेंगे ? उसके पास रहने के लिए घर नहीं, न खाने का प्रबंध है। वह मेहनत करता है और ईंट उठाता है। दो समय की रोटी वह नहीं जुटा पाते। जो नहीं कमाने वाले लोग हैं, जो निकम्मे हैं, वे रात में भी और दिन में भी डकैती करते हैं। घर में, ऑफिस में बैठकर भी डकैती करते हैं। रात को ट्रेनों में घुसकर डकैती करते हैं। जिसके पास साधन होंगे, वही डकैती करेगा। लेकिन पकड़ा कौन जाता है ?

मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि बड़ी-बड़ी घटनाएं कहां घटी हैं ? गांधी जी की हत्या दिल्ली में हुई, इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में अपने घर में हुई, राजीव की हत्या दक्षिण के एक बड़े शहर में हुई। बड़े-बड़े लोगों की हत्याएं बड़े-बड़े शहरों में हो रही हैं। दमनचक्र कितना चलेगा ? आप बिहार को दोषी बता रहे हैं ? क्या वहां ऐसी कोई घटना घटी है ? पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता करने गए तो वहीं रह गए। इसमें किसका हाथ है ? क्या लालू का हाथ है ? लालू ने हत्या की है ? क्या गरीब का हाथ है ? कुर्सी छीनने के लिए जितने भी कुकर्म हों, वह कम हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूं और मजदूरों की प्रतिनिधि के रूप में कहना चाहती हूं कि आप सौतेलापन न दिखाएं, दस तरह की गाड़ियां न चलाएं। बिहार अगर अलग होता तो बिहार में एक भी गाड़ी नहीं जाती। गाड़ियां इसलिए जाती हैं कि वहां कोयला है। चाहे कोयला कन्याकुमारी ले जाना हो या मुम्बई ले जाना हो, या कलकत्ता ले जाना हो, चारों तरफ से बिहार की लूट मचा रहे हैं। क्या बिहार का किसान चोर है ? सभी अखबारों में छपा है कि बिहार के गेहूं में जर हो गया है। क्या यह बात सच है ? यह कहा गया है कि बिहार में गेहूं काला हो गया है और जहरीला हो गया है इसलिए इसका दाम डेढ़ रुपया या दो रुपया किलो कर देंगे। यही गेहूं बड़े व्यापारियों के पास जाएगा तो दस रुपये प्रति किलो बिकेगा। यह दामों की लूट है। क्या सरकार इसको कंट्रोल करेगी ?

कई लोग कहते हैं कि बिहार से गरीब लोग कमाने के लिए पंजाब और दिल्ली आते हैं। बिहार से दिल्ली में जो कमाने के लिए आता है तो यहां फैक्टरियों में पांच साल तक काम करता रहता है और उसको वेतन नहीं मिलता है। क्या ऐसी फैक्टरियों की जांच करके सरकार उन पर ताला लगवाएगी ? लोग कहते हैं कि लालू यादव का बेटा बाहर पढ़ रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सारे नेताओं के बेटे विदेश में नहीं पढ़ते हैं ? फिर उन्हीं पर इतना ध्यान क्यों है कि उनका बेटा अफसर बनेगा ? 50 लाख रुपया पहले शादी में मांगेगा। पचास लाख रुपये जिसके पास होंगे वही शादी करेगा। बड़े लोगों की पहचान क्या है वह मैं बता रही हूं। लोग कहते हैं कि रिश्ता टूट रहा है। क्या गरीब रिश्ता तोड़ रहा है ? गरीब लोगों के घर अमीर लोग तोड़ रहे हैं। अगर गरीब का घर किसी ने तोड़ा तो अमीरों की छत से वह टकराएगा और अमीर भी नहीं बचेंगे।

आज गरीबों की क्या स्थिति है ? एक तरफ गरीब चपरासी, खलासी, कुली का काम करके दिन भर मेहनत करते हैं और उसकी तनख्वाह तीन सौ रुपये है। दूसरी रिफ एक अफसर की तनख्वाह दस हजार रुपये है। इस गैर-बराबरी को दूर किया जाना चाहिए नहीं तो आने वाले समय में लोग हमें माफ नहीं करेंगे। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि रेल में एक ही क्लास होनी चाहिए। आज पढ़ाई भी दो तरह की हो गई है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे चाहे राजा का बेटा हो या रंक का, सभी को

एक-समान शिक्षा दी जा सके तभी शिक्षा में असमानता को दूर किया जा सकता है।

अंत में, हमारे यहां गया और बोधगया बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जहां भारी संख्या में देश और विदेश के लोग आते हैं, वह ब्रह्मा और विष्णु की नगरी है लेकिन बोधगया जाने के लिए आज कोई सीधी ट्रेन नहीं है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था – क्या यह सौतेलापन नहीं है। मेरी मांग है कि बुद्धिस्ट सर्किट और बोधगया को तुरन्त रेल सेवा से जोड़ाा जाए तथा गया से मथुरा को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। गया-पटना रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। इसके अलावा पटना से कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाएं। आज इधर से उधर और उधर से इधर ट्रेन आती जाती रहती हैं लेकिन गया से सीधी ट्रेन कोई नहीं है। मैं चाहती हूं कि बिहार में ट्रेन बढ़नी चाहिए, गया से नई ट्रेन खुलनी चाहिए, हमारे यहां रेल कारखाना भी लगना चाहिए, बहुत सी जगह मौजूद है और इन शब्दों के साथ मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, रेलवे पर अपनी चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व मैं अपनी बहन श्रीमती भगवती देवी, जिन्होंने दहेज पर यहां बात उठाई, को पूरा समर्थन देती हूं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

भगवती जी, अभी आपने दहेज की बात यहां उठाई, मैं उसमें आपको पूरा समर्थन देती हूं क्योंकि यह ऐसी प्रौब्लम है जो रेल के साथ और सभी के साथ कनैक्टेड हैं, जुड़ी है और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद और समर्थन देती हूं..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इससे आपको खुश होना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महिलाओं से संबंधित बिल इसी सैशन में आने वाला है जो आपके लिए अच्छा होगा। वह आपके हित में है। किसी भी तरह देख लीजिए, वह बिल आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा....*(व्यवधान)* अब मैं रेल बजट पर आती हूं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब रेलवे बजट पर डिस्कशन को चलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अनेक मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है। जिनका मैं पूरा-पूरा समर्थन करती हूं। उनमें से कुछ का उल्लेख मैं उस समय करूंगी जब मैं अपने राज्य की कतिपय परियोजनाओं का जिक्र करूंगी।

सबसे पहले तो मैं समिति को, कलकत्ता मेट्रो रेल के टौलीगंज से न्यू गैरिया तक विस्तार किए जाने संबंधी प्रश्न उठाये जाने हेतु, धन्यवाद देती हूं। यहां मैं रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतपाल महाराज के एक मुद्दे के सम्बन्ध में कुछ बताना चाहूंगी।

[हिन्दी]

रेल मंत्री श्री सतपाल जी महाराज को मैं कलकत्ता के टौलीगंज से गौरिमाहाट मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहती हूं कि उसके कुल खर्च का 20 परसेंट हिस्सा वहां की स्टेट गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

कुल 522 करोड़ रुपये में राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत धन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आज यह स्पष्ट किया है। यदि ऐसा है तो मुझे विश्वास है कि रेलवे का यह अति महत्वपूर्ण कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जैसा कि आप जानते हैं वास्तव में हमारा मुख्य शहर अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला है क्योंकि हमारे शेड हेतु स्थान मात्र 6¼ प्रतिशत ही है जोकि सामान्यतः 34 प्रतिशत होना चाहिए। अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करती हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई इस नई सूचना के आधार पर विचार करेंगे।

दूसरी बात कलकत्ता में एक शालीमार टर्मिनल के बारे में है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए एक टर्मिनल बनाया जाना था और उसका नाम शालीमार टर्मिनल था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी समय से कार्य लम्बित है। मैं समिति को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि उसने रेलवे को इस मुदे पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया आप पुनः इसकी जांच करें।

एक अन्य प्रश्न रेल पटरी के दोहरीकरण का है। सामान्यतः दोहरीकरण हेतु कुल आबंटन में कटौती की गई है। लेकिन मेरे विचार से छोटे-छोटे दोहरीकरण की कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और काफी लाभप्रद भी हैं। उदाहरण के तौर पर मिदनापुर-खड़गपुर और वर्णपुर-आसनसोल मार्ग। मिदनापुर मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 10 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण करने से ज्यादा यात्री यात्रा कर पायेंगे। ई०एम०यू० और नयी एन०एम०यू० आदि के परिणामस्वरूप आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये लोग अब बस से यात्रा करते हैं। प्रदूषण निसंदेह एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल भी एक बड़ी समस्या है। अतः, दोहरीकरण करने से फ़ायदा होगा। मैं मिदनापुर-खड़गपुर और वर्णपुर-आसनसोल का भी उल्लेख कर रही हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप विशेषकर इन दोनों परियोजनाओं पर ध्यान दें।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

जहां तक समिति के प्रतिवेदन का संबंध है तो पृष्ठ 106 के पैरा 2.77 में अनेक ऐसी योजनाएं सुझायी गई हैं जो हमारे राज्य में हैं और जिनके लिए हमें सरकार से अधिक सहायता की आवश्यकता है। उस दिशा में समिति का सोचना ठीक है कि अन्ततः वह लाभप्रद होगा। उदाहरण के तौर पर, बारासाट-हसनबाद और बोंगांव-राणाघाट सेक्शन का विद्युतीकरण है, जिसकी काफी आवश्यकता है। श्री राम विलास पासवान ने श्री अजय चक्रवर्ती, जो कि उस क्षेत्र के संसद सदस्य हैं, से कहा था कि यदि पूर्व रेलवे के प्राधिकारी इसकी आवश्यकता और इस पर होने वाले व्यय के अनुमान के संबंध में अपना प्रतिवेदन भेजे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यह कोई बड़ी परियोजना नहीं है। जहां तक मैं समझती हूं पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने दोनों परियोजनाओं के संबंध में अपना प्रतिवेदन पहले ही भेज चुके हैं। पहले तो उन्होंने यह कहा कि उस क्षेत्र के लोगों को उनकी काफी जरूरत है। उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि विद्युतीकरण पर लगभग कितना व्यय होगा।

आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि एकलाखी-बलूरघाट सेक्शन काफी विवादग्रस्त है। उत्तरी के बंगाल में एकलाखी-बलूरघाट वास्तव में एक पिछड़ा क्षेत्र है। इसी कारण वहां कुछ और अधिक धन दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार उत्तरी बंगाल में गंप्पूरिया-घंघोल के बीच रेल मार्ग बिछाये जाने की आवश्यकता है। यह भी उत्तरी बंगाल का एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है।

यदि आप इसकी तुलना शेष बंगाल अर्थात दक्षिण बंगाल से करें तो आप पायेंगे कि यह पिछड़ा है। इसी प्रकार से कुछ अन्य परियोजनायें भी हैं। मैं उन सभी का उल्लेख नहीं करूंगी। मैं उनमें से कुछ परियोजनाओं का उल्लेख कर रही हूं जो अति महत्वपूर्ण हैं।

इसमें से एक परियोजना है बंगर से पतरापोल के बीच रेल मार्ग का निर्माण करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में सुधार होने के परिणामस्वरूप यह जरूरी है और पतरापोल भारत और बंग्लादेश के बीच अंतिम स्टेशन है। इस रेल मार्ग के विस्तार से दोनों देशों को लाभ होगा।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : पतरापोल बंग्लादेश में ही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बंग्लादेश का यह पहला स्टेशन है और भारत का अंतिम। वहां तक रेल मार्ग के विस्तार से दोनों देशों के बीच सामान के लाने ले जाने में सहायता पहुंचेगी। आवागमन की समस्या गंभीर है। जब हम बंग्लादेश के साथ पानी की समस्या पर चर्चा करने के लिए एक सरकारी शिष्टमंडल के रूप में वहां गए थे तब वे लोग बहुत भयभीत थे और यह कह रहे थे कि हम यहां यात्रा पर आये हैं। उनका यह भी कहना था कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि पहले विदेश मंत्री थे, एक बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां पानी की समस्या पर चर्चा करने आये हैं। यदि उस समस्या का समाधान हो जाता है तो इससे अच्छा कार्य और कुछ नहीं हो सकता। जहां तक आवागमन का संबंध है तो यह आपको सोचना है कि आप अपना सामान अपने सिर पर ले जाना चाहते हैं या नहीं। यह देखना आपका काम है। यह सुनकर प्रत्येक व्यक्ति ने हंसना शुरू कर दिया और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कोई भी व्यक्ति आयात–निर्यात का सारा कारोबार अपने सामान को सिर पर ढोकर नहीं कर सकता है। अतः पतरापोल तक रेल मार्ग का विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मेरा अन्य मुद्दा मैट्रो रेलवे को दमदम से बारासाट तल बढ़ाये जाने के बारे में है।

श्री चित्त बसु : हावड़ा-बोगांव रेल मार्ग के विस्तार का क्या हुआ ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां, हावड़ा-बोगांव रेल मार्ग का विस्तार ही मेरा अन्य मुद्दा है। यह कलकत्ता के एक छोर पर बसा है इसलिए इसका विस्तार आवश्यक है। हावड़ा-बोगांव रेल मार्ग का मैं पहले ही उल्लेख कर चुकी हूं। अब एक अन्य मुद्दा हावड़ा से पंसकुरा के बीच चौथा रेल मार्ग बिछाये जाने तथा पंसकुरा और खड़गपुर के बीच तीसरा रेल मार्ग बिछाये जाने से संबंधित है। इसका कुछ भाग मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है और कुछ भाग श्री इन्द्रजीत गुप्त के संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि इस मार्ग पर भी आपको काफी यात्री मिल जाएंगे। इस संदर्भ में मैं श्री बसुदेव आचार्य को ही नहीं अपितु रेल स्थायी समिति के अपने सभी मित्रों को इन लंबित मांगों पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद देती हूं.....*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस (ईदुक्की) : महादेया, पश्चिमी बंगाल राज्य के मेरे कुछ मित्रों के बीच बंगला में कुछ वार्ता चल रही है वे राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ भी सुन नहीं पाये।

सभापति महोदय : यह ठीक बात है।

.....*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : आप वो करिए। मेरा कहना है कि हमें भी इस चर्चा में शरीक करें। श्री आचार्य रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति हैं।

सभापति महोदय : यदि उन्हों भी इसका लाभ मिले तो यह उचित होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : समिति के प्रतिवेदन में केरल की कुछ परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।

श्री ए०सी० जोस : केरल के लिए उसमें कुछ भी नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : फिर तो मैं समझता हूं कि आपने प्रतिवेदन को पढ़ा ही नहीं है।

श्री ए०सी० जोस : आपके आपस में बात करने को मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। समस्या यही है कि हम कुछ नहीं सुन पाए।

सभापति महोदय : गीता जी, वह भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम विश्वकवि रविन्द्र नाथ टैगोर की भूमि से आये हैं। हम केरल की अनदेखी कर आपस में ही बातें नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है।

अब समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि केरल राज्य हेतु बजट में किए गए प्रावधान बहुत कम हैं और इसलिए समिति ने केरल के लिए नई परियोजनाओं और ज्यादा धन देने की भी सिफारिश की है।

आप पृष्ठ संख्या 107, पैराग्राफ 2.78 देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि :–

> "समिति नोट करती है कि बजट 1996-97 में केरल में रेलवे विकास के लिए आवंटित 127 करोड़ रुपये को बिना किसी औचित्य के कम करके 34 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"

उसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिना किसी औचित्य के आवंटन में कटौती की गई। अनेक नई परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा है कि :–

> "मंगलौर-शोरनुर रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए 17 करोड़ रुपये के वर्तमान प्रावधान के पुनर्विनियोजन द्वारा शीघ्र पूरा करने के लिए वृद्धि की जाए।"

इस तरह, कोलम-त्रिवेन्द्रम रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

श्री ए०सी० जोस : मेरा हस्तक्षेप अच्छा रंग लाया। अब आप केरल के बारे में बोल रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पृष्ठ संख्या 107 पर एक के बाद एक ऐसी परियोजनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिनके लिए अधिक धन की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि हम केरल के बारे में उतनी ही रुचि रखते हैं जितना की हम अपने राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में।

इसके अतिरिक्त मैं एक या दो बातों का और उल्लेख करना चाहती हूं जिनके बारे में स्थायी समिति ने शिफारिश या चर्चा की है। उनमें से एक बात यह है कि कुल भूतल परिवहन में रेलवे के हिस्से में गिरावट आयी है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हरेक दृष्टि से यह आवश्यक है कि रेल परिवहन में वृद्धि हो। परिवहन से यहां तात्पर्य मुख्य रूप से माल-दुलाई परिवहन से है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी कहा है कि गैस की दुलाई के लिए रेलवे के पास माल डिब्बे और टैंकर उपलब्ध हैं लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने गैस पाईप लाइन बिछाने का निश्चय किया है। यदि ऐसा निर्णय नहीं लिया होता तो रेलवे को इससे फायदा होता। अतः समिति ने ठीक ही कहा है कि गैस पाईप लाइन का निर्माण करने के बजाय यह काम रेलवे को सौंपा जाना चाहिए जिसके पास पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे और टैंकर उपलब्ध हैं। पैट्रोलियम मंत्रालय से इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक और मुद्दा है जो छोटा तो है किन्तु उसकी अपनी महत्ता है और वह प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे के बारे में है। प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है और इसके लिए रेलवे द्वारा यह कारण बताया जा रहा है कि लोग प्रथम श्रेणी के डिब्बे पसन्द नहीं करते हैं। वे इसके बदले द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित शमनयान चाहते हैं। मेरा अनुभव यह कहता है कि बहुत लंबी यात्रा के मामले में तो यह ठीक है लेकिन छोटी दूरियों अर्थात एक रात और कुछ दिन की यात्रा के लिए ज्यादातर लोग वातानुकूलित डिब्बे पसन्द नहीं करते। वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे पसन्द करते हैं। रेलवे के पास आवश्यकतानुसार प्रथम श्रेणी के डिब्बे बनाने हेतु संसाधन उपलब्ध हैं। यह वातानुकूलित डिब्बों की भांति मंहगा भी नहीं होगा। अतः छोटी दूरियों की यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

ऐसा करने से लोगों को उससे थोड़ा कम किराया देना होगा जो वह अब दे रहे हैं और साथ ही रेलवे को भी इससे बचत होगी। इसलिए, प्रथम श्रेणी के डिब्बों को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कम दूरी का सफर हो, समाप्त न किया जाए।

वेंडरों के मसले की रेलवे और स्थायी समिति दोनों ने ही काफी आलोचना की है। अनेक बार यह कहा गया है कि वेंडर हमेशाा, विशेषकर पूर्व रेल जोन में, डिब्बों में घुस आते हैं। मैं यहां एक बात कहना चाहती हूं। ये वेंडर कौन हैं ? ये सामान बेचने वाले लोग वे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। इन लोगों को लाइसेंस शुल्क अदा करने के बाद लाइसेंस दिया जा सकता है। रेलवे की लाईसेंस युक्त सामान बेचने वाली प्रणाली समाप्त नहीं करनी चाहिए। रेलवे में बहुत कम भर्ती हो रही है। इन लड़के-लड़कियों को यदि जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो ये लोग क्या करेंगे ? वे भिक्षावृत्ति करने लगेंगे। रेलगाड़ियों में हो रही डकैतियों के लिए ये सामान बेचने वाले लोग जिम्मेवार नहीं हैं। हमने ऐसा कभी नहीं पाया है। वास्तव में, यह इससे बिल्कुल ही भिन्न है। वे कभी-कभी रेलगाड़ियों में होने वाली डकैती को रोकते हैं क्योंकि ऐसा उनके हित में नहीं होता है। वे सामान्य रूप से अपना जीवनयापन करना चाहते हैं। इसी कारण मैं यह

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

सोचती हूं कि रेल प्रशासन और स्थायी समिति को इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

स्थायी समिति ने यह भी कहा है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा होने में काफी वक्त लगता है। वास्तव में जब सर्वेक्षण की सूची की घोषणा की जाती है तो सर्वेक्षण कार्य को पूरा होने की लंबी अवधि को देखते हुए लोग इसके क्रियान्वयन पर शक करने लगते हैं। वास्तव में कभी-कभी किसी परियोजना को मूर्त रूप न देने हेतु सर्वेक्षण कार्य का सहारा लिया जाता है। सर्वेक्षण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ? रेलवे का कहना है कि इसके लिए पर्याप्त तंत्र का अभाव है। उनके अपर्याप्त तंत्र के परिणामस्वरूप सर्वेक्षण कार्य में विलम्ब होने से इसकी लागत कीमतों में वृद्धि होती है। रेलवे के पास फालतू लोग हैं। यदि ऐसा है तो उन लोगों को उस विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जा सकता है और सर्वेक्षण कार्य में लगाया जा सकता है। चूंकि सर्वेक्षण कार्य के बिना हम नया रेल मार्ग प्रारम्भ नहीं कर सकते इसलिए इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुरक्षा के संबंध में यह वास्तविकता है कि कुछ समय पूर्व तक अनेक दुर्घटनायें हुआ करती थी। रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेल सुरक्षा संबंधी खतरा का कारण यह बताया गया है कि लोको चलाने वाले कर्मचारियों की अधिक व्यवस्तता है। उदाहरण के तौर पर उन्हें लगातार दस घंटे से ज्यादा कार्य करना पड़ता है। लोको चलाने वाले कर्मचारी के लिए यह कठिन है कि वह लगातार इतने समय तक सिग्नल और सभी चीजों के बारे में सतर्क रहे। रेलवे का कहना है कि वे लोको चलाने वाले कर्मचारी को अलग तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहां तो बात ठीक है। लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि लोको कर्मचारियों से अधिक काम न लिया जाए। निसंदेह, सुरक्षा के अन्य उपाय भी हैं किन्तु मैं उसका उल्लेख नहीं कर रही हूं।

अब मैं 'अपने वैगन रखिए' प्रणाली पर चर्चा करूंगी। जब यह योजना शुरू की गई थी तब इसके पीछे यह उद्देश्य था कि इससे हमारे उद्योगों को अपना सामान इन वैगनों से ले जाने से फायदा होगा। लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि इन वैगनों की ऊंची कीमतों के फलस्वरूप उद्योगों को ये वैगन खरीदने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में, रेलवे को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि इस सामान की सड़क द्वारा ढुलाई होती है। अतः इस मुद्दे पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.07 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए]*

अब मैं रेलगाड़ियों मे होने वाली डकैतियों पर चर्चा करूंगी। अब यह स्थिति काफी जटिल हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला राज्य सरकार के अधीन आता है तो कुछ लोगों का कहना है कि यह केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि यह कहां से आता है। मैं रेलगाड़ियों में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट लिखाने का भी उल्लेख करना चाहूंगी। संभव है कि जिस क्षेत्र में डकैती हुई हो उससे उस क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में यह न आता हो। चूंकि रेलवे में डकैती की घटनाओं में वृद्धि हो रही है इसलिए मैं महसूस करती हूं कि इस संबंध में राज्य सरकारों, रेलवे अधिकारियों और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बीच गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। हमारे पास रेल सुरक्षा बल भी उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि रेल सुरक्षा बल को भी इसमें शामिल किया जाए।

अंत में मैं माल भाड़े में भारी वृद्धि के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं पासवान जी को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि इस सूची में से उन्होंने कतिपय चीजों को बाहर रखा है। मैं समझती हूं कि यह 12 प्रतिशत की वृद्धि भी ज्यादा है। इससे कीमतों पर भारी प्रभाव पड़ेगा और साथ ही मुद्रा स्फीति में भी वृद्धि होगी। इसलिए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि समिति द्वारा सुझाया गया है इस 12 प्रतिशत की वृद्धि को कम किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं इस बात का पूरा-पूरा समर्थन करती हूं कि रेलवे को बजटीय सहायता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। मैं श्री पासवान को पूरा-पूरा समर्थन देती हूं। जब वह वाद-विवाद का उत्तर दें उससे पहले उन्हें चिदम्बरम् द्वारा और अधिक सहायता का आश्वासन दिया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि इससे सभी सहमत होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति जी, वर्तमान रेल बजट को देखने से ऐसा लगता है कि यह बजट और इससे जो काम होने वाले हैं, वह देश की प्रगति में आवश्यक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। यह बजट भी यथास्थितिवादी दिखता है। इस बजट में बहुत भेदभाव अपनाया गया है। देश की आजादी के पहले जितनी रेल लाइन यहां बिछाई गई थीं, उसकी तुलना में देश की आजादी के बाद बहुत कम रेल लाइन बिछाई गई हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो आजादी से पहले जहां प्रतिवर्ष 600 से 650 किलोमीटर रेल बिछाई गई, वही आजादी के बाद प्रतिवर्ष 16 से 170 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई। इस बार जो आपने बजट प्रस्तुत किया है, उसका विभिन्न मदों में आवंटन किया है, उससे ऐसा लगता है कि रेलवे लाइन का आकार जो पिछले वर्षों से जिस चाल से बढ़ता आ रहा है, उसी तुलना में बढ़ेगा। आपने बजट के अंतर्गत जो प्रावधान किया है वह विकास निधि एक प्रतिशत है। पिछले नौ-दस महीने में आपने माल भाड़ा 22 प्रतिशत बढ़ा दिया। हमें ऐसा लगता था कि निश्चितरूप से आप विकास निधि में कहीं न कहीं इस एक प्रतिशत की तुलना में ज्यादा बढ़ोत्तरी करेंगे, किन्तु आपने वह नहीं की। इसी प्रकार

से जब हम आपके विभाग द्वारा दी गई वार्षिकी देख रहे थे तो उसमें यह पाया कि रेल के डीजल इंजन में कमी हुई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है। टोटल कर्मचारियों की संख्या में भी कमी हुई है और उन रिक्तियों की पूर्ति के सम्बन्ध में आपने कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में आप और हम सब चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनका विकास हो। वे भी अन्य सभी की तुलना में आगे बढ़ें। यह मैं चाहता हूं। परन्तु रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंध में आपने कुछ नहीं कहा है।

फिर आपके यहां 14 प्रतिशत डीजल की चोरी होती है। अब चोरी को रोकने के लिए भी आपने कोई विशेष उपाय सोचे हैं या उस दिशा में कोई कार्य-योजना बनाई है, इसके बारे में भी हमको कहीं देखने को नहीं मिला है। मेरा यह मत है कि यह 14 प्रतिशत डीजल की चोरी जो भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसको रोका जाना चाहिए। इसको रोककर बहुत कुछ पैसा विकास में लगाने की कार्यवाही की जा सकती है। आज देश क सामान्य बजट हम देखते हैं कि देश पर भारी कर्जा है। भारतीय रेलवे वित्त निगम के माध्यम से भी हमने जो कर्जा ले रखा है और उसके हिसाब से जब हम आंकड़े देखते हैं तो मेरे ख्याल से 6436 करोड़ रुपये का कर्जा भारतीय रेलवे निगम के माध्यम से हमने ले रखा है। अभी 954 करोड़ रुपये का भी पेमेंट करना था। मैं जानना चाहूंगा कि 954 करोड़ रुपये आपने दिए या नहीं दिए ?

रेलवे पर यह जो ज्यादा से ज्यादा कर्जा चढ़ता जा रहा है, इस संबंध में आप कर्ज को कम करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ? यह भी हम जानना चाहेंगे। आप मालभाड़े से जो 59 प्रतिशत की आय करते हैं, इसको मालभाड़े की बजाय अन्य मदों में आय बढ़ाकर इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। आपके यहां रेलवे लाइन उखाड़ी जाती हैं और नई डाली जाती हैं। अन्य स्थानों पर कई बार दुर्घटनाएं होती हैं और डिब्बे नष्ट होकर बेकार हो जाते हैं। परंतु वह लोहा-लंगर आपके यहां बहुत बड़ी तादाद में पड़ा रहता है। यदि आप उसको बेचकर आपके यहां जितनी रेलवे लाइन उखाड़ी गई हैं, जितने डिब्बे नष्ट हुए हैं, उन सबका मूल्यांकन करें और तील के हिसाब से भी बेचें तो इससे करोड़ों रुपये की आय में वृद्धि हो सकती है। लेकिन आपने इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि रेलवे विभाग की आय को बढ़ाने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपने यह जो व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया है, माननीय रेल मंत्री जी उसके पृष्ठ 14 और 17 को देख लीजिए। संचालन व्यय के संबंध में बजट अनुमान 1997-98 के बारे में कुछ कहा गया है। उसमें हिन्दी और अंग्रेजी के आंकड़ों में भारी अंतर है। मैं इसको पढ़कर सुनाने में समय बर्बाद करना नहीं चाहता। परन्तु यह अंतर क्यों है ? हिन्दी वर्शन सही है या अंग्रेजी वर्शन सही है, यह आप स्वयं बता दें। इस प्रकार से पेज नम्बर 14 पर 200 करोड़ रुपये का हिन्दी और अंग्रेजी वर्शन में अंतर है, आपने आंकड़े दिखाएं हैं। इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न पेज पर और भी खामियां हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं हमको इनको पढ़ने का समय मिले या न मिले परन्तु आपका दायित्व बनता है कि आप ये सब पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ें तो आपके सबोर्डीनेट अधिकारी, कर्मचारी हैं उनको आप कहें कि इसमें इस प्रकार से आंकड़ेबाजी में जो अंतर है इसे पढ़ करके आपकी नॉलेज में लाएं और इस सदन में संशोधन के माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी दें।

महोदय, मैं इस अवसर पर बजट के बारे में बहुत ज्यादा कहने की बजाए इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जो इस बजट में अन्याय किया गया है उसको ठीक करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यदि रेलवे का नक्शा उठाकर सारे भारत का देखें तो अन्य प्रांतों में रेलवे का इतना जाल बिछा हुआ है कि आपको कहीं खाली जगह नहीं दिखाई देगी और मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत है जहां रेलवे लाइन के हिसाब से खाली ही खाली पड़ा है। पता नहीं हमारे साथ इतना अन्याय क्यों किया है ? हम आपसे इस बात की अपेक्षा नही करते थे कि हमारे साथ इतना अन्याय होगा। हो सकता है किसी कारण से आपने गड़बड़ी की हो। मेरा निवेदन है कि उस गड़बड़ी को ठीक-ठीक जितना जल्दी हो सके, कर लें। ....*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मध्य प्रदेश में आप कहां का चाहते हैं ?

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं आपको बताता हूं, हमने पहले भी 12-15 सांसदों ने आपसे और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था। आपने हमको आश्वस्त किया और अनेक पत्र लिखे। आपके पास से हमारे पास हम जो पत्र लिखते हैं उसके बारे में केवल एक लाइन लिखी हुई आती है – आपका पत्र दिनांक इतने-इतने प्राप्त हुआ। हम आपके इस मामले को विभाग में दिखवा रहे हैं। नौ महीने हो गए अभी तक विभाग में दिखवा रहे हैं, कछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं है। आप तो वह रिजल्ट जल्दी से जल्दी लाकर हमको लाभ पहुंचा सकते हैं। हमने 15-20 सांसदों ने बिलासपुर में रेलवे जोन स्थापित करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन सिंह जी भी आए, विश्वेश्वर जी भी आए और सुन्दर लाल पटवा जी भी आए। प्रदेश के जितने सांसद थे उनमें से अधिकांश ने आपके सामने उपस्थित होकर निवेदन किया। आपने आश्वस्त भी किया। हम प्रधानमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि हम इस संबंध में कुछ करेंगे। महोदय, पिछले बजट के टाइम पर कहा था कि कल ही इसमें कुछ न कुछ करेंगे परन्तु यहां आए तो हमने देखा कि कोई घोषणा नहीं, कुछ नहीं। अभी आप जब जवाब दें तो कम से कम

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

हमारा निवेदन स्वीकार करके बिलासपुर में जोन स्थापित करने की घोषणा कर दें।

महोदय, इसी प्रकार से मैंने एक निवेदन यह किया था – उज्जैन, आगर होते हुए झालावाड़, कोटा को एक रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए। रियासत के जमाने में उज्जैन से आगरा तक रेलवे लाइन थी। आपातकाल में जब न कोई वकील था, हमें कुछ कहने, सुनने का अधिकार नहीं था, आपातकाल के दौरान वह रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। हम जब 15-20 सांसद आपसे मिले थे जो ज्ञापन में हमने निवेदन किया था कि इस रेलवे लाइन के लिए सर्वे करा कर और यह रेलवे लाइन फिर से डाल करके हमें यह सुविधा उपलब्ध कराएं। आपने आश्वस्त किया था। उसके बाद भी मैंने पत्र लिख कर स्वयं आपसे आकर मुलाकात की तो आपने मुझे कहा कि यह सर्वे का काम इसी वर्ष 1997 में करवाएंगे। परन्तु मैंने जब सर्वे वाली सूची देखी तो उस सूची में कहीं भी आपका आदेश होकर इस रेलवे लाइन के सर्वे के लिए नाम देखने को नहीं मिला.......*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : कहां से कहां ?

श्री थावरचन्द गेहलोत : उज्जैन, आगरा, मालवा होकर झालावाड़, कोटा साइड में। पहले वहां रियासत के जमाने में रेलवे लाइन थी। माधवराव सिंधिया जी के पूर्वजों ने यह रेलवे लाइन स्थापित की थी और आपातकाल तक यह रेलवे लाइन थी। आपातकाल में उसको उखाड़ दिया गया। इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी यह जो दोहद, इंदौर, मकसी रेलवे लाइन है इसमें देवास और मकसी के बीच में पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पिछले बजट में डेढ़ करोड़ रुपया स्वीकृत था परन्तु पिछले बजट से लेकर आज तक लगभग नौ-दस महीने हो गए लेकिन एक नए पैसे का भी काम नहीं हुआ। वह काम बंद पड़ा है।

मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान तो है लेकिन वह कागजों में न रह जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे ही बजट स्वीकृत हो आप इन तीन करोड़ रुपयो से निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाएं और जितना जल्दी हो सके इसे पूरा करें।

इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र भोपाल में भोपाल से देवास हो करके उज्जैन हाई-वे है। देवास पर ओवर-ब्रिज बनाने की कार्रवाई 1989-90 में हुई थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने सहमति दी थी और उस पर कार्रवाई आगे बढ़ गयी थी। लेकिन किसी कारणवश उस ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है वह करवाया जाए।

इसी प्रकार से नेशनल हाईवे क्रमांक (3) आगरा से मुम्बई जाने वाला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मक्सी एक रेलवे क्रॉसिंग आता है उज्जैन-भोपाल रेलवे लाइन पर.......*(व्यवधान)* इस पर भी काम आगे बढ़ा था लेकिन उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। मेरा निवेदन है कि आप उस पर भी कार्रवाई करके, स्वीकृति दे करके उस काम को करवाएं।

हरसूत और शाहजहांपुर के बीच में नयी रेलवे लाइन डालने के लिए पहले सर्वे कार्य की स्वीकृति हुई थी लेकिन वह सर्वे कार्य भी ठप्प है। मैं अनुरोध करता हूं कि हरसूत, शाहजहांपुर तक रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए सर्वे करवाया जाए और इस टुकड़े की रेलवे लाइन से जोड़ने पर गुना-दीना के यह काफी करीब हो जाएगा। इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और नागदा पश्चिमी रेलवे मंडल में सर्वाधिक आय प्रदान करते हैं लेकिन इन चारों रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का भारी अभाव है। वहां पर प्लेटफार्म ठीक नहीं हैं न ही उनके ऊपर शेड है और नागदा में तो ग्वालियर रेयॉन की सबसे बड़ी फैक्टरी है और वहां रेलवे वैगनों का अनाा जाना होता रहता है। वहां रेलवे यार्ड न होने के कारण रेलवे को और उस ग्रेसिम इंडस्ट्री को भारी नुकसान होता है। इसी प्रकार से देवास इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारे उद्योग वहां हैं। वहां की समस्याओं के संबंध में भी मैंने जनरल मैनेजर पश्चिमी रेलवे को और डी.आर.ए.एम. पश्चिमी रेलवे मंडल रतलाम को एक विस्तृत ज्ञापन दिया था। मैं चाहूंगा कि उस ज्ञापन में जो मांगें हैं उनको आप हल करवा करके जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन और है। यह जो सुपरफास्ट गाड़ियां हैं नागदा से जम्मू-तवी में दिल्ली का और मुम्बई का टिकट नहीं मिलता है। स्टोपेज हैं और 695 किलोमीटर की दूरी कोई कम दूरी नहीं होती है लेकिन टिकट न देने के कारण स्टोपेज का कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि उसमें टिकट देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए।

इसी प्रकार से इंदौर सुपरफास्ट ट्रेन एक चलती है। नागदा से इंदौर जाने के लिए तो सीज़न टिकट एलाऊ है लेकिन इंदौर से जब वापस आती है तो नागदा के लिए सीजन टिकट एलाऊ नहीं है। यह कैसा दोहरा मापदंड है ? यह तो यात्रियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह भी आप करवा दें। फिर इंदौर में वी आई पी कोटा नहीं है जबकि मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। वहां कोई वी आई पी कोटा नहीं है। वहां कोटा होना चाहिए। देवास, उज्जैन, सुजानपुर, शाहजहांपुर और नागदा में आरक्षण का जो कोटा है वह भी विभिन्न गाड़ियों में काफी कम है, उसमें भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। शाहजहांपुर में रेलवे का अस्पताल बड़ा ही अस्त-व्यस्त है। उनको भी ठीक किया जाना चाहिए। जयपुर, मद्रास रेलगाड़ी सप्ताह में एक दिन चलती थी। आपने घोषणा की थी कि वह तीन दिन चलेगी, लेकिन अभी तक तीन दिन चलनी शुरू नहीं हुई है। इसका परीक्षण करा करके आप उसको जितना जल्दी हो सके करवाएं।

सभापति महोदय : बहुत हो गया है। धन्यवाद। एक-दो बातें पूरी हो जाने से काम हो जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आसन से दो-तीन मिनट का समय मिल जाए तो अच्छा होता।

सभापति महोदय : आपको पहले ही बहुत समय मिल चुका है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (इदुक्की) : महोदय, रेलवे की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। भारत एक विशाल देश है और रेलवे इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हमें अपनी रेलवे पर गर्व है। हमारी रेलवे विश्व में एक सबसे बड़ी रेलवे है। यहां बताई गई सभी खामियों के बावजूद हमारी रेलवे और रेल कर्मचारी देश के दूर-दराज क्षेत्र से सामान की ढुलाई और यात्रियों को लाने ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय एकीकरण का यह एक अंग है। रेलवे द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र को पूरा कर लिए जाने पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी रेलवे हमारे देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तथा देश के प्रत्येक भाग को जोड़ती है।

जब हम रेलवे को देखते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि इस रेल बजट और मांगों के सम्बन्ध में चर्चा और समर्थन मुद्दों के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुद्दों के आधार पर मांगों का समर्थन और चर्चा की जानी चाहिए।

महोदय, हम देश के सुदूर दक्षिण छोर कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी देश का सबसे सुदूर दक्षिण क्षेत्र है। हम – मलयाली या केरल के लोग–सबसे अधिक यात्रा करते हैं क्योंकि देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में जनसंख्या का घनत्व हमारे यहां अधिक है। हमें रोजी-रोटी के लिए देश के विभिन्न भागों में जाना पड़ता है। मेरे मित्र श्री सर्पोतदार यहां उपस्थित हैं। मुम्बई में केरल के अनेक लोग रहते हैं। केरल के अनेक लोग दिल्ली में भी रहते हैं। प्रत्येक रेल बजट से केरल के लोगों पर बोझ पड़ता है। किराये में थोड़ी सी वृद्धि भी हमारे लिए काफी मंहगी पड़ती है। इस बार माननीय रेल मंत्री ने हमारा ध्यान रखा है। उन्होंने किराये में मामूली वृद्धि की है। लेकिन माल भाड़ा और किराये में यह छोटी वृद्धि भी केरल के लोगों के लिए काफी होती है।

महोदय, आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को दिल्ली आने के लिए एक दिन का समय लगता है जबकि केरल के लोगों को दिल्ली आने के लिए तीन दिन लगते हैं। हमें मुम्बई पहुंचने में दो दिन लगते हैं। हम जो किराया अदा कर रहे हैं आप उसे देखें। यदि आप पूरे देश को देखें तो पायेंगे कि केरल के लोगों का रेलवे के खजाने में सबसे अधिक योगदान होता है। यदि एक गरीब आदमी को केरल से दिल्ली आना पड़ता है तो उसे 1000 रुपये से अधिक व्यय करना पड़ता है जबकि कलकत्ता या मुम्बई के लोगों को इतना व्यय नहीं करना पड़ता है। मैं कुछ अलग निवेदन करना चाहता हूं। यह उचित समय है कि रेलवे इस बारे में गंभीरतापूर्व सोचे। माल भाड़े और किराया वृद्धि में कुछ समरूपता होनी चाहिए। मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं। उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए।

महोदय, आप एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि किसी आदमी को किसी मुकदमें के सिलसिले में उच्चतम न्यायालय आना पड़ता है तो उसे केरल से दिल्ली की यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वह एकाएक रेलगाड़ी या हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकता। रेल यात्रा के लिए भी उसे काफी धन की आवश्यकता होती है। मैं माननीय रेल मंत्री जिनका दृष्टिकोण सदैव सहानुभूतिपूर्ण एवं सन्तुलित रहा है से अनुरोध करता हूं कि किराये ढांचे में उस व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए जो 1,500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और ऐसी दूरी के यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे द्वारा कुछ रियायत, कुछ छूट दी जानी चाहिए जिससे कि किराया वृद्धि में समानता रखी जा सके। अन्यथा, केरल के लोगों के लिए जो कि दक्षिण से आते हैं, इतना ज्यादा किराया देना कठिन है।

यह एक गंभीर मुद्दा है और मेरा अनुरोध है कि रेलवे को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

केरल की क्या स्थिति है, रेल मंत्री ने हमें कार्यसूची–रेलवे लाइन इत्यादि – जो कि वहां पर जारी है भेजने की कृपा की है : क्या रेल मंत्री मुझे बता सकते हैं क्या कोई ऐसा अन्य राज्य भी है जहां पर रेलवे का आंचलिक कार्यालय न हो ? केरल एकमात्र ऐसा राज्य है।

सभापति महोदय : ऐसे राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर भी हैं।

श्री ए०सी० जोस : आप रेलवे सम्बन्धी स्थायी समिति के सदस्य हैं। मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता हूं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास मुख्य अभियंता का कार्यालय भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केरल में नियुक्त किया गया मुख्य अभियंता तमिलनाडु का व्यक्ति था। इसी कारण उसके कार्यालय को भी तमिलनाडु को स्थानान्तरित कर दिया गया। अब यह चेन्नई में है, इसके परिणामस्वरूप यह हुआ कि प्रत्येक ठेकेदार को, प्रत्येक छोटी सी बात की स्वीकृति के लिए चेन्नई जाना पड़ता है। मैं आपसे सहमत हूं कि गुजरात या हरियाणा में आंचलिक कार्यालय नहीं होंगे परन्तु हमें एक

[श्री ए०सी० जोस]

मुख्य अभियन्ता का कार्यालय तो दिया जाना चाहिए। मुख्य अभियन्ता के कार्यालय को चेन्नई में स्थानान्तरित किए जाने के परिणामस्वरूप – हमें कभी भी ज्यादा धन नहीं मिलता है – यहां तक कि हमें आबंटित तुच्छ भत्ता भी व्ययगत हो जा रहा है क्योंकि वहां पर स्वीकृति देने के लिए कोई भी नहीं है। यहां तक कि एक अदने से अदने ठेकेदार को भी अपने कार्यों की स्वीकृति लेने मद्रास जाना और वापस आना पड़ता है। मैं अपने निजी अनुभव से यह बात कह रहा हूं। इसी कारण मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि क्यों रेलवे के मुख्य अभियंता का कार्यालय केरल में नहीं होना चाहिए। मेरा रेल मंत्री से निवेदन है कि यदि केरल के लिए मुख्य अभियंता का कार्यालय स्वीकृत किया जा चुका है तो उन्हें पता लगाना चाहिए कि त्रिवेन्द्रम या कोचीन, जोकि केरल में गतिविधियों का केन्द्र है, के बजाय उस कार्यालय को चेन्नई को क्यों स्थानान्तरित किया गया था।

एक और तथ्य यह है कि ब्रिटिश शासन में हमें रेलवे की सुविधा मिली थी और स्वतंत्रता के पचास वर्षों बाद इसमें मात्र 120 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। केवल एर्णाकुलम – कोट्टयम लाइन बिछाई गई और इसका विस्तार त्रिवेन्द्रम तक किया गया और समुद्रतटीय रेलवे अस्तित्व में आयी है हम नई रेलवे लाइनों की मांग कर रहे हैं परन्तु यह सब भैंस के आगे बीन बजाना है।

अन्ततः इस वर्ष उन्होंने अंगामलाई से शबरीमाला तक एक नई रेलवे लाइन को स्वीकृति दी है। शबरीमाला दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। हम तिरूपति की बात कर रहे हैं। तिरूपति को मात्र 50,000 या एक लाख लोग जाते होंगे परन्तु तीन महीनों के एक मौसम में शबरीमाला को पांच करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। लोग कहां से पहुंच रहे हैं ? वे मुम्बई से होकर पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश से हर कोई बस के द्वारा आ रहा है। यहां राष्ट्रीय स्तर पर धन व्यर्थ हो रहा है। मैं समझता हूं कि छह लाख से ज्यादा वाहन राज्य के बाहर से आ रहे हैं। इसी कारण एक रेलवे लाइन की अत्यधिक आवश्यकता है और बजट में दिया गया धन मात्र एक लाख रुपया है। मेरे विचार से इससे रेलवे की विश्वसनीयता प्रभावित होती है क्योंकि एक लाख रुपये की यह धनराशि किसी भी कार्य के लिए पर्याप्त न होगी। केवल यही नहीं कि शबरीमाला को पूनालूर के रास्ते कोट्टायम से जोड़ना है जो कोट्टाराकारा में समाप्त हो सकती है। यह एर्णाकुलम – त्रिवेन्द्रम लाइन और अन्य लाइनों के लिए एक समानान्तर लाइन के रूप में कार्य करेगी इसी कारण मेरा रेल मंत्री से निवेदन और मांग है कि कोट्टायम – पूनालूर–शबरीमाला के साथ अंगामली – शबरीमाला लाइन के कार्य को तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए। यह न केवल तीर्थयात्रियों के आवागमन को बढ़ाएगा अपितु रेलवे के राजस्व को भी बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप रेलवे के प्रति व्यक्ति राजस्व को देखते हैं तो पाएंगे कि इसका अधिकतम केरल से होगा।

मैंने सांख्यिकी का अध्ययन नहीं किया है और उसे वहां पर नहीं प्राप्त कर सका। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं हम केरल के लोग बहुत यात्रा करते हैं। पिछले वर्ष रेल मंत्री ने केरल राज्य के लिए 127 करोड़ रुपये प्रदान किए थे। मेरी सूचना के अनुसार, इस वर्ष उन्होंने केरल राज्य को मात्र 30 करोड़ रुपये ही प्रदान किए हैं। बजट में केवल 30 करोड़ ही आबंटित किए गए हैं। यह अत्यधिक पक्षपातपूर्ण है और अपमानजनक है। वे इसे कार्य करने के औपनिवेशिक तरीके से ऐसा कर रहे हैं। प्रति वर्ष अन्य राज्यों में रेलवे अपने कार्यों को बढ़ा रही है परन्तु केरल यहां पर एक निराशाजनक प्रवृत्ति है और वह भी इस वर्ष पिछले वर्ष प्रदान किए गए 127 करोड़ रुपयों की जगह 30 करोड़ रुपयों तक कम हो गई है। हम रेल मंत्री से मिल चुके हैं और उन्होंने हमें उदारतापूर्वक यह कहा कि वे इसमें बढ़ौतरी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि वे उस को बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में घोषणा इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय देंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : क्या उन्होंने ऐसा मुस्कुराते हुए कहा था ?

श्री ए०सी० जोस : वे हमेशा मुस्कुराते हैं। वह एक अत्यधिक मिलनसार मंत्री हैं।

महोदय, एक बार जब कोंकण रेलवे लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा तो केरल की स्थिति अत्यंत गम्भीर हो जाएगी। कोंकण रेलवे लाइन पूरे भारत के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। 760 मिलोमीटर को अपने कार्यक्षेत्र में लाने वाली कोंकण रेलवे लाइन जब पूरी हो जाएगी तो इसके लाभ केरल के लोगों को मिलेंगे। केरल के लोगों को कोचीन से मुम्बई के लिए लगने वाला मात्रा का समय 12 घंटे कम हो जाएगा और इसी करण इसके पश्चात् कई लोग यात्रा करना शरू कर देंगे। इसी कारण, जब तक मंगलौर से कोचीन या मंगलौर से त्रिवेन्द्रम लाइन को दोहरा नहीं किया जाता है तब तक कोंकण रेलवे लाइन केरल के लोगों के लिए स्वप्न बन कर ही रह जाएगी। इसी कारण हम इसी बात को बार-बार दुहरा रहे हैं और यह कि मंगलौर –शोरानूर लाइन को दोहरा किया जाना आवश्यक रूप से अपेक्षित है। पिछली बार इसे किए जाने का हमें वचन दिया गया था। इस बार भी उन्होंने इसे पूरा करने का वचन दिया है परन्तु इस बजट में नहीं। मेरे विचारानुसार यह न केवल केरल की प्राथमिकता है अपितु यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। दक्षिण से उत्तर और मुम्बई से दिल्ली यातायात अत्यधिक हो जाएगा और अन्ततः सारी व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में बिना किसी बाधा के तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह केवल केरल मात्र की मांग नहीं है अपितु यह सम्पूर्ण राष्ट्र की मांग है कि जब तक आप मंगलौर से शोरानूर तक लाइन को दोहरा नहीं करते हैं तब तक कोंकण रेलवे केरल के लोगों के लिए न केवल स्वप्न बनकर रह जाएगा अपितु इस लाइन से हम लोग लाभ भी नहीं उठा पाएंगे।

महादेय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोंकण रेलवे लाइन केरल राज्य से होकर नहीं जाती है। परन्तु केरल सरकार ने भी कोंकण रेलवे निगम की इक्विटी सहभागिता में भाग भी लिया और केरल सरकार ने इसे धन भी दिया। क्यों ? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को उस लाइन से अत्यधिक फायदा होगा। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इसी कारण मैं कहता हूं कि कोंकण रेलवे से होकर जाने वाले किसी भी मार्ग को शीर्ष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पर राष्ट्रीय प्राथमिकता की तरह विचार करें।

एक और लाइन जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह क्विलोन–त्रिवेन्द्रम लाइन है और उस लाइन को भी दोहरा किया जाना है। उस लाइन में बहुत ही कम कार्य को किए जाने की आवश्यकता है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक यह मुम्बई से त्रिवेन्द्रम तक सीधे नहीं जाएगी और यदि ऐसा किया जाता है तो यह कन्याकुमारी भी जाएगी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पूरी पट्टी का दोहरीकरण किया जाना चाहिए। जब आप कोंकण रेलवे परियोजना के बारे में बात करते हैं तो यह हमारी अत्यधिक मूल्यवान और हमारे द्वारा प्राप्त करने योग्य लाइन होगी। परनतु हमारे पास आज भी कोंकण रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है।

मैं कुछ समय पूर्व चर्चिल अलेमाओ से बात कर रहा था। उन्होंने पिछली बार उल्लेख किया था कि हमारे पास एक कोंकण रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है। मैं रेलवे बोर्ड का कुछ समय सदस्य रह चुका हूं। परन्तु आपके पास एक विशिष्ट कोंकण रेलवे भर्ती बोर्ड होने पर ही सक्षम भर्ती की जा सकती है। यह एक ऐसी बात है जिसे सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मैं सामान्य रूप से इसकी चर्चा कर रहा हूं।

एक और अन्य तथ्य नई ट्रेनों को चलाए जाने के बारे में है। पिछले वर्ष भी हम अपने रेलवे मंत्री से अनुरोध कर चुके हैं। मैं इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए तैयार हूं कि भारत में किसी अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में केरल के किसी भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ होती है और जबकि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त बुकिंग और पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था है। इसी कारण मेरा अनुरोध है कि दिल्ली और मुम्बई दोनों जगहों से दो या तीन नई ट्रेनें तत्काल चलायी जानी चाहिए। दिल्ली से तिरूअनन्तपुरम के लिए प्रतिदिन चलने वाली एक ट्रेन है परंन्तु यह पर्याप्त नहीं है। यह यात्रियों की भीड़ को सम्भाल नहीं पा रही है। इसी कारण एक नई ट्रेन चलाई जानी चाहिए। रेल मंत्री ने हमें यह लिखा है कि एक नई ट्रेन शुरू की जाएगी और इसे कोंकण रेलवे लाइन से होकर चलाया जाएगा। हमें इससे प्रसन्नता हुई है। हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए। मुम्बई से भी दो ट्रेनें चलती हैं परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। और नई ट्रेनें मुम्बई से भी चलाई जानी चाहिए। ऐसा ही मामला जयपुर के साथ भी है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री ए०सी० जोस : महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आप पहले 15 मिनट बोल चुकें हैं।

श्री ए०सी० जोस : जयपुर के यात्री केरल की यात्रा करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जयपुर से तिरूअनन्तपुरम तक एक नई ट्रेन चलाई जानी चाहिए। जयपुर से तिरूअनन्तपुरम तक की यात्रा करने के लिए वहां पर पर्याप्त यात्री होंगे।

रेल डिब्बों के सम्बन्ध में स्थिति वास्तव में दयनीय है। मैं रेल मंत्री और सभापति महोदय, आपसे तिरूअनन्तपुरम तक ट्रेन में यात्रा करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं पिछले सप्ताह ही कोची में था।

श्री ए०सी० जोस : क्या आपने ट्रेन से यात्रा की थी, महोदय ? आप पाएंगे कि रेल डिब्बे सबसे पुराने और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। किसी ने उल्लेख किया था कि यदि एक रेल के डिब्बे की आयु 30 वर्ष है तो 29वें वर्ष या 28वें वर्ष उस रेल डिब्बे को केरल भेजा जाएगा। मैं सांख्यिकी को उद्धृत कर सकता हूं। सभी रेल डिब्बे ऐसे ही हैं। कुछ लोग व्यंग्य में कहते हैं कि किसी रेलवे कम्पार्टमेण्ट में जाने से पहले किसी को भी रोग प्रतिरोधक टीका ले लेना चाहिए और जब तक कोई रोग प्रतिरोध टीका न लगवा लें उसे रेलवे कम्पार्टमेण्ट में घुसना नहीं चाहिए। हम दुर्भाग्यशाली हैं। मैं रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से कम से कम कभी कभार तो प्रदर्शनार्थ कुछ नए कम्पार्टमेण्ट भेजने का अनुरोध करता हूं। हम नहीं जानते हैं नए कम्पार्टमेण्ट या नए रेल के डिब्बे कैसे होते हैं। सबसे पुराने रेल डिब्बों को अरब सागर में डूबने से पहले दक्षिण भेजा जा रहा है। इसी कारण मेरा निवेदन है कि समान वितरण होना चाहिए।

भोजन की गुणवत्ता के बारे यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब कोई दिल्ली से कोची की ओर यात्रा करता है तो बेहतरीन भोजन परोसा जाता है और भोजन की गुणवत्ता भी बढ़िया होती है परन्तु जब कोई कोची से दिल्ली की ओर यात्रा करता है तो हमेशा वायुसेवा और ट्रेनों में किसी को भी बासी भोजम परोसा जाएगा। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। अप्रभावी अधीक्षण इसका कारण हो सकता है या इन बातों पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं होगा। परन्तु सामान्य रूप से ऐसा घटित होता है।

इसी कारण मेरा निवेदन है कि नए कम्पार्टमेण्ट प्रदान किए जाने चाहिए कम से कम कभी कभार तो प्रदान किए जाने चाहिए

[श्री ए०सी० जोस]

और ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की देख-रेख करने के लिए कोई होना चाहिए।

जब मैं नई लाइनों के बारे में बात करता हूं तो एक बात महत्वपूर्ण है कि आपको गोवा से वेलांकन्नी के लिए एक नई ट्रेन चलानी चाहिए।

श्री चर्चिल अलेमाओ (मारमागाओ) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री ए०सी० जोस : इस पर इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि केरल के कैथोलिकों का वेलानकन्नी तीर्थयात्रा केन्द्र है और वहां जाने में उनको आसानी होगी। मेरे सहयोगी श्री चर्चिल मेरे साथ सहमत होंगे। इसी कारण यदि आप कोंकण रेलवे के तैयार हो जाने के पश्चात् गोवा से वेलानकन्नी के लिए नई ट्रेन चलाते हैं तो इससे हमें लाभ मिलेगा।

रेलवे को दी गई बजटीय सहायता पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। यह तथ्य रिपोर्ट में उल्लिखित है। यदि रिपोर्ट में उल्लिखित न भी हो तो मैं इस तथ्य को उठाना चाहूंगा। मैं रेल मंत्री का समर्थन करूंगा जब वह यह कहते हैं कि भारत में रेलवे ही एकमात्र ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है जो भारत के राजस्व को नियमित लाभांश देता है। रेल मंत्री के कहे अनुसार भारत का कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इतने लाभांश का भुगतान नहीं करता है जितना कि रेलवे करती है। रेलवे राजकोष को नियमित लाभांश प्रदान कर रहा है। परन्तु रेलवे की दी गई बजटीय सहायता पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों की पूंजी पर भी रेलवे लाभांश प्रदान कर रहा है। जब राजकोष को इतना ज्यादा राजस्व मिल रहा है तो और अधिक बजटीय सहायता रेलवे को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह लाभांश दे या न दे, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह एक लोक उपयोगिता वाली सेवा है और रेलवे राष्ट्रीय एकता की संवाहक है। यह हमारी रक्त वाहिनी धमनी है जो लोगों को एक दूसरे के पास लाती है। यह एक कारण है कि मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था और साथ ही देश में इसीलिए रेलवे को एक विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसी कारण रेलवे को और अधिक धन दिया जाना चाहिए और रेलवे को भी केरल को अधिक धन देना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : क्या आपको कोचीन–दिल्ली एक्सप्रेस में कभी-कभी भोजन खराब मिलता है या यह हमेशा ही खराब मिलता है।

श्री ए०सी० जोस : जब कभी भी मैं कोचीन-दिल्ली एक्सप्रेस से यात्रा करता हूं मैं पाता हूं कि यह खराब होता है और मुझे इसके बारे में रिपोर्टें भी मिल रही हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं इसकी सतर्कता विभाग से जांच कराऊंगा।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : सभापति महोदय, मैं बजट की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि सरकार के सीमित संसाधनों के भीतर माननीय मंत्री ने देश के सभी भागों के साथ न्याय किया है जबकि पश्चिम बंगाल कुल मिलाकर वंचित रह गया है।

सभापति महोदय : आपको दीघा–तमलूक लाइन के लिए 9, 90,00,000 रुपये मिले हैं।

श्री सुधीर गिरि : फिर भी मैं स्वयं को एक मांग तक ही सीमित रखूंगा। मैं 1980 में जब से सदन में आया हूं तब से दीघा लाइन के निर्माण की मांग कर रहा हूं। उन दिनों तत्कालीन रेल मंत्री ने 1984 के चुनावों के पूर्व श्री गनी खां चौधरी ने उस क्षेत्र में यहां-वहां आधार-शिला रखी थी, रेलवे निर्माण के लिए वार्षिक रूप से कुछ थोड़ी सी धनराशियां एक लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की प्रदान की जा रही थी। परन्तु इस वर्ष रेल मंत्री ने 9.9 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। एक वर्ष में प्रदान की गई यह सर्वाधिक धनराशि है। इसलिए मैं माननीय मंत्री को धनराशि बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री के आश्वासन, कि वे पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जहां तक सम्भव हो न्याय किया जाएगा, के लिए उनका आभार मानता हूं। उन्होने विशेष रूप से तमलूक से दीघा तक रेलवे लाइन के निर्माण का उल्लेख किया था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि वे अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे कि निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन यह निर्माण कार्य यथासम्भव शीघ्र पूरा हो जाये।

इस सम्बन्ध में मैं उल्लिखित करना चाहूंगा कि क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए।

इस रेलवे लाइन की आवश्यकता का छोटा सा कारण है कि प्रतिदिन हजारों लोग दीघा आते जाते हैं। दीघा एक सुन्दर समुद्रतटीय पर्यटक आवास है और प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक इस स्थान पर आते हैं। परन्तु प्रतिदिन आने-जाने वालों के भारी कष्ट का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण मैं माननीय मंत्री से नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि में इस निर्माणकार्य को पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। इस प्रस्तावित परियोजना द्वारा कार्य क्षेत्र में लाए जाने वाला क्षेत्र सुदूर और ग्रामीण है। यहां के लोग पिछड़े हैं। इसी कारण उन्हें परियोजना की शीघ्र समाप्ति की आवश्यकता है। इसलिए मैं मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा और उनसे मर्मस्पर्शी अपील करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि आने वाली नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ही इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो जाए।

मैं यह भी सलाह देना चाहूंगा कि सभी चालू परियोजनाएं, चाहे वह दीघा–तमलूक लाइन या कोई अन्य परियोजना हो, इसे यथासम्भव शीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए जिससे कि इन परियोजनाओं की परिसमाप्ति के द्वारा संसाधनों को जुटाया जा सके।

मैं माननीय मंत्री से पुनः अपील करता हूं कि वे हमारे क्षेत्र में आएं। पहले उन्होंने हमारे क्षेत्र को आने की सहमति दी थी। फिर से मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वे हमारे क्षेत्र के भ्रमण व एक सुविधाजनक दिन तय कर लें जिससे कि वे अपनी आंखों से यात्रियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को देख सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी पुल की बात हो गयी।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, आपने मेरी भावना को व्यक्त कर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुंगेर-खगड़िया के बीच में रेल सह सड़क पुल के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी से हम लोग मिले थे। उन्होंने इस पुल को नौंवी योजना में ले लेने के लिए आदेश दिया था और रेल मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि इसको रेलवे बजट में ले लिया जाना चाहिए। प्रोजैक्ट रिपोर्ट सर्वे में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया था। मुझे मालूम नहीं है कि अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस बजट में वह उसकी घोषणा करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी यहां आ गये हैं। मुझे उम्मीद है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा पुल के निर्माण को नौंवी पंचवर्षीय योजना में जोड़ने के लिए और रेल सह सड़क पुल के निर्माण के लिए जो आदेश दिया था, वह पूरा करेंगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हम एमपीज को मंत्री जी के यहां से जो जवाब आता है, उसके बारे में भी मैंने कई बार प्रश्न उठाया है, वह बहुत अवैज्ञानिक होता है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि उसके बारे में क्या कहा जाये ?

जैसे मैं बार-बार यह सवाल उठा रहा हूं कि कजरा से क्यूल लाइन का दोहरीकरण किया जाए। लेकिन जवाब आता है कि वहां ट्रेन बहुत कम चलती है इसलिए बनाना संभव नहीं है, लाभदायक नहीं है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि भागलपुर से कजरा तक दोहरी लाइन आती है तो कजरा कौन सा मुम्बई शहर है कि वहां तक पूरी ट्रेन आती है, लगातार दबाव बना रहता है और कजरा से क्यूल तक की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि क्यूल से फिर दिल्ली तक ट्रेन चलती है और हावड़ा जाती है तो मात्र 17 किलोमीटर दोहरीकरण का काम है। हर बार यही जवाब आता है कि यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहां पर ट्रेन बहुत कम चलती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप पत्र देख करें, अधिकारी लोग तैयार करते हैं, आपको इतनी फुर्सत तो होती नहीं होगी कि सारे पत्रों को पढ़ लें। लेकिन इतना तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए कि अधिकारियों को कहा जाए कि जवाब लिखें तो इस ढंग से तैयार करें जो कम से कम एम०पी० को तो ग्राह्य हो। मैं निवेदन करूंगा कि 17 किलोमीटर दोहरीकरण का जो काम बचा हुआ है, उसे पूरा किया जाना चाहिए।

मैंने महेशलेटा और पवई दोनों जगह डी.एम.यू. के स्टौपेज के लिए लिखा था। लेकिन अभी तक जो पवई में रुका करती थी, उसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी तक उसे हॉल्ट का दर्जा नहीं मिला है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें केवल दो-ढाई लाख रुपये का खर्चा है। दोनों ही जगह हॉल्ट की स्वीकृति दे दें। रेलवे में दोनों जगह का प्रपोजल भी पड़ा हुआ है।

जम्मू में सिटी काउंटर के बारे में जो जवाब आया है, मैंने उस बार भी कहा था कि वहां बहुत सारे बस मालिक हैं जो जम्मू स्टेशन में यात्रियों को बहुत परेशान करते हैं, टिकट नहीं कटाने देते, एक तरह का माफिया गिरोह वहां काम करता है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, वहां सिटी काउंटर होना चाहिए। वहां रेलवे की टिकट की काफी बिक्री होगी। लेकिन जवाब आता है कि 7-8 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू शहर है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। वहां से बस और टैक्सी चलती है। वहां से मुंगेर, झाझा और दूसरी जगह बहुत सारी बसें चलती हैं। वे टिकट नहीं खारीदने देते। लोगों को परेशानी होती है। बस में ज्यादा पैसे लगते हैं, ट्रेन में कम लगते हैं। लोग ट्रेन में जाना चाहते हैं। आप ऐसे बस मालिकों को क्यों मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जम्मू में रेलवे का सिटी काउंटर होना चाहिए। वहां के व्यापारी, बुद्धिजीवी और दूसरे लोग टिकट खरीदेंगे।

जमालपुर कारखाने के बारे में कहना चाहता हूं। आप तो उस समय स्टैडिंग कमेटी में थे।

सभापति महोदय : आपने शायद रिकमैंडेशन नहीं देखी है। उसमें जमालपुर कारखाने के बारे में है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मेरी मांग थी कि जमालपुर कारखाने में बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। आप तो हाल में जमालपुर गए हुए थे। उसमें ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है।

अपराह्न 6.00 बजे

सवारी और माल डिब्बे की वहां फैक्टरी होनी चाहिए। वह आसानी से हो सकती है।

सभापति महोदय : माल डिब्बे के लिए हम लोगों ने रिकमण्ड कर दिया है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सवारी डिब्बे के लिए भी होना चाहिए। जब उसने कण्टेनर बना दिया, वाक्स वैगन उसने बना दिया, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उस कारखाने को अगर मजबूत करना है और उसका जो बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है,

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

उसका अगर इस्तेमाल करना है, वहां के मजदूर भी बहुत काफी कुशल हैं, पूरे देश में वह विख्यात हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी और नौ नाम हैं। सभा का क्या मानना है।

कुछ माननीय सदस्य : हम शुक्रवार को जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): इनका भाषण तो खत्म हो जाये।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : बस, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरी बात समाप्त हो रही है।

सभापति महोदय : दो तीन मिनट में समाप्त कर देंगे ?

श्री राम विलास पासवान : आप जानते हैं कि इनका सबसे बड़ा काम एक था, जो सबसे बड़ा काम इनका पुल वाला हो गया। अब काहे के लिए बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय : इन्होंने तीस दिन अनशन किया था। 30 दिन या 25 दिन, कितने दिन किया था ?

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मंत्री जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी का भी होम डिस्ट्रिक्ट मुंगेर ही था, आजकल खगड़िया हो गया है तो खगड़िया और मुंगेर दोनों क्षेत्र जुड़ जाएंगे।

सभापति महोदय : इसीलिए तो कर दिया है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मुंगेर एक हिस्टोरिकल जगह है, एक ऐतिहासिक जगह है, इसलिए जमालपुर कारखाने पर भी मंत्री जी से हम रिक्वैस्ट करेंगे कि सवारी डिब्बे और माल डिब्बे की फैक्टरी वहां दी जाये, तभी वह कारखाना बच सकता है। उसकी मैनपावर बची रह सकती है, सिर्फ उसको माडर्नाइज करने में मैनपावर नहीं बढ़ सकती है, वह घट सकती है, इसलिए मैं बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि अगर आप कोच फैक्टरी और वैगन का आप वहां बनाने के लिए आदेश देते हैं, तभी उसकी मैनपावर बढ़ सकती है, नहीं तो लगातार वह घटती चली जा रही है।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्योंकि नौ और नाम हैं और रेल मंत्री शुक्रवार को अपना उत्तर देंगे, यदि सभा की बैठक एक घंटे के लिए बढ़ाई जाती है तो कुछ सदस्यों को अवसर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : आजकल तो प्रैशर नहीं बना हुआ है।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : शुक्रवार को प्रश्न काल नहीं होगा। परन्तु नामों की संख्या को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इसे नौ पर ही रहने दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : परन्तु ऐसी पार्टियों के सदस्य, जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया है, शुक्रवार को बोलना भी चाह सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : शुक्रवार को 11 से 12 बजे के बीच सदस्य वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं और 12 बजे माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं। तत्पश्चात हम भोजनावकाश के बाद गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को ले सकते हैं।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3.30 बजे शुरू होगा। भोजनावकाश के बाद अपराह्न 2 बजे मंत्री अपने उत्तर को आरम्भ कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। अपराह्न 3.30 बजे तक बजट को भी पारित किया जा सकता है।

अब सभा शुक्रवार, 2 मई, 1997 के पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 06.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 मई, 1997/
12 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे
तक के लिए स्थगित हुई।